लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक-सभा

शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री एस० एस० नटराज : (श्री विल्लीपुत्तूर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

परिसीमन आयोग

*७३१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **विधि** मंत्री ३० नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसीमन आयोग ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उस कार्य के कब तक समाप्त किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या परिसीमन आयोग (संशोधन) ऐक्ट, १९५४ के पारित हो जाने के फलस्वरूप उस के काम के समाप्त किये जाने की तारीख को बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): (क) नहीं ।

(ख) आयोग को आशा है कि वह अपना काम मई, १९५५ के अन्त तक समाप्त कर लेगा ।

(ग) हां ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५४ के संशोधित ऐक्ट के लागू हो जाने के बाद से इस कमीशन ने किन किन राज्यों के बारे में अपनी पिछली अन्तिम आज्ञाओं (फाइनल आर्डर्स) में संशोधन किया है ?

श्री पाटस्कर : अभी तक खाली बिहार, बम्बई, हैदराबाद, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के फाईनल आर्डर्स ईश्यू होने को रहते हैं, बाकी जगह यह काम हो गया है ।

श्री भक्त दर्शन : मेरा निवेदन यह था कि जिन के बारे में कमीशन ने पहले अपनी अन्तिम आज्ञायें दे दी थीं, इस संशोधित ऐक्ट की वजह से उन में से कितने में परिवर्तन किया गया है ।

श्री पाटस्कर : इस के लिये मुझे नोटिस चाहिए ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कमीशन अनुसूचित जातियों या वर्गों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण निर्वाचन क्षेत्रों में जो संशोधन किया गया उस से पहले दुबारा जनता की सम्मति लेना, यानी आब्जेक्शंस इंवाईट किये जायें या नहीं ?

श्री पाटस्कर : हम ने जो काय पास किया है उस में दिया हुआ है। फिगर्स में तब्दीली अगर कोई कर सकता है तो केवल सेंसस अथारिटीज ही कर सकती है और दूसरा कोई नहीं , डीलिमिटेशन कमीशन को फिगर्स करेक्ट करना

नहीं है। और जब कभी ऐसा किया जाता है, और कमीशन का काम समाप्त भी हो गया तो तब्दीली करने का यह अधिकार [illegible] ऐक्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को दिया है, इस वजह से इस में कुछ [illegible] आने की सम्भावना नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति : [illegible] पारित किए गए अन्तिम संशोधन अधिनियम के अनुसरण में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों की अशुद्ध प्रगणना को ठीक करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री पाटस्कर : मैंने इसे हिन्दी में समझाने का प्रयत्न किया था, परन्तु सम्भवतः उसे समझा नहीं गया। बात यह है कि उन संख्याओं को, परिसीमन आयोग ठीक नहीं करेगा, अपितु यह कार्य तो जनगणना प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। और जब भी यह कार्य हो जायगा तो चाहे उक्त आयोग का कार्य समाप्त भी हो जाये, तो भी इन सुधारों के आधार पर परिसीमन में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अधिकार उसी अधिनियम द्वारा निर्वाचन आयोग को ही प्राप्त होंगे।

केन्द्रीय समाज कल्याण

*७३२. **श्री झूलन सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को १९५३-५४ के दौरान में देश के विभिन्न स्वयंसेवक संस्थाओं से, सहायता के लिये कुल कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) कितनी संस्थाओं को सहायता दी गई है; तथा

(ग) शेष संस्थाओं को किन आधारों पर अस्वीकृत किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १०२३.

(ख) ६२०.

(ग) [illegible] करने के [illegible]नलिखित आधार हैं :

(१) अभ्यर्थी संस्थाओं द्वारा पूरी जानकारी न भेजना,

(२) अभ्यर्थी संस्थाओं का ऐसे कार्य क्रमों में भाग लेना जो कि बोर्ड के क्षेत्र के अन्दर नहीं आते हैं ;

(३) अभ्यर्थी संस्थाओं का, राज्य सरकारों स्थानीय सरकारों अथवा अन्य अनुगृहित निकायों द्वारा संचालित होना।

श्री झूलन सिंह : क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जिन संस्थाओं को सहायता दी गई है, उनमें से कुछेक ऐसी संस्थायें भी हैं, जिन्होंने आकस्मिक ही केवल इसी कार्यवश समाज-सेवा कार्य प्रारम्भ किया है; यदि हां, तो क्या ऐसी संस्थाओं को अनुदान न देने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने के विषय में सरकार की कोई प्रस्थापना है ?

डा० एम० एम० दास : जैसे मैंने कहा है, बोर्ड केवल ऐसी संस्थाओं को ही अनुदान देता है, जो विशेष प्रकार का कार्य—जैसे कि महिला-कल्याण, बाल-कल्याण, दोषी बच्चों तथा अन्य व्यक्तियों का कल्याण कार्य कर रहे हैं, और न कि अन्य संस्थाओं को।

श्री एन० एम० लिंगम् : इन अभ्यर्थी संस्थाओं में से कितनी संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों और कितनी संस्थाओं नगर क्षेत्रों के लिये मंजूरी दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : ग्रामीण क्षेत्रों और नगर-क्षेत्रों के लिय मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन स्वयं-सेवक कल्याण-संस्थाओं को केन्द्र से सहायता प्राप्त करने से पूर्व एकत्रित किये हुय धन का हिसाब दिखाना पड़ता है ?

डा० एम० एम० दास : अनुदान तुलनात्मक आधार पर दिया जाता है और ऐसे अनुदान देने से पूर्व केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड, इन संस्थाओं के कार्यों, की अच्छे प्रकार से जांच कर लेता है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई गई ये परियोजनायें उस समय भी जारी रहेंगी जबकि ये सभी क्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अधीन आ जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रश्न पर उस समय निर्णय किया जायेगा, जबकि यह स्थिति उपस्थित होगी ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

*७३३. **श्री चिनारिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के लिये अल्प-व्ययक में रखे गये कुल धन में से लगभग आधा धन, केवल संकलन के लिये एक निजी संस्था को दे दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उस संस्था का नाम क्या है, उसे कितनी राशि दी जाती है और नमूना सर्वेक्षण के लिये कुल कितनी राशि आय-व्ययक में रखी गई है; तथा

(ग) क्या कुछेक और शिल्पिकों और कर्मचारियों को काम पर लगा कर विभाग यह सारा कार्य स्वयं नहीं कर सकता, जससे कि धन की बचत हो सके ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) हां, यह सत्य है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आय-व्ययक के लिये रखी हुई कुल धन राशि में से लगभग आधी धन-राशि भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता को अदा कर दी जाती है, क्यों कि इस कार्य के लिये इस संस्था को विशेष योग्यता प्राप्त अभिकरण के रूप में काम पर लगाया गया है । उस संस्था को अदा की जाने वाली धन-राशि राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण के सम्पूर्ण शिल्पिक कार्यों के लिय दी जाती है, न कि केवल संकलन के लिये, जैसे कि रूपांकन करना शिल्पिक निदेशन करना, गणना करना, तथा आंकड़ों और अन्तिम अभिवेदन का संक्लन करना तथा तालिका बद्ध करना, और प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का कुछ क्षेत्र-कार्य भी करना ।

(ख) जानकारी सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ग) नहीं श्रीमान् ।

श्री चिनारिया : किन किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण हो चुका है, कितने अभिवेदन प्रकाशित हो चुके हैं, और कितने अभी निलम्बित रूप में पड़े हैं ?

श्री बी० आर० भगत : अभी तक नमूना सर्वेक्षण के निदेशालय ने सर्वेक्षण के प्रथम, द्वितीय और तृतीय दौर के ही अभिवेदन जारी किये हैं ; और चतुर्थ से सप्तम् दौर तक के आंकड़े अभी संस्था में संकलित किये जा रहे हैं ।

श्री चिनारिया : क्या नमूना सर्वेक्षण के निदेशालय ने संस्था के किन्हीं कर्मचारियों को कुछ दिनों के लिये उधार पर थ वा स्थाई रूप से रख लिया है, यदि हां,

तो उनकी शिक्षा सम्बन्धी और शिल्पिक अर्हतांय क्या हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

सरदार हुक्म सिंह : नमूना सर्वेक्षण के अन्तिम दौर में, परिणाम की क्या आशा की जाती है ?

श्री बी० आर० भगत : यह तो एक महान प्रौद्योगिक प्रश्न है। इसका सम्बन्ध तो निरीक्षण के विभिन्न परिमाणों और उपायों से है। यह तो केवल एक निरीक्षण सर्वेक्षण है ।

अफ्रीकी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*७३४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कुल कितने अफ्रीकी विद्यार्थी हैं जिन्होंने, १९५४ में, भारत में कुटीर उद्योगों का अध्ययन करने के लिये मंजूर हुई छात्रवृत्तियों का, वास्तव में लाभ उठाया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : छात्रवृत्तियों के लिये कुल कितनी धन-राशि मंजूर की गई है ?

डा० एम० एम० दास : इस योजना के लिये २५ छात्रों के लिये २८,००० रुपये मंजूर किये गये हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन छात्रवृत्तियों के लिये अफ्रीकी विद्यार्थी अधिक संख्या में आवेदन क्यों नहीं करते हैं ? माननीय सभा सचिव ने अभी यह कहा था कि केवल एक ही विद्यार्थी इस छात्रवृति से लाभ उठा रहा है ।

डा० एम० एम० दास : ये विद्यार्थी जिन्हें इन छात्रवृतियों से लाभ उठाना चाहिये था, अधिक शिक्षित नहीं है। विशेषकर के वे अंग्रेजी भाषा में अशिक्षित हैं। और जब वे भारत में आते हैं तो यहां के शिक्षक उनकी भाषा से अनभिज्ञ होते हैं।

श्री इब्राहीम : क्या ऐसी छात्रवृत्तियां भारतीय विद्यार्थियों को भी प्राप्त हैं ?

डा० एम० एम० दास : जी, नहीं। ये वास्तव में केन्द्रीय अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिये हैं और अब ये सुविधायें वेस्ट इंडीज़, फ़िजी और मौरेशस के विद्यार्थियों की भी दी जा रही है ।

श्री हेडा : वह अभ्यर्थी किस उद्योग के सम्बन्ध में प्रशिक्षण ले रहा है ?

डा० एम० एम० दास : यहां बहुत से विद्यार्थी हैं ।

श्री हेडा : इस सुविधा से केवल एक ही विद्यार्थी उपयोग उठा रहा है ।

डा० एम० एम० दास : उसे काग़ज़ बनाने, रुई धुननें, कातने और बुनने आदि का प्रशिक्षण दिया गया था ।

वैज्ञानिक आयोग

*७३५. **श्री गिडवानी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) क्या ५ जनवरी, १९५५ को बड़ोदा में सम्मिलित होने वाली भारतीय वैज्ञानिक क्षात्रिक संस्था द्वारा पारित किये गये इस संकल्प की ओर सरकार का ध्यान गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से यह कहा गया था कि वैज्ञानिक गवेषणा और राष्ट्रीय गवेषणा संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का सर्वेक्षण करने के लिये एक वैज्ञानिक आयोग नियुक्त किया जाये ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस पर सोच विचार किया है; तथा

(ग) यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). यह विषय विचाराधीन है ।

श्री गिडवानी : निर्णय कब किया जायेगा ?

श्री कानूनगो : एजर्टन आयोग के प्रतिवेदन पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा-परिषद् का प्रशासनीय निकाय विचार कर रहा है। उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत, इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

गोंचर हवाई अड्डा

*७३७. **श्री इब्राहीम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंचर हवाई अड्डा (नेपाल) में एक स्थाई विमान पथ का निर्माण आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी (आवर्तक और अनावर्तक) लागत होगी; और

(ग) इस की अर्थव्यवस्था कैसे की जायेगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

अपराधियों का नैतिक पुनर्संस्थापन

*७४२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने अब तक अपराधियों के नैतिक पुनर्संस्थापन के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में सुधार स्कूलों का पुनर्संगठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस ढंग पर ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) यह विषय संविधान की सातवीं अनुसूचि की सूची २ की मद ४ से सम्बन्धित है और राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व की परिधि में है ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री लिखते हैं कि रिफारमेटरी स्कूल या मारल रिहैबिलिटेशन आफ क्रिमिनल स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट नें स्टेट्स को कभी सोशल आर्गनाइजेशन या दूसरे आर्गेनाइजेशन्स के लिये, जो कि नाइट स्कूल्स वगैरह चलाते हैं या और इस तरह के काम करते है, कोई मदद दी है ?

डा० एम० एम० दास : नाइट स्कूल्स के लिये दूसरा बन्दोवस्त है ।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : इनको इंगलिश में जवाब देने का हक है।

डा० एम० एम० दास : जहां तक क्रिमिनल्स के मारल रिहैबिलिटेशन का सवाल है इसके लिये कोई योजना नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : यद्यपि इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, परन्तु क्या सरकार और कम से कम गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और स्वेच्छुक संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों का सर्वेक्षण किया है ?

डा० एम० एम० दास: जहां तक मुझे पता है केन्द्रीय सरकार ने गृह मंत्रालय में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जो क्रिमिनल्स अच्छी तरह से रहना चाहते हैं उन को पुलिस मजबूर करती है कि वह खराब काम करें ।

डा० एम० एम० दास : यह सवाल तो हमारी प्रदेश की सरकारों से पूछना चाहिये ।

लेखा प्रक्रिया का विकेन्द्री करण

***७४५. श्री सारंगधर दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के लिये पृथक् लेखा संगठन बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इस के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या इस विषय में कोई विनिश्चय किया गया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह परिवर्तन नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक के इस सुझाव के अनुसार किया गया है कि लेखा संधारण को लेखा-परीक्षा से पृथक कर देना चाहिये क्योंकि यह अनुपयुक्त है कि वही प्राधिकारी लेखों का संधारण करे जो लेखा परीक्षा करता हो । लोक लेखा समिति ने भी इस सुझाव का समर्थन किया है ।

(ग) रक्षा तथा रेलवे विभागों के मामलों में लेखा संधारण और लेखा परीक्षा का पृथकीकरण पहले ही हुआ है और जैसा आय व्ययक भाषण में कहा गया है, उस के अनुसार तीन विभागों अर्थात् संभरण, खाद्य तथा पुनर्वास में १ अप्रैल, १९५५ से लेखों के पृथकीकरण के लिये कार्यवाही अभी से ही की जा रही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या यह परिवर्तन करने में कोई कठिनाई अनुभव की जा रही है ?

श्री एम० सी० शाह : कोई विशेष कठिनाई नहीं है ; कठिनाइयां होती ही हैं परन्तु हम उन्हें हटा रहे हैं ।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण

***७५०. ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरेवाला समिति की सिफारिश के अनुसार ग्रामीण ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : जैसा पहले घोषित किया गया है, देश भर के लिए एक एकीकृत वाणिज्यिक महाजनी संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में विचार को अन्तिम रूप देने तक के लिए सरकार ने ऐसे एकीकरण की प्रथम कार्य-वाही के रूप में, इम्पीरियल बैंक पर प्रभावी नियंत्रण का निश्चय किया है । सहकारी संस्था के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की अन्य उन विभिन्न सिफारिशों पर, जिन पर राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित स्वार्थों के परामर्श से विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है, यथासमय कार्य किया जायेगा ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : कमेटी में कौन कौन व्यक्ति थे और उन में कोई कौआपरेटर थे या नहीं, कोई थे तो उन के क्या नाम हैं और अगर कोआपरेटर नहीं थे तो वे क्यों नहीं रखे गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ? क्या उन में कोई सहकारी

व्यक्ति सम्मिलित किये गये हैं ? यदि उस में सहकारी व्यक्ति नहीं हैं तो अन्य कौन लोग हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि समिति में कुछ सहकारी व्यक्ति थे । क्या माननीय सदस्य को समिति के सदस्यों के नाम चाहियें ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : जी हां, विशेषतः सहकारी लोगों के ।

श्री ए० सी० गुहा : उस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । अभी इस समय मेरे पास नाम नहीं हैं । इस प्रश्न का सम्बन्ध वस्तुतः नामों से नहीं है । परन्तु वे चाहें तो मैं उन्हें कुछ मिनटों पश्चात् नाम बता सकता हूं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह बात सही है कि जो भी रिकेमेंडेशन्स इस कमेटी के द्वारा की गई हैं उन को अमल में लाने से कोआपरेटिव मूवमेंट को बहुत धक्का पहुंचेगा ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हुं कि सिफारिशों का मुख्य भाव सहकारी सस्थाओं को सुदृढ़ बनाना है सहकारी संस्थाओं और गोदाम की संस्थाओं को भी संगठित करने के लिये एक अखिल भारतीय बोर्ड बनाने की प्रस्थापना है जिस का वित्त-पोषण व्यवहार्यतः सरकारी, सहकारी समितियों और बैंकों जसी संस्थाओं द्वारा की जायेगी ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या इन सिफारिशों के ज़रिये कोआपरेटिव संस्थाओं के अधिक नियंत्रण की सिफारिश नहीं की गई है ?

श्री ए० सी० गुहा : सहकारी संस्थायें राज्य सरकारों के अधीन हैं । यदि कोई अखिल भारतीय बोर्ड होगा तो स्वाभावतः वह बोर्ड कुछ नियंत्रण करेगा परन्तु यह अधिकतर पथ प्रदर्शन और कार्यों के विनियमन के रूप में होगा न कि कार्यों के नियंत्रण के रूप में ।

जम्मू और काश्मीर राज्य में प्रवेश

*७५१. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४ में जम्मू और काश्मीर में प्रवेश के लिये कितने लोगों को अनुज्ञा-पत्र नहीं दिये गये ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) बाइस ।

श्री चौधरी मुहम्मद शफी : कितने काश्मीरियों को भारत से काश्मीर जाने की स्वीकृति नहीं दी गई और कितनों को काश्मीर से भारत आने की स्वीकृति नहीं दी गई ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास राज्य अनुसार आंकड़े नहीं हैं मेरा विचार है कि रक्षा मंत्रालय ने काश्मीरी लोगों को अनुज्ञापत्र देने से इंकार नहीं किये ।

श्री चौधरी मुहम्मद शफी : जम्मू और काश्मीर में बिना अनुज्ञापत्र प्रवेश के लिये कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझ इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री चौधरी मुहम्मद शफी : क्या इस पद्धति को समाप्त करने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ।

श्री सतीश चन्द्र : जम्मू और काश्मीर में प्रवेश का नियंत्रण जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा प्रख्यापित जम्मू और काश्मीर (प्रवेशपत्र) नियमों के अनुसार किया जाता है । रक्षा मंत्रालय भी जम्मू और काश्मीर सरकार की सहमति से अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के रूप में भी काम करती है ।

सहायक अधीक्षक

*७५५. **श्री अच्युतन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन पुस्तकों के न मिलने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली सहायक अधीक्षकों के लिये परीक्षा लिये विहित की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जी हां । सरकार को यह मालूम हुआ है कि उन पुस्तकों में जिन की सिफारिश की गई है (विहित नहीं) कई बाजार में नहीं मिलती हैं ।

तो भी व पुस्तकालयों में, मंत्रालयों के कार्यालयों में और सम्बन्धित विभागों में मिल जाती हैं इस के अतिरिक्त परीक्षार्थी उम्मीदवारों के प्रयोग के हेतु कुछ प्रतियां ले कर सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल में रखी जा रही हैं ।

श्री अच्युतन : सरकार के अनुमान के अनुसार लगभग कितने पदाधिकारी इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं ।

श्री दातार : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं

श्री अच्युतन : पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें प्राप्य होंगी ताकि यदि कोई पदाधिकारी उस पुस्तक को लेना चाहता हो तो उसे कुछ दिनों के लिये रख सके ?

श्री दातार : पुस्तकालयों में और कार्यालयों के विभिन्न विभागों में भी कई प्रतियां उपलब्ध हैं ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार कथित पुस्तकों को मुद्रित और प्रकाशित करवाएगी ताकि सभी उम्मीदवार पुस्तकों की एक एक प्रति रख सकें और परीक्षा केवल धोखा ही न हो वरन उम्मीदवारों के अध्ययन पश्चात् उनके गुण अवगुणों के आधार पर परीक्षा हो ?

श्री दातार : सरकार यह प्रबन्ध करने के लिये तैयार है कि इन पुस्तकों की प्रतियां पुस्तकालयों अथवा कार्यालयों में उपलब्ध हों ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि छः पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं— कार्यालय प्रक्रिया की संक्षिप्त पुस्तक, मूल नियम और अनुपूरक नियम, असैनिक सेवा विनियमन (सेवा निवृत्ति-भाग) भविष्य निधि नियम, सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियम, तथा श्रेणीकरण, नियंत्रण और अपील नियम । अब जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं और उम्मीदवार बजट सत्र में लगे हुए हैं क्या उन के छुट्टी के लिये आवेदन पत्रों पर सहानुभूति से विचार किया जयेगा ।

श्री दातार : मेरी जानकारी के अनुसार केवल कुछ पुस्तकें, एक या दो, उपलब्ध नहीं हैं । तो भी सरकार यह प्रबन्ध करेगी कि जब कभी इन पुस्तकों की आवश्यकता हो वे दी जायें ।

जेट विमान दुर्घटना

*७५९. **श्री अमजद अली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु बल के एक जेट विमान की ५ फरवरी १९५५ को हैदराबाद के समीप दुर्घटना हुई जिस के फलस्वरूप उस में बैठा हुआ एक व्यक्ति मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के कारण की जांच के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ; और

(ग) क्या समिति ने अब तक कोई प्रतिवेदन पेश किया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ४ फरवरी, १९५५ को –५ को नहीं– एक वम्पायर विमान हाकिमपेट हवाई अड्डे के समीप गिर गया था और चालक मरा था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच न्यायालय की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई ।

श्री अमजद अली : जब से इस प्रकार का विमान भारतीय वायु बल में रखा गया है कितनी विमान दुर्घटनायें हो चुकी हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री अमजद अली : क्या इस प्रकार का विमान भारत में निर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : हिन्दुस्तान विमान कारखाना में इस के पुर्जे जोड़े जाते हैं । इंजन अवश्य ही आयात करना पड़ता है और विमान का ढांचा अधिकतर भारत में बनाया जाता है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि इस विमान दुर्घटना में सब व्यक्ति मारे गये थे तो वे दुर्घटना के कारण की जांच कैसे कर सकते हैं ?

सरदार मजीठिया : उड्डयन के बारे में जानकारी विमान मुख्यालय में है । उन की जानकारी और उपलब्ध परिस्थितियों सम्बन्धी साक्ष्य के आधार पर हम जांच कर रहे हैं ।

छात्र स्वास्थ्य सेवा योजना

***७६१. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में छात्र स्वास्थ्य सेवा जारी करने के लिये सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक प्रयोगात्मक परियोजना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) यह योजना अभी बन ही रही है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस योजना पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय की जानी है ?

डा० एम० एम० दास : ऐसी कोई योजना नहीं है जो देश के सभी भागों में लागू हो परन्तु एक प्रयोगात्मक परियोजना पर विचार किया जा रहा है । यदि इस प्रयोगात्मक परियोजना को लागू किया गया तो इस पर कुल १,००,००० रुपये व्यय होगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ बतायेगी कि यह प्रयोगात्मक परियोजना कहां और किस राज्य में लागू की जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : भोपाल में ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस परियोजना में बालकों को चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षण भी होगा और उनके लिये भोजन व्यवस्था भी होगी ?

डा० एम० एम० दास : जी हां । चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षण भी होगा और पौष्टिक भोजन तथा औषधियों की भी व्यवस्था की जायेगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस योजना के अधीन कितने छात्रों को लाभ होने की सम्भावना है ?

डा० एम० एम० दास : १०,०००।

केन्द्रीय अभ्रक मंत्रणा समिति

*७६२. **श्री जे० आर० मेहता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अभ्रक मंत्रणा समिति के सदस्य केवल राज्य सरकारों की सिफारिशों पर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं और अभ्रक उद्योग तथा व्यापार की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा चुने गये सदस्य नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस समिति को पूर्णतः प्रतिनिधित्व के आधार पर पुनः निर्माण करने की कुछ प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् :

(ख) और (ग) नहीं, श्रीमान्।

श्री जे० आर० मेहता : क्या किसी राज्य की अभ्रक संस्था का सभापति चुने जाने वाले व्यक्ति को अभ्रक मंत्रणा बोर्ड के चुनाव की सभी उपाधियां स्वतः ही सभापतित्व के नाते मिल जाती हैं ?

श्री कानूनगो : जी नहीं। राज्य सरकार इस बोर्ड के अपने सदस्यों के लिये लोगों को नामनिर्दिष्ट करती है और भारत सरकार उन्हें उस रूप में ले लेती है।

डा० रामा राव : इस समिति के कितने सदस्य अभ्रक की खानों के श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं ?

श्री कानूनगो : श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं होता।

चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम

*७६५. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अमरीका के साथ हमारे सामान्य चतुर्थ सूत्री करार के पदों के अनुसार भारत को इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार को जानकारी भेजनी पड़ती है कि अन्य देशों या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्या शिल्पिक सहायता मांगी गई है अथवा मांगी जा रही है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : हां, श्रीमान्।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को यह संतोष है कि इस करार के कारण हमारे उन देशों के साथ आर्थिक सम्बन्धों में बाधा नहीं आती जिन्हें अमरीका वांछनीय नहीं समझता।

श्री बी० आर० भगत : सरकार इस करार को सर्वथा उचित समझती है क्योंकि हम अन्य देशों से प्राप्त शिल्पिक सहायता के सम्बन्ध में जो जानकारी देते हैं वह केवल इस लिये कि किसी एक ही कार्य के लिये प्रयत्न की आवृत्ति न हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि चतुर्थ सूत्री विशेषज्ञों के अमरीका की कांग्रेस की समितियों में गुप्त रूप से साक्ष्य दिया है और कि संभवतः वे हमारे देश में शिल्पिक सहायता की बजाय अन्य कार्यों में लगे हुए हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों से सहायता या सहकारिता प्राप्त करने में सरकार की कार्यवाही में कोई संकोच होने का प्रश्न उत्पन्न

नहीं होता । जहां तक सदस्य के अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है उन्होंने गुप्त रूप से साक्ष्य दिया है । परन्तु हमें पता नहीं कि उन्होंने क्या साक्ष्य दिया है ।

मध्य भारत को अनुदान

*७६६. **श्री डामर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत सरकार को, राज्य की विकास योजनाओं के हेतु, १९५४–५५ के लिये कितनी धन राशि सहायक अनुदान के रूप में मंजूर की गई है ; और

(ख) अब तक कितनी राशि दी जा चुकी है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में तथ्य और आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और ये सदन में प्रस्तुत किये जायेंगे ।

श्री डामर : यह आंकड़े कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

श्री बी० आर० भगत : इस के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

आसाम में तेल

*७६७. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आसाम से समृद्ध तेल क्षेत्रों का पता चला है;

(ख) क्या अन्यत्र भी वैसे ही तेल-क्षेत्रों के लिये पूरी-पूरी खोज की जा रही है ;

(ग) इस बारे में किस सीमा तक विदेशी परामर्श लिया जाता है, और तदनुसार काम किया जाता है; और,

(घ) विदेशी टैकनीकल और विशेषज्ञ ज्ञान के ऊपर इस प्रकार निर्भर रहना दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री सी० आर० नरसिंहन् : बताया गया है कि भारत सरकार ने स्टैंडर्ड वैकुअम तेल कंपनी के साथ एक समझौता किया है । क्या आसाम क्षेत्र के लिये आसाम तेल कंपनी के साथ कोई समझौता किया गया है ?

श्री कानूनगो : आसाम क्षेत्र में पड़ताल हो रही है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : किन शर्तों पर ?

श्री कानूनगो : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री देवेश्वर सर्मा : क्या नये पिले हुए तेल के शोधन के लिये दिगबोई के संयंत्र को विस्तृत करने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कानूनगो : नये पिले हुए तेल के बारे में पूरा विश्वास नहीं है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या खनिज तेल संसाधन की निम्न कोटि के कोयले से सांश्लेषिक पैट्रोल बना कर पूर्ति करने के लिये कोई निश्चित् योजना बनायी गयी है या अभी गवेषणा ही हो रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह गवेषणा की ही स्थिति में नहीं है । सभी जानते हैं कि सांश्लेषिक पैट्रोल बन सकता है और

बार-बार समितियां नियुक्त की गई हैं और हमारे पास पूरी पूरी जानकारी है। प्रश्न प्राथमिकता देने का है।

श्री अमजद अली : क्या आसाम तेल के लिये आसाम में एक शोधनशाला स्थापित करने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री कानूनगो : अभी नहीं। जब तक तेल न मिले, शोधनशाला स्थापित करने की बात नहीं उठती।

भूतपूर्व सैनिक

*७६९. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शरीर से सक्षम भूतपूर्व सैनिकों को फिर से नौकरी पर लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को उनकी भलाई के लिये इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो यह योजना किस ने तैयार की है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां। उचित असैनिक नियुक्तियों (अप्वाइन्टमेंट्स) में जहां तक कि जगह खाली हों और भूतपूर्व सैनिक दी हुई योग्यताओं को पूरा करें।

(ख) किसी बाहरी एजेन्सी से कोई योजना या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु सरकार ने खुद कई योजनायें उनके पुनः स्थापन और भलाई के लिये बनाई हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री भागवत झा आज़ाद : चूंकि ये एक्स सरविस मैन नौकरियों के लिये आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिये उनको कौन सी सुविधायें दी जाती हैं जिनके फलस्वरूप उन्हें यह नौकरियां मिल सकें ?

सरदार मजीठिया : डाइरेक्टर जनरल ऑफ रिहैबिलिटेशन उनको पढ़ाते हैं और कोशिश की जाती है कि उनको उस स्टेज पर ले आया जाय कि उनको नौकरियां मिल सकें।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि एक्स सरविसमैन का कौनसा प्रतिशत ऐसा है जो नौकरी करना चाहता है, पर उन्हें फिर भी नौकरी नहीं मिल पाई है ?

सरदार मजीठिया : उसके लिये पूर्व-सूचना चाहिये। यह इतना विस्तृत प्रश्न है कि इसके लिए काफी काम करना पड़ेगा।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें सहायता करने के माध्यम क्या हैं, और क्या यह सत्य है कि हर जिले में जो बोर्ड है उसके प्रधान जिलाधीश होते हैं और उनको इतनी फुरसत नहीं मिलती है कि वह बोर्ड की एक भी मीटिंग बुला सकें ?

सरदार मजीठिया : मीटिंग्स तो उनकी की जाती हैं। यह मीटिंग्स बुलाते हैं और मीटिंग्स होती हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसी इत्तला नहीं है कि मीटिंग्स नहीं होतीं।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि माननीय उपमंत्री महोदय ने अभी कुछ दिन पहले अम्बाला में फरमाया था कि जो एक्स सरविसमैन हैं उनको रोजगार देने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि वह कार्यक्रम क्या है ?

सरदार मजीठिया : हम उनको ज़मीनों पर बसाते हैं, इसके इलावा उनके लिये

कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं और उनको सरकारी नौकरी भी दी जाती है। प्राइवेट नौकरी दिलाने में भी उनकी मदद की जाती है। और भी बहुत सी सुविधायें दी जाती हैं। किसी खास के बारे में आप जानना चाहें तो बतलाया जा सकता है।

युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर

*७७०. **श्री राम दास :** क्या शिक्षा मंत्री निम्न बातें बतलाने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५-५६ में युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर संगठित करने के लिये बनाया गया कार्यक्रम; और

(ख) राज्यवार कौन कौन स्थान शिविरों के लिये चुने गये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). १९५५-५६ का पूरा कार्यक्रम अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ है।

श्री राम दास : इस साल उनके लिये कितना व्यय किया जायगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : यह तो अभी बतलाना मुश्किल है क्योंकि उसका पूरा प्रोग्राम अभी तै नहीं हुआ है।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि मिनिस्ट्री ने डिफरेंट स्टेट्स को इसके लिये इत्तला दी है और इसके लिये नाम मांगे हैं ?

मौलाना आज़ाद : हां, ज़रूरी कार्रवाई हो रही है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

*७७२. **श्री बी० एन० कुरील :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को टैकनीकल प्रशिक्षण देने के लिये वैसे ही केन्द्र खोलने का निश्चय किया है, जैसा कि एक केन्द्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : इस मामले पर मूलतः विचार राज्य सरकार को करना है। भारत सरकार तो राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों की उन्नति और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास और प्रभावी रूप से अस्पृश्यता दूर करने के उद्देश्य से बनाई गई चुनी हुई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सहायता अनुदान ही देती है।

श्री बी० एन० कुरील : टैकनीकल प्रशिक्षण के लिये कहां-कहां केन्द्र खोले जाने वाले हैं ?

श्री दातार : जहां तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, मुझे पता चला है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिये ऐसी कोई संस्था नहीं है; जहां तक कुछ और राज्यों का सम्बन्ध है, बिहार, बंबई, हैदराबाद, राजस्थान और अजमेर में टैकनीकल संस्थायें हैं।

श्री तिम्मय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार योजना आयोग को यह सुझाना चाहती है कि वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लाभ के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की व्यवस्था करें जिससे उनको शिक्षित बनाया जा सके और भविष्य में आप जो विभिन्न उद्योग खोलेंगे, उनमें उनको लगाया जा सके ?

श्री दातार : ऐसे सुझाव पहले से ही राज्य सरकारों के सामने हैं और योजना आयोग ऐसी योजनायें कार्यान्वित नहीं करता।

श्री वेलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या यह केन्द्रीय सरकार की नीति है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये इस प्रकार के पृथक् प्रशिक्षण विद्यालय खोले जायें ?

श्री दातार : सामान्यतः जब तक ऐसे विद्यालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हित में परम आवश्यक न हों, नीति पृथक् विद्यालय खोलने की नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : किन-किन राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री दातार : मेरे पास ब्योरे यहां पर नहीं हैं पर मैं बता सकता हूं कि बिहार में चैबस्सा में प्रशिक्षण विद्यालय है, हैदराबाद में अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय है और राजस्थान में औद्योगिक प्रशिक्षण शिविर है ।

रूस में योगासन

***७७३. बाबू रामनारायण सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री ३० नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस स्थित हमारे दूतावास से सोवियट सरकार द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं में योगासन शुरू करने के बारे में कोई उत्तर मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) भारतीय दूतावास को सोवियट सरकार के ऐसे किसी निर्षक का पता नहीं है ।

श्री केशवैयंगार : मैं जान सकता हूं कि क्या शारीरिक व्यायाम की इस प्रणाली को देश में लागू करने के बारे में सरकार की कोई रुचि नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार को इस बारे में बहुत रुचि है और योग सम्बन्धी गवेषणा के लिये यथासम्भव सब कुछ किया जाता है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : कहां ?

डा० एम० एम० दास : बम्बई राज्य स्थित एक संस्था के द्वारा ।

आजाद हिंद फौज के भूतपूर्व कर्मचारी

***७७४. श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री ३० नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना के कुल कितने अधिकारियों और सैनिकों ने आजाद हिन्द फौज में भाग लिया था ;

(ख) उन में से कितने व्यक्ति अब तक भारतीय सेना में फिर से काम पर लगा लिये गये हैं ; और

(ग) उन में से कितने व्यक्तियों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों में अब तक नियुक्त किया जा चुका है?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २३,२६६ ।

(ख) १,१५२ ।

(ग) राज्य सरकारों आदि में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या का पता नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आज़ाद हिन्द फौज़ के बहुत कम अधिकारियों और सैनिकों को अभी तक भारतीय सेना में स्थान मिले हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उन को और अधिक

संख्या में लेने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : उन में और दूसरे एक्स सरविसमैन में कोई फर्क नहीं किया जाता जो सुविधायें दूसरे एक्स सरविसमैन को दी जाती हैं वही उन को भी मिलती हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि आजाद हिन्द फौज के जिन अफसरों और सैनिकों को कोई रोजगार नहीं मिला है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत चिन्ताजनक है तथा उनमें गहरा असंतोष फैला हुआ है और क्या इसलिये सरकार उनके जब्त किये हुये हिसाब को देने के बारे में विचार कर रही है?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, इसके बारे में विचार नहीं किया जा रहा है ।

डा० सुरेश चन्द्र : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि दूसरे एक्स सरविसमैन और आई० एन० ए० वालों म कोई फर्क नहीं किया जाता । तो (१) क्या कारण है कि यह इतने कम लिये गये हैं ? और (२) क्या कारण है कि आजाद हिन्द फौज के सदस्यों का जो ग्रेचुइटी और पेंशन्स का रुपया था जो कि अर्न्ड था वह हजारों की तादाद में गवर्नमेंट के पास दरख़ास्तें आने पर भी अभी तक नहीं दिया गया है । यह गवर्नमेंट के एऊपरक स्टिगमा बना हुआ है । क्या इसके बारे में कोई निश्चित उत्तर (डेफिनिट आन्सर) दे सकते हैं ?

सरदार मजीठिया : स्टिगमा कोई नहीं लगा हुआ है । जिन जिन की दरखास्तें आती हैं उन पर विचार होता है और उन पर आवश्यक कार्यवाही होती है ।

प्रादेशिक सेना

*७७५. **श्री झूलन सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब और दिल्ली में प्रादेशिक सेना की परामर्शदात्री समिति की इस सिफारिश की ओर आकर्षित किया गया है कि रक्षा सेवाओं में आगे से जो भरती हो, वह यथासंभव प्रादेशिक सेना में से की जाये; और

(ख) प्रादेशिक सेना में भरती को प्रोत्साहित करने और उसके लिये सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) हाल में प्रादेशिक सेना में भरती की दशा बहुत सुधर गई है । एफकों की अधिकृत संख्या में जो कमी थी, वह प्रायः पूरी हो गई है ।

मैं यह भी बतलाना चाहुंगा कि वह अब लगभग ९६ प्रतिशत तक पहुंच गई है ।

श्री झूलन सिंह : मैं जान सकता हूं कि प्रश्न के भाग (क) में निहित सुझाव पर, जो कि पंजाब जैसे सेना की ओर झुकाव रखने वाले राज्य ने दिया है क्या सरकार उचित ध्यान देगी ?

सरदार मजीठिया : सरकार के सामने जो भी बात आती है, उस पर उचित ध्यान दिया जाता है, चाहे यह पंजाब से आये या मद्रास से, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता ।

वैस्ट मिनिस्टर बैंक के विरुद्ध डिग्री

* ७७६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी ।** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री मोइन नवाज जंग द्वारा वैस्ट मिनिस्टर बैंक में पाकिस्तान

के उच्च निदेशक के नाम से अवैध रूप से हस्तांतरित राशि को वसूल करने के लिए चलाए गए मामले में डिग्री दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने रुपए की डिग्री दी गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) और (ख). नहीं, मामला न्यायाधीन है ।

माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि प्रतिवादियों के विरुद्ध लिखत मिल गई है और दावों का विवरण भेज दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मामला न्यायाधीन है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि जब यह राशि लगभग ७ वर्ष पहले पुलिस-कार्यवाही होने से पहले ही हस्तांतरित की गई थी, तो इस मामले का निर्णय होने में इतनी देर क्यों लगी है ?

श्री दातार : मामला चलाने से पहले सरकार को कई बातों पर विचार करना पड़ता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कुल कितनी राशि के लिये अभियोग चलाया गया है ?

श्री दातार : कुल राशि १,०७,९४० पौंड है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह राशि राज्य सरकार की है या निजाम की ?

श्री दातार : ये प्रश्न मामले के गुण-दोषों को लेते हैं । इस मामले में मैं और प्रश्नों का उत्तर न दे सकूंगा ।

औद्योगिक संग्रहालय

*७७७ **श्री इब्राहीम . क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित औद्योगिक संग्रहालय पर अनुमानित व्यय कुल कितना होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री कानूनगो) : व्यय का अनुमान एक उप-समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिस का काम अभी पूरा नहीं हुआ है ।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कब और कहां पर चालू होंगे ?

श्री कानूनगो : एक सब कमेटी बनी हुई है जो कि एस्टीमेट बना रही है । जब एस्टीमेट बन जायेगा और रुपया मंजूर हो जायेगा तो काम शुरु होगा ।

रक्षित बैंक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक

*७७८. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा भारत के रक्षित बैंक को १९५३–५४ में विभिन्न सरकारी लेन-देन के काम करने के लिये कुल कितनी राशि दी गयी थी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा): सरकार के सामान्य बैंकिंग कार्य के संपादन के लिये रक्षित बैंक किसी भी पारिश्रमिक का अधिकारी नहीं है । फिर भी, भारत के रक्षित बैंक के साथ हुए समझौते में भारत सरकार के लोक ऋण के प्रबन्ध के लिये बैंक को कमीशन देने के लिये उपबन्ध है । रक्षित बैंक को १९५३–५४ के लेखा वर्ष में (१–७–१९५३ से ३०–६–१९५४ तक) इस प्रकार दिया गया कमीशन कुल २२.१२ लाख रुपये था ।

श्री के० सी० सोधिया : इसी काल में बैंक को कुल कितना लाभ हुआ ?

श्री ए० सी० गुहा : यह सब वार्षिक रिपोर्ट में मिलेगा । मैं यही कहूंगा कि सारा लाभ भारत सरकार को मिलता है । लाभ में हिस्सा बटांने का प्रश्न नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : बैंक ने सरकारी कोष में कुल कितना रुपया दिया ?

श्री ए० सी० गुहा : आंकड़े यहां मेरे पास नहीं हैं । वह रक्षित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में मिलेगा । मुझे उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एन० एम० लिंगम् : जब सारा लाभ भारत सरकार को मिलता है, तो ऋण का कार्य करने के लिये कमीशन देने का प्रश्न क्यों उठता है ?

श्री ए० सी० गुहा : रक्षित बैंक एक बैंक के रूप में काम करता है । और अपना व्यापारिक खाता रखता है । सामान्य बैंकिंग कार्य के लिये उन को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, केवल लोक ऋण के प्रबन्ध के लिये उन को कुछ कमीशन मिलता है जिस से कि खर्च पूरा हो सके ।

बुनियादी शिक्षा का विकास

*७७९. **श्री गिडवानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसी कि शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी, अब तक बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का पता लगाने के लिये हाल में क्या कोई निर्धारण-समिति नियुक्त की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक भेजेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) से (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]

श्री गिडवानी : इस समिति के सदस्य कौन कौन होंगे ?

डा० एम० एम० दास : समिति के सदस्य यह हैं :

श्री जी० रामचन्द्रन, मद्रास सरकार के भूतपूर्व शिक्षा सलाहकार, संयोजक; श्री ई० डब्ल्यू० फ़ेकलिन, श्री सईद अंसारी, श्री आर० एस० उपाध्याय और श्री जे० सी० बोस ।

श्री गिडवानी : मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों में बुनियादी शिक्षा को व्यवहार्य किया जा रहा है और क्या उक्त राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदन संतोषजनक हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह समिति हाल ही में स्थापित की गई है अतः इस ने अभी अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है ।

श्री गिडवानी : क्या बुनियादी शिक्षा पद्धति कुछ राज्यों में पहले प्रचलित नहीं थी और क्या वर्तमान में कुछ राज्यों में भी यह प्रचलित नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : बुनियादी शिक्षा पद्धति सभी राज्यों में आरम्भ की जा चुकी है । किन्तु जहां तक इस विशेष समिति का सम्बन्ध है यह इस बात का लेखा जोखा करने के लिये स्थापित की गई है कि हम बुनियादी शिक्षा पद्धति को चलाने में कहां तक सफल हुए हैं ।

श्री गिडवानी : अभी तक क्या निष्कर्ष मालूम हुआ है ? क्या यह योजना सफलीभूत हुई है ?

डा० एम० एम० दास : यह निर्धारण समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर है। समिति द्वारा परिणाम निर्धारित किये जायेंगे।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति यह जानने का प्रयत्न भी करेगी कि क्या किसी बुनियादी शिक्षा संस्था को शिक्षा परामर्शदाता, मंत्रियों के पालक अथवा बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक में से किसी को प्रविष्ट करने का विशेषाधिकार है ?

डा० एम० एम० दास : सभा पटल पर रखे गये विवरण में समिति के सम्पूर्ण निर्देश-पद दिये गये हैं।

कोयला निक्षेप

*७८१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में १९५४ में कोई नवीन कोयला निक्षेप मालूम किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित निक्षेप के क्षेत्र एवं विस्तार सर्वेक्षण के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी प्रकट करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण में लिखा है :

"भूतत्वीय ज्ञान की दृष्टि से देश के समस्त कोयला क्षेत्र अथवा वे क्षेत्र जहां कोयला मिलने की सम्भावना है भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण को ज्ञात है।" श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि भारत का यह भूतत्वीय सर्वेक्षण कब हुआ था ?

श्री कानूनगो : पिछले सौ वर्षों से भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। कुछ वर्षों पूर्व ही उन्होंने शताब्दी समारोह मनाया था।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भूतत्वीय विज्ञान इतना जड़वत है कि एक सौ वर्ष तक कार्य करने से पश्चात् किसी नवीन बात का पता नहीं लगा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न गलत निर्वचन पर आधारित है। माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा खोज की गई नई तहों के बारे में क्या किया गया है और वहां से खनिज पदार्थ निकालने के सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

श्री कानूनगो : जब कोई नई तह अथवा सम्भावनायें भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण की दृष्टि में आती हैं वे इस का निर्धारण करने के लिये समुचित प्राधिकारियों से इस का निर्देश करते हैं, इस स्थिति में समुचित प्राधिकार राज्य सरकार का है।

श्री हेडा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समिति के कुछ प्रतिवेदन अत्यंत अस्पष्ट हैं—मैं विशेष रूप से हैदराबाद राज्य के बारे में प्रतिवेदन की ओर निर्देश कर रहा हूं —क्या सरकार को कुछ क्षेत्रों का पूर्ण सर्वेक्षण कराने का कोई विचार है ?

श्री कानूनगो : मान चित्र निर्माण और सर्वेक्षण का कार्य अनवरत रूप से किया जा रहा है। यदि राज्य सरकार रुचि रखती हो तो यह उन का कार्य होगा कि वे खोदने तथा खोज करने के काम का प्रबन्ध करें।

आयकर से विमुक्ति

*७८३. **श्री सारंगधर दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले उपदान पर आयकर निर्धारण से विमुक्ति हेतु कोई अभ्यावेदन उन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार का उपबन्ध सरकारी कर्मचारियों के लिये विद्यमान है ;

(ग) यदि हां, तो इस भेद के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त अभ्यावेदन पर कुछ कार्यवाही करने का निर्णय किया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें समान नहीं हैं ।

(घ) अभ्यावेदन अभी भी विचाराधीन है ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों के मामले में यही केवल ऐसा उदाहरण है जबकि उपदान आयकर से विमुक्त किये गये हैं अथवा कोई अन्य मामला भी है जब वेतन अथवा उपदान को आय कर से विमुक्त किया गया हो ।

श्री एम० सी० शाह : केवल यही मामला है । मृत्यु तथा निवृत्ति पर दिये जाने वाले उपदान की रकम पर १९५३ के एक संशोधन द्वारा विमुक्ति दे दी गई थी ।

श्री सारंगधर दास : क्या उपदान को वेतन का ही एक भाग नहीं समझा जाता है जिसे सेवा अवधि में अर्जित किया जाना है ?

श्री एम० सी० शाह : यह एक प्रकार का विशेष भुगतान है जो सरकारी कर्मचारियों को उन के सेवा-काल में कतिपय निर्योग्यताओं और प्रतिबन्धों का पात्र हो जाने के कारण दिया जाता है । अतः यह रकम आयकर से विमुक्त रखी जाती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पारिपार्थिक संस्थाओं के विनियोजन को आयकर से विमुक्त रखा जाता है और यदि हां तो किस आधार पर ?

श्री एम० सी० शाह : यह प्रश्न मृत्यु व सेवा निवृत्ति सम्बन्धी उपदान से सम्बन्धित है । पारिपार्थिक संस्था विषयक प्रश्न अलग है । यदि माननीय सदस्य आयकर अधिनियम का अवलोकन करें तो उन्हें मालूम होगा कि यह सब धारा १५ में दिया गया है ।

श्री बंसल : माननीय मंत्री ने कहा था कि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई छूट नहीं है क्योंकि उन की सेवा की शर्तें सरकारी कर्मचारियों से भिन्न हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सेवा की समान शर्तें और अवस्थाओं की क्या स्थिति है ? मेरा अभिप्राय सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं से है ।

श्री एम० सी० शाह : वे इस प्रकार नहीं हैं । उन की अवस्थायें समान नहीं हैं । सरकारी कर्मचारियों के लिये लगभग ८ प्रतिबन्ध अथवा निर्योग्यतायें हैं । मैं उन्हें पढ़ कर सुनाऊं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ; प्रश्न यह नहीं है कि सेवा की क्या शर्तें हैं । प्रश्न थोड़ा समस्या मूलक है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि गैर सरकारी सेवाओं की शर्तें सरकारी सेवाओं के समान होने की स्थिति में क्या किया जायेगा ।

श्री एम० सी० शाह : वे इस प्रकार नहीं हैं क्योंकि उन में अनेक प्रतिबन्ध हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है कि प्रतिबन्ध हैं अथवा नहीं हैं । प्रश्न यह है कि मान लीजिये शर्तें समान हैं तो उस स्थिति में क्या होगा ।

श्री एम० सी० शाह : उस अवस्था में भी वर्तमान आयकर अधिनियम के अधीन यह उपदान आयकर से विमुक्त नहीं किया जायेगा ।

उच्च शक्ति विद्युत् जनित्र

*७८५. **श्री एस० सी सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री शिक्षण संस्थाओं और उद्योगों में विद्युत् के मितव्यतापूर्ण संप्रेषण की गवेषणा के उचित विकास के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रबन्ध बताने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : वैसे उच्च शक्ति विद्युत् जनित्र में गवेषणा भारत में नहीं की जा रही है । विद्युत् के मितव्ययतापूर्ण संप्रेषण से सम्बन्धित समस्याओं का अनुसन्धान करने के लिये उच्च शक्ति विद्युत् इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के उपकरण के एक भाग के रूप में कुछ टेक्निकल संस्थाओं में ये जनित्र प्रतिष्ठापित किये गये हैं । उद्योगों में इस प्रकार की व्यवस्था विद्यमान नहीं है कि जो जो अपनी समस्यायें हल करने के लिये टेक्निकल संस्थाओं में प्रयोगशालाओं का भी प्रयोग करती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि देश की सर्वप्रथम टेक्नीकल संस्था—आई० आई० टी० को इस प्रकार का कोई उच्च शक्ति विद्युत् जनित्र सम्भरित किया गया है अथवा क्या सरकार इस प्रकार का कोई जनित्र खरीद रही है ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय बंगलौर की भारतीय विज्ञान संस्था से है तो मेरा उत्तर "हां" है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं बंगलौर के बारे में नहीं खड़गपुर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं ।

डा० एम० एम० दास : खड़गपुर में इस प्रकार का कोई यंत्र नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि मितव्ययता के विचार से अस्पतालों और इंजीनियरिंग कालेजों में इस प्रकार के यंत्र होने चाहियें ।

डा० एम० एम० दास : ऐसी बहुत सी वस्तुयें हैं जिन के विषय में कहा जा सकता है कि हम उन्हें प्राप्त करें । जहां तक प्रस्तुत यंत्र का सम्बन्ध है यह अत्यंत जटिल एवं पर्याप्त मंहगा है । बंगलौर की भारतीय विज्ञान संस्था में जो अकेला यंत्र स्थापित किया गया है उसकी कुल लागत ३० लाख रुपये से अधिक है । ऐसी सम्भावना है कि कुछ अन्य संस्थाओं में भी भविष्य में इसी प्रकार के यंत्र रखे जायेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय द्वारा की जा रही अणु सम्बन्धी गवेषणा के लिये ऐसे कितने जनित्र खरीदे गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं नहीं जानता और मुझे संदेह है कि क्या अणु सम्बन्ध

गवेषणा के लिये हमें इन यंत्रों की आवश्यकता है ।

पदाधिकारियों पर अभियोग चलाना

*७८६. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गजटेड़ पदाधिकारियों की संख्या जिन पर अभियोग चलाने के लिये १९५४ में सरकार की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या जिन में अनुमति दी गई थी ; और

(ग) अभियोग चलाने के परिणाम क्या हुए ?

गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : (क) ११ गजटेड पदाधिकारियों पर अभियोग चलाने की स्वीकृति के लिये १९५४ में सरकार से अनुमति मांगी गई थी । यह संख्या विशेष पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित है जिस से भारत सरकार का सम्बन्ध है ।

(ख) ९ । २ मामले विचाराधीन हैं ।

(ग) दंडित किये गये —२

मुक्त किये गये—१

जिन पर अभी अभियोग चल रहा है—

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभियोग चलाने के पूर्व पदाधिकारियों को इस प्रकार का अवसर दिया जाता है कि वे त्यागपत्र दे कर सेवा निवृत्त हो जायें ?

श्री दातार : सेवा निवृत्ति के अवसर केवल उन्हीं मामलों में दिये जाते हैं जब वे गम्भीर न हों । पूर्व जांच-पड़ताल करने के पश्चात् विभागीय कार्यवाही की जाती है अथवा अभियोग चलाया जाता है ।

'इण्डिया आफिस' अभिलेख

*७९०. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व "इंडिया आफिस" के अभिलेखों के बंटवारे के बारे में सरकार द्वारा १९४७ में एक तथ्य-निरूपण समिति स्थापित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या 'इंडिया आफिस' से अभिलेख प्राप्त करने के लिये सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार भरसक प्रत्यन कर रही है । इस सम्बन्ध में नवीनतम संवाद यह है । २६ फरवरी, १९५५ और पश्चात्वर्ती दिनों में भारत और पाकिस्तान की कर्णधार समिति की बैठक हुई थी । समिति ने अन्य बातों के साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया था । इंडिया आफिस भवन और उस की सामग्री के प्रश्न पर समिति ने निर्णय किया है कि इस विषय पर भारत और पाकिस्तान में मंत्रालय स्तर पर चर्चा की जाये ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रश्न के निर्णीत होने के पूर्व की अवधि में कुछ भारतीय विद्यार्थी और अन्य शिक्षाविद इंडिया आफिस में जा कर भारतीय स्वातन्त्र आन्दोलन सम्बन्धी कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रलेखों का अध्ययन करना चाहते थे किन्तु उन्हें सुविधायें देने से इंकार कर दिया गया ?

डा० एम० एम० दास : हमारी जानकारी यह है कि भारत के विद्यार्थियों और गवेषणा छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों को 'इंडिया आफिस' सम्बन्धी प्रत्येक सुविधा दी गई है ।

पिछड़े वर्गों संबंधी आयोग

*७९२. **श्री बी० एन० कुरील** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त पिछड़ वर्गों सम्बन्धी आयोग को, अनुसूचित जातियों की सूची से सम्बन्धित राष्ट्रपति आदेश, १९५० की जांच करने का अधिकार दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों के इस सूची में सम्मिलित किये जाने या निकाले जाने का आगामी निर्वाचन में विधान मंडल की सीटों के नियतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातर) :

(क) हां ।

(ख) हां ।

श्री बी० एन० कुरील : क्या मैं जान सकता हूं कि बैकवर्ड क्लासेस कमिशन की रिपोर्ट हाउस के सामने कब तक आ जायेगी ?

श्री दातार : इस महीने के आखीर में ।

श्री तिम्मय्या : क्या पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग द्वारा कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, और यदि हां, तो उस में क्या सिफ़ारिशें की हैं ?

श्री दातार : उन्होंने अग्रिम रूप से केवल कुछ सूचियां भेजी हैं जिनके सम्बन्ध में सिफ़ारिश की गई है । कारण तथा अन्य सामग्री अभी नहीं भेजी गई हैं । सरकार अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर ही कोई कार्यवाही करेगी ।

विदेशी व्यक्ति जो कारावास का दण्ड भुगत रहे हैं

*७९३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ मार्च, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत में ऐसे कुल कितने विदेशी व्यक्ति हैं जो कारावास का दण्ड भुगत रहे हैं ; और

(ख) वे किन किन देशों के निवासी हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). समाचार एकत्रित किये जा रहे हैं तथा सदन को समर्पित कर दिये जायेंगे ।

सीमा शुल्क कर्मचारी

*७९४. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के पुष्टिकरण तथा वरिष्टता के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों को कुछ आदेश भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इन आदेशों का परिपालन किया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) गृह-कार्य मंत्रालय ने केवल विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के पुष्टिकरण सम्बन्धी कोई विशेष आदेश नहीं जारी किये हैं, वरन् उसने विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की वरिष्टता को निश्चित करने की पद्धति के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश जारी किये हैं ।

(ख) हां, ९१ में से चार मामलों के अलावा जो कुछ टेकनिकल कारणों से

छोड़ दिये गये हैं गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से इन मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार इन चार मामलों को भी शीघ्रता के साथ निपटाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री ए० सी० गुहा : केवल चार मामले शेष रह गये हैं जिनमें से तीन के सम्बन्ध सेवा कुछ भंग हो गई थी ; या तो उन लोगों ने यहां सेवा आरम्भ करने के पूर्व त्याग पत्र दे दिया था या अनुपस्थित रहे थे । इस लिये यह एक टेकनीकल कठिनाई थी । दूसरे मामले में वह व्यक्ति शिक्षा की दृष्टि से इतना अर्ह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं क्या सरकार इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयत्न करेगी ।

श्री ए० सी० गुहा : हम शीघ्रातिशीघ्र निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

भारतीय राजदूतावासों के शिक्षा विभाग

*७९६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों या मिशनों से सम्बन्द्ध शिक्षा विभागों पर कितना खर्च किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३**]

श्री डी० सी० शर्मा : बैरन स्थित भारतीय राजदूतावास के शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य को संभवतः ज्ञात है कि हमारे बहुत से विद्यार्थी पश्चिमी जर्मनी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । हमारे मंत्रालय के ये कर्मचारी उन के हितों की देखभाल कर रहे हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : नैरोबी स्थित भारतीय उपयोग के शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा विशेष कार्य किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : हमारे मंत्रालय का यह उपविभाग विशेष उन अफ़्रीका के विद्यार्थियों के हितों की देखरेख कर रहा है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिये इस देश को आते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या भारत के अन्य राज्य दूतावासों या मिशनों में सरकार ऐसे शिक्षा विभाग खोलने का विचार कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : हमारे आस्ट्रेलिया स्थित प्रधान प्रदेष्टा कार्यालय में शिक्षा विभाग के एक ऐसा विभाग खोलने की एक प्रस्थापना है । यह विचाराधीन है ।

श्री हेडा : विवरण से प्रकट होता है इस पर खर्च होने वाली धनराशि प्रति वर्ष कम होती जा रही है । इस का कारण क्या है ? क्या विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है या सरकारी सहायता की राशि कम होती जा रही है ?

डा० एम० एम० दास : इस का कारण मितव्ययता है ।

डा० सुरेश चन्द्र : : क्या सरकार को ज्ञात है कि हमारे राजदूतावासों के लिये शिक्षा अधिकारी विद्यार्थियों के प्रति बहुत कम ध्यान देते हैं, और यदि ज्ञात है, तो सरकार इस में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वह इस के बिल्कुल विपरीत है ।

व्यवहारिक प्रशिक्षण वृत्ति योजना

*७९८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवहारिक प्रशिक्षण वृत्ति योजना जिस की सिफ़ारिश वैज्ञानिक जन बल समिति ने की थी संतोष पूर्ण रूप से कार्य करती रही है ;

(ख) क्या यह योजना केवल १९५४–५५ तक के लिये ही मंजूर की गई है या इस की अवधि उस के बाद और भी बढ़ाई जायेगी ;

(ग) उस पर अब तक (प्रतिवर्ष) कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत छांटे गये उम्मेदवारों को अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद नौकरियां मिल गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) यह योजना आगामी वर्षों में भी जारी रखी जायेगी ।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(घ) अपेक्षित जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : जितने प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं उन की संख्या क्या है ?

डा० एम० एम० दास : ये केन्द्र के सारे उद्योग हैं जो सरकार के आधीन या गैर सरकारी निकायों के अधीन चल रहे हैं । इन्हीं में से अधिकांश इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिये रख लेते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : इन छै वर्षों में कितने व्यक्ति इस प्रकार रखे गये और क्या वह सब सेवायुक्त हो चुके हैं ।

डा० एम० एम० दास : यह वृत्तियां उन स्थानों के हिसाब से दी जाती हैं जिन का उपबन्ध इन उद्योगों द्वारा किया जा सकता है ।

ऐतिहासिक अभिलेख

*७९९. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अभिलेखों के राष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय से आबू पर्वत तथा भोपाल को दिये जाने वाले प्रस्थापित स्थानान्तरण के कारण गवेषणा कार्य करने वालों को असुविधा होने की संभावना है ; और

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). राष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय से कोई भी अभिलेख भोपाल भेजने की कोई प्रस्थापना नहीं है । भोपाल सरकार द्वारा भारत सरकार को दिये गये कुछ अभिलेखों के परिरक्षण के लिये भारत के राष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय का एक शाखा कार्यालय भोपाल में खोला गया है ।

राष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय की एक शाखा आबू पर्वत में खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि एक बार शिक्षा मंत्री ने स्वयं कहा था कि उन का विचार सारे अभिलेखों को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय में एकत्रित करने का था और सभी स्थानों

के गवेषणा कार्य करने वालों की भी यही मांग थी ?

डा० एम० एम० दास : क्या मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि सभी अभिलेख एक स्थान में एकत्रित किये जायेंगे ? जहां तक इन भोपाल के अभिलेखों का सम्बन्ध है, जब कि भूतपूर्व भोपाल सरकार ने इन अभिलेखों को हमें हस्तान्तरित किया था तो एक शर्त यह भी रखी गई थी कि यह अभिलेख भोपाल से हटाये नहीं जायेंगे । इस लिये जहां तक भोपाल के अभिलेखों का सम्बन्ध है, हटाने का यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिस के अनुसार ये अभिलेख देश के विभिन्न भागों में फैले हुए, भोपाल जैसे हाल के देशी राज्यों से कहीं अधिक ऐतिहासिक महत्त्व रखने वाले ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों में, तथा अकादमिक कार्य के केन्द्रों में, रखे जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार की ऐसी किसी योजना की मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय शिक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक कांग्रेस में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत की जलवायु अभिलेख-संग्रह के योग्य नहीं है इसलिये राष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय को शीतोष्ण-नियंत्रित किया जा रहा है । यदि भोपाल या आबू पर्वत पर कोई अभिलेख रखे जायेंगे तो क्या उन के लिये वहां कोई शीतोष्ण-नियंत्रित भवन निर्माण किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : रासायनिक वस्तुओं के प्रयोग से हम अपनी जलवायु के घातक प्रभाव की रोकथाम कर सकते हैं तथा कई केन्द्रों में हम ऐसा करते रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मुद्रा बाजार

***७३०. श्री एस० एन० दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंस्थापित मुद्रा बाजार को एक संगठन के ढांचे में बांधने के कोई प्रयत्न अभी तक किये गये हैं या निकट भविष्य में किये जाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में संस्थापित तथा असंस्थापित मुद्रा बाजारों में एक सम्पर्क स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग). १९३७ से रिजर्व बैंक देसी तथा असंस्थापित बैंकरों को बैंकिंग के एक संगठित ढांचे में लाने का बारबार प्रयत्न करता रहा है तथा इस के लिये उन को रुपये भेजने की सुविधायें भी दी गई हैं । फिर भी उनका एक संगठित ढांचे में विलय करना इसलिये संभव नहीं हुआ क्योंकि उन को अपने अबैंकिंग कार्यकलापों को बन्द करने में संकोच होता था ।

सहकारी तथा गोदाम व्यवस्था विकास निधि

***७३६. श्री मुरारका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैसी कि संचालन समिति ने सिफ़ारिश की थी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निधि तथा राष्ट्रीय गोदाम व्यवस्था विकास निधि को स्थापित करने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों निधियों की कुल पूंजी कितनी होगी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : : (क) और (ख) समिति की अन्य सिफ़ारिशों के साथ साथ इन मामलों पर भी तत्संम्बन्धी हितों के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है ।

अफीम और गांजा चोरी छिपे ले जाया जाना

*७३८. श्री विभूति मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल और भारत की सीमा, विशेषतया बिहार के पास वाली सीमा से अफ़ीम और गांजा अधिकाधिक मात्रा में चोरी छिपे ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चोरी छिपे माल ले जाये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) भारत सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार नैपाल से भारत को चोरी छिपे अफीम लाने ले जाने का कार्य बहुत ही कम प्रायः नगण्य स्तर पर होता है । गांजे के सम्बन्ध में, भारत नेपाल सीमा पर स्थिति १९५३ की अपेक्षा १९५४ में कहीं अधिक अच्छी थी । बिहार के पास वाली सीमा के सम्बन्ध में, जब्ती के आंकड़ों से, यद्यपि वह किसी प्रकार भी निश्चयात्मक नहीं हैं, यह दिखाई पड़ता है कि चोरी छिपे माल ले जाये जाने का जोर पिछले वर्ष की अपेक्षा १९५४ में कुछ अधिक रहा था ।

(ख) गांजा और अफ़ीम के चोरी-छिपे ले जाने को रोकने का काम मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल की सरकारों द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने इस चौर्यानयन को रोकने के लिये कई विशेष उपाय किये हैं ।

राष्ट्र शिक्षा-विज्ञान -संस्कृति संस्था का सम्मेलन

*७३९. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संस्था (यूनैस्को) की प्रशासकीय समिति के निर्णय के अनुसार उस संस्था के सम्मेलन के लिये कौन सा स्थान तथा तिथियां निश्चित की गई हैं ;

(ख) इस सम्मेलन पर अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा और उसमें से कितना भारत सरकार देगी और कितना उक्त संस्था देगी ;

(ग) सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा होगी; और

(घ) इस सम्मेलन में किन देशों को निमंत्रित किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी का विवरण सभा के सामने है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]

सरकारी नौकरियों के लिये भर्ती

*७४०. डा० राम सुभग सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों के लिये नान गजेटेड पदों के विज्ञापनों के उत्तर में प्राप्त सभी आवेदनों की पहले छानबीन की जाती है और उसके बाद केवल कुछ प्रार्थी इन्टरव्यू या परीक्षा के लिये बुलाये जाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन्टरव्यू के कार्ड किस आधार पर दिये जाते हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). साधारणतया नान-गज़ेटेड पदों की नियुक्ति मंत्रालयों में इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा होती है। मंत्रालयों को रिक्त स्थानों के लिये विज्ञप्ति तब निकालने की छूट होती है जब कि इम्पलायमेंट एक्सचेंज के पास भेजने के लिये योग्य प्रार्थी नहीं होते हैं या उनके द्वारा भेजे गये प्रार्थी अयोग्य समझे जाते हैं। प्रार्थी के इन्टरव्यू के लिये चुनाव की कोई अंकित कसौटी नहीं है। उन प्रार्थियों को, जो विज्ञापन में दी गई योग्यता की पूर्ति नहीं करते हैं या जिनको उनकी जानकारी के आधार पर अयोग्य समझा जाता है, या किसी दूसरे कारणवश, इन्टरव्यू के लिये नहीं बुलाया जाता है।

एच० टी० २ वायुयान

*७४१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशिया में एच० टी० २ वायुयानों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : हिन्दूस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड ने एच० टी० २ वायुयानों को लोकप्रिय बनाने के लिये यह कार्यवाहियां की हैं :—

(क) ये वायुयान श्रीलंका एअर रैली में भाग ले रहे हैं।

(ख) वायुयान सम्बन्धी साहित्य विदेशी वायुदलों, उड्डयन क्लबों और असैनिक उड्डयन प्राधिकारियों को परिचालित किया गया है।

(ग) विदेशों में इस वायुयान के प्रदर्शन के लिये १.२५ लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

(घ) दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वायुयान का एक प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है।

प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

*७४४. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में एक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रस्थापना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की सम्मति प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना के सम्बन्ध में उस की क्या प्रतिक्रियायें हैं ; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य में विश्वविद्यालय चालू करने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में एक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। विषय विचाराधीन है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

विशेष रियायती टिकट सुविधा

*७४६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गर्मी के मौसम में पहाड़ी स्थानों अथवा स्वास्थ्य केन्द्रों को जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये इस वर्ष विशेष रियायती टिकट सुविधा को पुनः चालू करने जा रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अभी फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के समक्ष नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

*७४७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री ३० नवम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने अब तक अनुसूचित जाति के कितने भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वासित किया है और उन्हें किस प्रकार का कार्य दिया गया है ; और

(ख) कितने भूतपूर्व सैनिकों को सरकार ने खेती के लिये निशुल्क भूमि दी है और उनमें अनुसूचित जाति वालों की संख्या कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). १९५० से आजतक पुनर्वासित किये गये भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है :—

(१) सरकारी निजी सेवा...४१२७

(२) व्यवसायिक/प्राविधिक प्रशिक्षण ७९

(३) भूमि उपनिवेशों में बसाये गये ४७५

(१) और (२) में दिखायी गयी संख्या के सम्बन्ध में यह बताना संभव नहीं है कि उनमें अनुसूचित जाति के लोग कितने हैं। (३) में दिखायी गई संख्या में यह बताया जा सकता है कि १०४ व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं। आवंटित भूमि ५ रुपये प्रति एकड़ के मामूली वार्षिक किराये पर २० वर्ष के पट्टे पर दी गयी है।

संयुक्त राष्ट्र निधि

*७४८. **श्री पुन्नूस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास के लिये विशेष संयुक्त राष्ट्र निधि स्थापित कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या कार्यक्रम है और उस से भारत को क्या लाभ होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) नहीं, श्रीमान्। प्रस्थापना अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

त्रिपुरा में पंचायत प्रथा

*७४९. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री २८ अप्रैल, १९५४ को त्रिपुरा में ग्राम पंचायतों की स्थापना के सम्बन्ध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : विषय अभी विचाराधीन है।

केन्द्रीय सचिवालय में अनुसूचित जातियां

*७५२. **श्री रामानन्द दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संरक्षण आदेश के जारी किये जाने के बदले केन्द्रीय सचिवालय की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित किये गये कितने स्थान प्रति वर्ष व्यपगत हुए हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जानकारी एकत्र की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

भूतपूर्व सैनिक

*७५३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों की ओर आकृष्ट किया गया है जिन्हें अपने अधिकारों का तथा विभिन्न निधियों से प्राप्त होने वाली सहायता की कोई जानकारी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जानकारी के प्रचार के लिये कौन सी कार्यवाही की जाने की प्रस्थापना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) समय समय पर सरकार के भूतपूर्व सैनिकों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं और उन पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

(ख) एक पुस्तिका, जिस का नाम "भूतपूर्व सैनिकों और उन के परिवारों को मार्ग दर्शन सम्बन्धी जानकारी" है सभी प्रमुख भाषाओं में पहले ही छापी जा चुकी है और वह भूतपूर्व सैनिकों को विरतरित की जा रही है । पुस्तिका की अंग्रेजी प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

माध्यमिक स्कूल, अंदमान

*७५४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान के माध्यमिक स्कूल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड अजमेर से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कब कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५६ से ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

केन्द्रीय रक्षित पुलिस अधिनियम

*७५६. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रक्षित पुलिस अधिनियम के अधीन नियम बना लिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस लुप्ति का पदाधिकारियों और निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों की नियुक्ति की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार), (क) हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

हिन्दी

*७५७. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिये किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं :—

(१) जुलाई १९५२ से मुफ्त हिन्दी पढ़ाने के लिये नई दिल्ली में कक्षायें खोल दी गई हैं ।

(२) हिन्दी कक्षाओं की पढ़ाई की समाप्ति पर यह मंत्रालय हिन्दी प्रबोध परीक्षा का प्रबन्ध करता है । इस परीक्षा में जो विद्यार्थी पहले दूसरे और तीसरे दर्जे पर आते हैं उन के लिये इनाम रखे गये हैं ।

(३) केन्द्रीय शिक्षण पुस्तकालय (सेन्ट्रल एजुकेशनल लाइब्रेरी) जिस में बहुत सी हिन्दी की पुस्तकें हैं, उन कर्मचारियों के प्रयोग के लिये खोल दिया गया है जो हिन्दी प्रबोध परीक्षा पास कर लेते हैं ।

राष्ट्रीय सेना नैशनल मिलिशिया, काश्मीर

*७५८. **श्री रामजी वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अक्टूबर १९४७ के बाद से की गई विभिन्न पड़तालों में भारतीय सेना द्वारा काश्मीर की राष्ट्रीय सेना को दिये गये शस्त्रास्त्र और गोला बारूद को एक बड़ी मात्रा में गायब पाया गया है ;

(ख) तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ;

(ग) कितने व्यक्तियों को शस्त्रास्त्र गायब करने के सन्देह में सैनिक न्यायालय के समक्ष मुकद्दमा चलाये जाने के लिये भेजा गया है और उस का क्या परिणाम हुआ है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) नहीं । जब अप्रैल १९४८ से, सर्व-प्रथम जम्मू और काश्मीर राष्ट्रीय सेना बटालियन बनायी गयी थी, बहुत कम मात्रा में शस्त्रास्त्र और गोला बारुद गायब हुआ है ।

(ख) हानि की जांच करने के लिये सैनिक प्राधिकारियों के द्वारा जांच-न्यायालय स्थापित किये गये थे और हानि का पता लगाने के तुरन्त बाद ही असैनिक पुलिस को भी मामलों की सूचना दी गयी थी ।

(ग) सैनिक न्यायालय में चार व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था जिन में से दो को सेना से बर्खास्त कर दिया गया था और बाकी दो को कड़ी कैद की सजा दी गयी थी ।

सेना में भरती

*७६०. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना में भरती होने वाले रेगरूटों के लिये शारीरिक स्तर में अभी हाल में कोई परिवर्तन किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : हां, किन्तु केवल दो निकायों में भरती के लिये, अर्थात सेना आयुध निकाय और सेना चिकित्सा निकाय के लिये ।

वायु सेना प्रशिक्षण केन्द्र

*७६३. **श्री नवल प्रभाकर : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय वायु सेना के कितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं; और

(ख) वे कहां कहां हैं तथा उनमें कितने व्यक्तियों को एक साथ प्रशिक्षित किया जा सकता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) १२ ।

(ख) शिक्षा केन्द्रों के स्थान के बारे में एक स्टेटमेंट सभा-पटल पर रखा है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७] एक साथ वहां से शिक्षा पा सकने वाले व्यक्तियों

की संख्या विस्तार में प्रकट करना लोक-हित में नहीं है ।

नागरिक-सेना

*७६८. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नागरिक सेना बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार की होगी और इस के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) प्रादेशिक सेना के अतिरिक्त इस समय कोई अन्य नागरिक सेना बनाने का प्रस्ताव नहीं है । एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना बनाने का निश्चय किया गया है । जिस का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय सेवा में दिलचस्पी पैदा करना है और उन में अनुशासन तथा आत्मनिर्भरता की भावना को जाग्रत करना है । क्योंकि इस संगठन के सदस्यों का सेना में कार्य करने का दायित्व नहीं होगा अतः यह देश की रक्षा के हेतु बनाई गई कोई नियमित सशस्त्र सेना नहीं होगी ।

(ख) मोटे तौर पर अट्ठारह से चालीस वर्ष तक की आयु के व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयं-सेवक सेना में भर्ती हो सकेंगे । प्रशिक्षण ३० दिन के लिये कैम्पों में दिया जायेगा जो उपयुक्त स्थानों पर लगाये जायेंगे । अगले पांच वर्षों में इस कार्य के लिये २०० कैम्प प्रति वर्ष लगा कर, प्रत्येक कैम्प में ५०० व्यक्तियों के हिसाब से प्रशिक्षण दे कर पांच लाख व्यक्तियों को प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा दी जायेगी । कुछ कैम्पों के मई , १९५५ में खोले जाने की आशा है ।

एक अध्यापक वाली पाठशालायें

*७७१. **श्री वीरस्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में अभी तक एक अध्यापक वाली कितनी पाठशालायें खोली गई हैं ; और

(ख) इन पाठशालाओं में अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यार्थियों को अध्यापक नियुक्त किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) और (ख). इन प्रश्नों का सम्बन्ध मद्रास राज्य सरकार से है ।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियम

*७८०. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या गृह-कार्य मंत्री २५ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों के लिये क्या सरकारी कर्मचारी आचरण नियम बना लिये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : हां । केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियम, १९५५ की एक प्रति पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—७२/५५] ।

कोयले से निक्षेप

*७८२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सब से बड़े कोयले के निक्षेपों का हैदराबाद राज्य से पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर किये गये सर्वेक्षण के फलस्वरूप उन निक्षेपों में कितना कोयला होने का अनुमान लगाया गया है?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानुनगो) : (क) और (ख). प्राप्त सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]**

युवक छात्रावास

*७८४. **श्री आर० एन० सिंह** : **क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवक छात्रावास निर्माण योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञनिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) नहीं ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देख प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

छावनी बोर्ड

*७८७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : **क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के स्तर निश्चित करने के आधार क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कम वेतन वाले कर्मचारियों के मामले में श्रेणियां राज्यों के स्थानीय बोर्डों के स्तरों से भी कम हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) छावनी निधि कर्मचारियों के वेतन स्तर इन बातों पर विचार करने के बाद निश्चित किये गये हैं :—

(१) कार्य कितना और किस प्रकार का है ;

(२) निकटतम नगरपालिका के तुलना योग्य क्षेत्रों के कार्य कर रहे, ऐसे ही कर्मचारियों की आमदनी तथा/अथवा वेतन क्या हैं ; और

(३) छावनी बोर्डों की आर्थिक स्थिति कैसी है ।

(ख) और (ग). सूचना प्राप्त कर के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय नागरिक

*७८८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : **क्या गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान के कुछ निवासियों को पाकिस्तानी पारपत्र प्राप्त करने के विषय में दिये गये नोटिसों को रद्द करने के लिये अंतिम आदेश दे दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). नहीं । अण्डमान के ७३ मुसलमानों के मामले जिन का भारतीय नागरिक होने का दावा सन्देहपूर्ण है, अभी विचाराधीन हैं । अण्डमान के मुख्य आयुक्त से कहा गया है कि जब उनके मामले तय नहीं हो जायें तब तक उन लोगों को

पाकिस्तान वापस जाने अथवा पाकिस्तानी पारपत्र प्राप्त करने के लिये बाध्य न किया जाये ।

मुद्रण स्कूल, इलाहाबाद

*७८९. **श्री एस० एन० दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद में मुद्रण का उत्तर क्षेत्रीय स्कूल स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप-रेखा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार के स्कूल अन्य स्थानों में भी खोलने का निश्चय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कहां कहां पर खोले जाने वाले हैं ;

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ). जो जानकारी मांगी गई है उस का विवरण सदन के सामने है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४९]

एक महिला सेना निकाय की स्थापना

*७९१. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारतीय स्थल सेना का वर्तमान स्थिति में एक महिला सेना निकाय स्थापित करने और इस प्रकार भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती का मार्ग खोलने के विषय में विचार कर रही हैं ।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : अभी तो महिलाओं को भारतीय से को परिचारिका तथा चिकित्सा सेवाओं में ही भर्ती किया जाता है। कुछ विभागों में उन की असैनिक रूप में भी भर्ती की हैं। सरकार महिलाओं को नियमित भारतीय सेना में भर्ती करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

बहु विवाह

*७९५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक :** क्या गृह-कार्य मंत्री २२ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक सरकारी कर्मचारियों के बहु विवाह के कोई मामले सरकार की जानकारी में आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) इस सम्बन्ध में हाल ही में जारी किये गये सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाला बहु विवाह का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

छावनी बोर्ड, अम्बाला

*७९७. **श्री एम० ए० गुरुपादस्वामी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड, अम्बाला के फैक्टरी क्षेत्र जैसे वाटर वर्क्स आदि, फैक्टरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वहां इस अधिनियम के उपबन्ध अभी लागू नहीं किये गये हैं; और

(ग) इस के मुख्य कारण क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां । छावनी बोर्ड वाटर वर्क्स ही एक मात्र एसा फैक्टरी क्षेत्र है जो छावनी बोर्ड, अम्बाल के अधीन है ।

(ख) उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त क्षेत्र में पहले ही लागू कर दिये गये हैं परन्तु इंजन चालकों को पूरे साप्ताहिक विश्राम की सुविधा नहीं दी जाती है ।

(ग) आर्थिक कठिनाइयों के कारण छावनी बोर्ड के लिये इन कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम दे सकना संभव नहीं हो सका है । फिर भी इस मामले पर विचार किया जा रहा है और उन्हें यह सुविधा देने के लिये इंजिन चालकों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भारतीय परिचारिकायें

***८००. श्रीमती इलीपाल चौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की रक्षा सेवाओं के तीनों भागों में कुल कितनी परिचारिकायें नियुक्त हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : रक्षा सेवाओं के तीनों भागों के अस्पतालों में ५६२ भारतीय परिचारिकायें काम करती हैं ।

पश्चिमी बंगाल के अध्यापक

२०६. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने की योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में एक अध्यापक वाले स्कूलों में तथा अन्य स्कूलों में नियुक्त किये गये विशेष पदाली वाले अध्यायकों की संख्या कितनी है; और

(ख) जैसा कि पहले निश्चय किया गया था क्या भारत सरकार का तीन वर्ष के बाद भी ऐसे अध्यापकों के प्रति अथवा ऐसे स्कूलों की देखरेख के प्रति कोई उत्तरदायित्व होगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) एक अध्यापक वाले स्कूलों में २१५४ और अन्य स्कूलों में ११,३४६ अध्यापक नियुक्त किये गये थे ।

(ख) नहीं ।

अम्बाला छावनी बोर्ड

२०७. डा० सत्यवादी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अम्बाला छावनी बोर्ड द्वारा गन्दगी होने वाली लारियों के चलाये जाने के परिणामस्वरूप गन्दगी की गाड़ियां चलाने वाले कितने व्यक्तियों तथा अन्य कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ख) क्या इस बोर्ड द्वारा यह निश्चय किया गया था कि भविष्य की नियुक्तियों में इन छंटनी किये गये व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो उन में से अब तक कितने सेवायुक्त कर लिये गये हैं ; और

(घ) छंटनी किये गये कर्मचारियों के अतिरिक्त नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों की संख्या क्या है और इस के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २७ गन्दगी की गाड़ियां चलाने वाले कम कर दिये गये थे ।

(ख) हां ।

(ग) इन छंटनी किये गय २७ गाड़ी चलाने वालों में से १८ को तो पहले ही लारी भरने वालों के स्थान पर युक्त कर

लिया गया है और बाकी को यथाशीघ्र रिक्तियां होने पर सेवायुक्त कर लिया जायेगा ।

(घ) बाहर वालों को कोई नौकरी नहीं दी गई है ।

आसाम में तेल और खनिज निक्षेप

२०८. **श्री एन० बी० चौधरी : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां हाल ही में पेट्रोल और अन्य खनिज तेलों के उत्तम स्रोतों का पता चला है ; और

(ख) इन संसाधनों को खोजने के लिये कौन सी एजेंसि काम कर रही है और किन शर्तों पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना देन वाला एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]**

सरकारी कर्मचारी

२०९. **श्री एस० एन० दास:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले हैं जिन में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के कर्मचारी १९५४ में विभिन्न आधारों पर निलम्बित किये गये सेवामुक्त किये गये या निकाल दिये गये ;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है, जिन्होंने पुर्नियुक्ति के लिये राष्ट्र-पति से अपील की है ;

(ग) इस प्रकार पुर्नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(घ) अपनी मांगें पूरी कराने के लिये कितने पदच्युत अथवा सेवायुक्त अफसरों ने अदालत की शरण ली ; और

(ङ) उन पदच्युत अथवा सेवायुक्त कर्मचारियों की संख्या क्या है जो इस प्रकार पुर्नियुक्त किये गये और ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिन में उन को भूतलक्षी प्रभाव से पुर्नियुक्त किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ङ). यह सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है और इस को एकत्र करने में अत्यधिक समय और श्रम लगेगा ।

सैनिक दुग्धशालायें

२१०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक दुग्धशालाओं द्वारा सेना के अतिरिक्त अन्य ग्राहकों को, सब से अन्तिम वर्ष में, जिस के आंकड़े उपलब्ध हैं, बेचे गये दुग्ध तथा दुग्ध से बनी वस्तुओं के प्रति पौंड औसत मूल्य क्या थे और यह मूल्य भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की केन्द्रीय दुग्धशाला द्वारा बेची गई उन्हीं वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में कैसे थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सैनिक दुग्धशाला केवल सैनिकों तथा रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक सरकारी कर्मचारियों को ही दुग्ध तथा दुग्ध से बनी वस्तुओं का विक्रय करता है ; सामान्य जनता को नहीं । सैनिक दुग्धशाला तथा भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की केन्द्रीय दुग्धशाला द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसतन दरें १९५३-५४ में इस प्रकार हैं :

		सैनिक दुग्धशाला	केन्द्रीय दुग्धशाला
		रुपये	रुपये
(क)	दूध	०-५-१० प्रति पौंड	०-५-० प्रति पौंड
(ख)	मक्खन	३-०-३ प्रति पौंड	३-४-० प्रति पौंड
(ग)	क्रीम	३-०-३ प्रति पौंड	२-४-० प्रति पौंड

अस्पृश्यता उन्मूलन

२११. **श्री केशवैयंगार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता उन्मूलन के सम्बन्ध में मैसूर राज्य द्वारा अब तक भेजी गई विभिन्न योजनायें संक्षेप में क्या हैं; और

(ख) इस कार्य के लिये केन्द्र ने अभी तक कितने धन की स्वीकृति दी है तथा इसमें से कितना व्यय हो चुका है और कितनी राशि को व्ययगत हो जाने दिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]**

प्रति व्यक्ति आय

२१२. **श्री राम शंकर लाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२, १९५२-५३, तथा १९५३-५४ में देश में प्रति व्यक्ति आय क्या थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : इन वर्षों की प्राक्कलित प्रतिव्यक्ति आय इस प्रकार है :—

वर्ष	चालू मूल्यों पर	१९४८-४९ के मूल्यों पर
	रुपये	रुपये
१९५१-५२	२७४.५	२५१.७
१९५२-५३	२६७.४	२५८.१
१९५३-५४	२८३.९	२६६.५

१९५२-५३ तथा १९५३-५४ के आंकड़े अनन्तिम हैं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र कमान का स्थान परिवर्तन

२१३. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री २४ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वी कमान के मुख्य कार्यालय के रांची से स्थान परिवर्तन किये जाने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र कमान को लखनऊ से स्थानान्तरित किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : उत्तर प्रदेश क्षेत्र मुख्य कार्यालय को लखनऊ से बरेली हटाने का कार्य १० जनवरी, १९५५ को पूर्ण हो चुका है।

शस्त्रास्त्र अनुज्ञप्तियां

२१४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सू राज्य की स्थापना से पूर्व वहां कितने व्यक्तियों को शस्त्रास्त्र अनुज्ञप्तियां प्राप्त थीं; और

(ख) इस समय कितने व्यक्तियों को शस्त्रास्त्र अनुज्ञप्तियां प्राप्त हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ९,३९४.

(ख) १०,५५० (इनमें २,६७८ अनुज्ञप्तियां टोपीदार बन्दूकों की भी सम्मिलित हैं जोकि फ़स्लों की रक्षा के लिये दी गई हैं)।

अफीम

२१५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में अभी तक भारत म कुल कितनी मात्रा अफीम की खपत हुई है; और

(ख) इसी अवधि में औषधि निर्माण के लिये विदेशों को अफीम के निर्यात से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) किसी विशेष अवधि में अफ़ीम की वास्तविक खपत के आंकड़े बताना वांछनीय नहीं है। अफ़ीम की प्रदाय का वैध स्रोत केवल भारत सरकार की फ़ैक्टरियां ही हैं। १९५४-५५ के प्रथम नौ माह में आन्तरिक वितरण के लिय राज्य सरकारों को इन कारखानों ने १,६३४ मन ३९ सेर अफीम दी थी। इसके अतिरिक्त औषधीय अफ़ीम की कुछ थोड़ी सी मात्रा इन कारखानों से सीधी कैमिस्टों इत्यादि को दी गई है। चालू वर्ष में अब तक इस प्रकार दी गई वास्तविक मात्रा अभी ज्ञात नहीं हैं, परन्तु सामान्य निकासी के आधार पर यह आंकड़े लगभग ५० मन प्रति वर्ष होते हैं ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५४ तक विदेशों को अफ़ीम के निर्यात से कुल १,३७,९१,४१९ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है ।

बैंक

२१६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनुसूचित, अननुसूचित तथा लाइसेंस प्राप्त बैंक कितने हैं ; और

(ख) कितने बैंकों के लाइसेंस गत वर्ष जब्त किये गये ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १५ फरवरी, १९५५ को

(१) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की अनुसूची में ८८ बैंक सम्मिलित थे (जिन में से १६ बैंकों की रजिस्ट्री, भारत से बाहर हुई थी) ;

(२) भारत में ६०५ अननुसूचित बैंक थे (जिन में पश्चिमी बंगाल की ऋणदात्री कम्पनियां, भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९१३ की धारा २४७ के अधीन, संक्युक पूंजीवादी कम्पनियों के रिजस्ट्रार जिन बैंकों के नाम रजिस्टर से काट रहे हैं वे बैंक, जो बैंक कारबार न करने वाली कम्पनियों के वर्ग में सम्मिलित होने की कार्रवाई कर रहे हैं, और वे बैंक जिन का पता नहीं है पर जिन के नाम रिजर्व बैंक के कागज़-पत्रों में अब भी लिखे हुए हैं, सम्मिलित हैं); और

(३) ३५ ऐसे बैंक थे जिन्हें बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, १९४९ की धारा २२ के अधीन लाइसेंस दिये गये हैं और इन में २१ अनुसूचित बैंक और ४ अननुसूचित बैंक थे ।

(ख) बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, १९४९ के प्रारम्भ से पहले, बैंक कारबार करने वाली कम्पनियों को लाइसेंस नहीं दिया जाता था और इस कारण किसी बैंक के पास लाइसेंस नहीं होता था । इसलिये लाइसेंसों की जब्ती का प्रश्न ही नहीं उपस्थित हुआ । माननीय सदस्य सम्भवतः यह जानना चाहते हैं कि १९५४ में कितने बैंकों को लाइसेंस देने से इनकार किया गया । १९५४ में ११ बैंकों को लाइसेंस देने से इंकार किया गया जिन में एक

अनुसूचित बैंक था । इस के अतिरिक्त एक अन्य अनुसूचित (विदेशी) बैंक को १९५२ में दिया गया लाइसेंस १९५४ में रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस बैंक का कारबार एक अन्य विदेशी बैंक ने अपने हाथ में ले लिया था ।

आन्ध्र राज्य सचिवालय की फाइलें

२१७. **श्री वीरस्वामी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य के राज्यपाल ने कुछ दिन पूर्व सचिवालय की कुछ फाइलों को आन्ध्र राज्य के बाहर जला दिया था तथा उस कार्य का प्रदर्शन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो ये जलाई गई फाइलें किस प्रकार की थीं तथा इन के जलाने का अवसर क्या था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) कार्यालय द्वारा बनाई गई ग्राम्य विकास योजना का प्रारूप जिस को राज्यपाल ने अस्वीकार कर दिया था एक अधीनस्थ कर्मचारी की मेज को अनावश्यक रूप से घेरे हुए था । जब कि राज्य पाल ने दिसम्बर १९५४ के सम्मेलन के पश्चात् इस विभाग का वैसे ही निरीक्षण किया था और उस समय राज्यपाल ने विचार किया कि उस अस्वीकृत प्रलेख की प्रतियों के अफसरों की मेजों पर वैसे ही बिखरे रहने की अपेक्षा उन को नष्ट कर दिया जाना चाहिये था ; और इस कार्य के अवकाश के समय अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किये जाने की अपेक्षा उन्होंने एक कर्मचारी को उसे तुरन्त ही जला देने के आदेश दिये ।

रक्षा कर्मचारी

२१८. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित रक्षा कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) इसी अवधि में असैनिक न्यायालयों में कितने रक्षा कर्मचारियों पर अभियोग चलाये गये ; और

(ग) उन में कितनों ने अपीलें कीं तथा उन के क्या परिणाम हुए ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सैनिक न्यायालयों द्वारा १९५४ में दंडित रक्षा सेवाओं में कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	पदाधिकारी	अन्य	जोड़
सेना	१३	१०८८	११०१
नौसेना	३	२	५
वायु सेना	९	१८	२७

(ख) १९५४ में असैनिक न्यायालयों द्वारा अभियोजित रक्षा सेवा कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	पदाधिकारी	अन्य	जोड़
सेना	११	३२०	३३१
नौ सेना	कोई नहीं	१०	१०
वायु सेना	कोई नहीं	कोई नही	

(ग) सैनिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलें :

	अपीलों की संख्या	अपीलों के परिणाम
	सेना	
पदाधिकारी	२	एक अपील स्वीकृत हुई तथा एक अभी विचाराधीन है ।
अन्य	९०	दो अपीलें स्वीकृत हुईं, एक मामले में नौकरी से हटाये जाने के आदेश को रद्द कर दिया गया १४ मामलों में कठोर कारावास को उस समय तक, कारावास में रहने की अवधि तक कम कर दिया गया, ५० अपीलें अस्वीकृत कर दी गई हैं, तथा २३ अभी विचाराधीन हैं ।
	नौ सेना	
पदाधिकारी	२	एक अपील अंशतः स्वीकार कर ली गई है तथा एक विचाराधीन है ।
अन्य	कोई नहीं	
	वायु सेना	
पदाधिकारी	२	एक अपील स्वीकृत हुई तथा एक अस्वीकृत कर दी गई ।
अन्य	१	अभी विचाराधीन है ।

(२) असैनिक न्यायालों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलें ।

	अपीलों की संख्या	अपीलों के परिणाम
	सेना	
पदाधिकारी	४	२ मामलों में अभियुक्त छोड़ दिये गये तथा अन्य दो में, दंड कम कर दिया गया ।
अन्य	९	दो अपीलें अस्वीकार कर दी गइं, तथा अन्य दो मामलों में दंड कम कर दिया गया तथा पांच अपीलें अभी न्यायालों में लम्बित हैं ।
	नौ सेना तथा वायु सेना	
	कोई नहीं	

सीमा शुल्क

२१९. **श्री गिडवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२, १९५३ तथा १९५४ में अलग अलग सीमा शुल्क समाहर्ताओं के आदेशों के विरुद्ध केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के समक्ष कितनी पुनरीक्षण याचिकायें प्रस्तुत की गईं;

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक में कितनों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किये गये; और

(ग) प्रत्येक याचिका का निर्णय करने में औसतन कितना समय लगा ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) संभवतः माननीय सदस्य समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १८८ के अधीन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को गई अपीलों तथा उसी अधिनियम की धारा १९१ के अन्तर्गत भारत सरकार को दिये गये पुनरीक्षण आवेदन पत्रों का निर्देश कर रहे हैं :

उक्त अवधि में पंजीबद्ध किये गये इस प्रकार के कुल मामलों की संख्या इस प्रकार है : —

१९५२	२२०८
१९५३	२१९३
१९५४	२०९६

(ख) १९५२ में पंजीबद्ध किये गये मामलों में से १११५ का १९५२ में, ७६६ का १९५३ में और २४२ का १९५४ में निबटारा किया गया, १९५३ में पंजीबद्ध किये गये मामलों में से ७९९ का १९५३ में और १०९७ मामलों का १९५४ में निबटारा किया गया १९५४ में पंजीबद्ध किये गये मामलों में से उस वर्ष ८७९ का निबटारा किया गया

(ग) १८ प्रतिशत मामले,
३ माह से कम में ।
२५ प्रतिशत मामले,
३ से ६ माह में ।
२१ प्रतिशत मामले ६ से ९ माह में ।
१४ प्रतिशत मामले ९ से १२ माह में ।
२२ प्रतिशत मामले, १२ माह से अधिक में।

केन्द्रीय सचिवालय के सैक्शन आफिसर

२२०. **श्री अच्युतन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा विशेष नियुक्ति बोर्ड ने २३९ पदाधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय में सैक्शन आफीसर को "परीक्षण के लिये उपयुक्त" है श्रेणीबद्ध तथा अनुमोदित किया था तथा सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन २३९ पदाधिकारियों में से, ७५ को स्वयं को विभागाधिकारियों के नियमित अस्थाई कर्मचारिवर्ग में नियुक्ति के लिये उपयुक्त बनाने के हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिये कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन ७५ स्वीकृत पदाधिकारियों को जिन को सरकार ने १९५२ में सैक्शन आफीसरों के पदों पर नाम निर्देशित किया था तथा जो तब से इन पदों पर कार्य कर रहे हैं, किन कारणों से परीक्षा में बैठने के लिये कहा गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में १—३ श्रेणी की नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रारंभिक अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा श्रेणीबद्ध किये जाने का उपबन्ध किया गया था । इसीलिये प्रारम्भिक अवस्था में तीसरी

श्रेणी की नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग की श्रेणीबद्ध सूचियों से की गई थीं। नियमित अस्थायी कर्मचारीवर्ग की तीसरी श्रेणी के सम्बन्ध में भी प्रारम्भिक अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सह-अधीक्षक के पद के परीक्षण के लिये उपयुक्त घोषित किये गये पदाधिकारियों को, तथा कुछ अन्य श्रेणी के पदाधिकारियों को उन पदों पर आयोग के परामर्श से नियुक्त किया गया था।

तीसरी श्रेणी में भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की थी। बाद को आयोग के परामर्श से योजना की रूपरेखा के अन्तर्गत ब्यौरेवार अनुदेश बनाये गये। इन अनुदेशों के अनुसार, तीसरी श्रेणी के अस्थायी नियमित कर्मचारी वर्ग में भविष्य में पदोन्नतियां या तो आयोग द्वारा आयोजित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर की जाती हैं अथवा अयोग्य को निकालने के पश्चात् सहायकों (असिस्टेंटों) की श्रेणी की वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं। इसलिये इस के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग की श्रेणीबद्धता के आधार पर श्रेणी तीन के नियमित अस्थायी कर्मचारिवर्ग में पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की प्रस्थापना नहीं है, परन्तु यह उपबन्ध किया गया है कि उन सभी पदाधिकारियों को जिन्हें आयोग द्वारा सह-अधीक्षक (असिस्टेंट सुपरिन्टेंडैन्ट) के परीक्षण के लिये श्रेणीबद्ध किया गया है बिना इस बात का विचार किये कि वह परीक्षा के लिये निर्धारित उपयुक्तताओं सम्बन्धी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं आयोग की विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी।

बिहार में "गंधक के स्त्रोत"

२२१. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानि गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बिहार के हज़ारीबाग ज़िले में दो स्थानों पर गंधक के स्रोत हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या औषधीय प्रयोजनों के लिए उन स्रोतों का उपयोग करने और उनका विकास करने की संभावना का परीक्षण किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) . उपलब्ध जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५२]

पब्लिक स्कूल

२२२. **श्री राम दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन कितने पब्लिक स्कूल हैं;

(ख) किन राज्यों में वे स्थापित हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार कितने बेसिक हाई स्कूलों तथा बेसिक हायर सेकेन्डरी स्कूलों का प्रबन्ध करती है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) :

(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) कोई नहीं।

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

	स्तम्भ
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	२७—६७
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	
डा० एम० एम० दास	६७—७२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	७३—७६
श्रीमती जयश्री	७६—७८
श्री वी० जी० देशपांडे	७८—८५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	८५—८९
श्री एन० एम० लिंगम	८९—९२
श्रीमती इला पाल चौधरी	९२-९३
श्री नन्द लाल शर्मा	९३—१०२
कुमारी एनी मस्करीन	१०२—१०४
श्री एस० एन० दास	१०४—११७
श्री एस० एम० मोरे	११७—१२२

अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	१२३-२४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित	१२५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१२५
सभापति तालिका	१२५
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	१२५—२३०

अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२	२३१-३२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३	२३२
प्राक्कलन समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३२
भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण	२३३—३५
सभा का कार्य—	
समय क्रम का नियतन	२३५—३९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	२३९—३२२

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

	स्तम्भ
औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित—	४८०—५०६
विचार करने का प्रस्ताव—	
राजकुमारी अमृत कौर	४८०—८४, ४९२—९६
श्री गिडवानी . .	४८४–८५
श्री वी० बी० गांधी	४८५–८६
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	४८७–८८
श्रीमती इला पाल चौधरी	४८८—९०
डा० रामा राव	४९०–९१
श्री धुलेकर	४९१—९२
खण्ड १ से १७—	४९६–५०४
पारित करने का प्रस्ताव	५०४–५०६
श्री कासलीवाल	५०४–०५
सरदार ए० एस० सहगल	५०५–०६
दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५०६—०८
विचार करने का प्रस्ताव—	५०६–०७
राजकुमारी अमृत कौर . . .	५०६–०७
खण्ड १ से १७	५०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०८
चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	५०८–१०
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त .	५११—१५
१९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित .	५१५—६४
वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . .	५६५–६६

अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . .	५६७–६८
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत .	५६८—९१
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	५९१—६४
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . .	६४३—४५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	६४६—६०
श्री करमरकर . . .	६४६—६६०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	६६०

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त ८८४–८७

	स्तम्भ
श्री हेम राज . . .	८८७–९०
डा० सत्यवादी . . .	८९०–९२
श्री खंडूभाई देसाई . . .	८९२–९४
श्री डी० सी० शर्मा	८९४–९६
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव—	
स्थगित—	८९६
श्रीमती जयश्री . .	८९६–९८,८९९–९००
श्री पाटस्कर	९००–९०६
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—	
(नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त—	९०६
श्री नम्बियार .	९०६–१४
श्री वेंकटारमन	९१४–१८
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . .	९१८–२०
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे—	९२०–२२

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . .	९२३–२५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	९२५–९३
श्री एन० सी० चटर्जी	९२५–२८
श्री पाटस्कर	९२८–३३
श्री एस० एस० मोरे	९३३–३७
श्री वी० बी० गांधी .	९३७–३९
श्री ए० एम० थामस	९३९–४१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	९४१–४५
श्री एन० एम० लिंगम	९४५–४७
श्री वी० पी० नायर	९४७–५५
श्री तुलसीदास	९५५–५८
श्री झुनझुनवाला .	९५८–६०
श्री बंभल	९६०–६३
श्री हेडा	९६३–६८
श्री आर० के० चौधरी	९६८–७०
श्री अच्युतन	९७०–७२
श्री बोगावत	९७२–७३
श्री करमरकर	९७४–९३

	स्तम्भ
खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . .	९९३–९४, ९९५–९७
श्री करमरकर . . .	९९४, ९९६–९९७
श्री वी० पी० नायर . . .	९९४–९५
श्री सारंगधर दास . . .	९९५–९६
अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . .	९९८–१०११
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . .	९९८–१०१६
श्री करमरकर . .	९९८, ९९–१००२
श्री वेंकटरामन . . .	९९८–९९
पंडित डी० एन० तिवारी . .	१००२–१००८
श्री एस० सी० सामन्त . . .	१००८–०९
श्री राघवाचारी	१००९–१०११
श्री काज़मी	१०१३–१०१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१०१४–१०१५
श्री अलगेशन	१०१५
सभा का कार्य	१०१२, १०१३, १०१४
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . .	१०१६–१०२४
श्री अलगेशन	१०१६–१०१८
श्री नम्बियार	१०१८–१०२४
अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०२५–२६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
रेलवे —उपस्थापित . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
आंध्र—उपस्थापित . .	१०२६
१९५५-५६ के लिये आंध्र का आय—	
व्ययक—उपस्थापित . . .	१०२७–२८
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—	
माग संख्या १—रेलवे बोर्ड	१०२७–११३६

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

	स्तम्भ
मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय	
मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश	
विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . .	१२५७–५८
१९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . .	१२५८–७२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१२७३–७४
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित	१२८६–९४
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० केसकर .	१२७४–७६
श्री एच० एन० मुकर्जी .	१२७७–८०
श्री एन० सी० चटर्जी	१२८०–८१
श्री वेंकटरामन् .	१२८१–८२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१२८२–८४
श्रीमती खोंगमेन	१२८४
श्री डी० सी० शर्मा	१२८४–८६
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव—	१२९४
डा० केसकर . . .	१२९४
अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५	
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१२९५
सभा का कार्य—	
आन्ध्र का आय-व्ययक	१२९६–९८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र	१२९८–१३३८
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . .	१३३७–३९
आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३३९–४०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे	१३४०–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३४३–४६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त—	
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३४३–४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	१३४६–४७

	स्तम्भ
प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१३४७–५६
डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया	१३५६–८५
श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त .	१३८५–९४

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण .	१३९५
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	१३९५–९६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया.	१३९७–१४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१३९५–१४०५
श्री राघवाचारी	१४०६–०७
श्री सिंहासन सिंह	१४०७–०८
श्री आर० के० चौधरी	१४०८
श्री बर्मन	१४०८–०९
श्री मूलचन्द दूबे	१४०९–१०
श्री एस० सी० सामन्त	१४१०
सरदार हुक्म सिंह	१४१०–११
श्री बी० एन० मिश्र	१४११–१२
श्री एम० डी० जोशी . . .	१४१२
श्री अलगेशन	१४१२–२०

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

श्री ए० सी० गुहा . . .	१४२१–२५
श्री बंसल	१४२५–२९
श्री डाभी	१४३०–३१
श्री एस० सी० सामन्त . .	१४३१–३२
श्री धुलेकर . . .	१४३२–३३
पडित ठाकुर दास भार्गव . .	१४३३–३९
डा० रामा राव	१४३९–४०
श्री एन० राचय्या . . .	१४४०–४१
श्री सिंहसन सिंह . .	१४४१–४२

	स्तम्भ
श्री नंद लाल शर्मा	१४४२–४६
श्री सी० आर० अय्युण्णि	१४४६–४८
श्री एन० एम० लिंगम	१४४८–५२
खण्ड १ से २१ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव— . .	१४६०–६६
श्री ए० सी० गुहा	१४६६–६७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त नहीं हुआ— . .	१४६७–७२
विचार करने का प्रस्ताव—	१४७४–८०
श्री ए० सी० गुहा	१४६७–७२
श्री सी० सी० शाह	१४७४–७८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१४७८–८०
प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य	१४७३–७४

लोक-सभा

शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्याह्न

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं आप की आज्ञा से श्री मुरारका के १६ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९० से उत्पन्न हुए एक अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये अपने उत्तर में एक शुद्धि करना चाहता हूं।

उन के इस प्रश्न के सम्बन्ध में, कि क्या सरकार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का पथ प्रदर्शन करने के लिये योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति का उपयोग करना वांछनीय समझा था मैं ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया था।

वास्तविक स्थिति यह है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एक सरकारी कार्यवाही है जिस का योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा उत्तर नकारात्मक होगा।

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों, आन्ध्र राज्य तथा विनियोग विधेयक तथा आन्ध्र आयव्ययक के लेखानुदानों पर चर्चा करेंगे। मेरे विचार से आन्ध्र के चुनावों को दृष्टि में रखते हुए किसी अग्रेतर चर्चा की गुंजाइश नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्) : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? हमारे लिये अनुपूरक मांगें अधिक महत्व रखती हैं क्योंकि लेखानुदान तो एक नगण्य सी कार्यवाही है। यह अनुपूरक मांगें राज्यपाल के शासन काल के सम्बन्ध में हैं। मेरे विचार से इस चर्चा के लिये दो घंटे का समय दिया जाना चाहिये।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मेरे मित्र ने केवल अनुपूरक मांगों के विषय में अपना आग्रह प्रकट किया है, मेरा निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शीघ्र ही आन्ध्र में उत्तरदायी सरकार बन जायेगी सामान्य आयव्ययक का अधिकांश महत्व समाप्त हो जाता है। तथापि हमें उस पर चर्चा करने के लिये दो घंटे का समय तो मिलना चाहिये ही। ऐसी आलोचना का तो आने वाली सरकार भी स्वागत करेगी क्योंकि उसे आभास मिल जायेगा कि उस के आयव्ययक तथा प्रशासन के प्रति देश का दृष्टिकोण क्या है।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : हम केन्द्रीय सरकार के समक्ष आन्ध्र का दृष्टि-कोण रखना चाहते हैं, और इसलिये हम को अवसर मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह अवसर किसी अन्य मौके पर दिया जायगा । आन्ध्र राज्य के आयव्ययक के सम्बन्ध में नहीं । अनुपूरक मांगों पर चर्चा की जा सकती है । जहां तक लेखानुदान का सम्बन्ध है । उस में अधिक समय नहीं लगना चाहिये । लेखानुदान सामान्य आयव्ययक पर चर्चा करने का और अधिक अवसर देना मात्र ही है ।

डा० लंका सुन्दरम् : यदि प्रक्रिया के दृष्टिकोण से संभव हो तो अनुपूरक मांगों तथा सामान्य आयव्ययक पर एक साथ चर्चा की जा सकती है । यह संसद् आन्ध्र सरकार को उस का उत्तरदायित्व सौंपते हुए कुछ निदेश दे सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । दोनों के लिये दो घंटे का समय पर्याप्त होगा ।

श्री राघवाचारी : आप के विचार के अनुसार, कि लेखानुदान आयव्ययक पर चर्चा करने का और अधिक अवसर देना मात्र ही है, इस के लिये दो घंटे का समय निर्धारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य बात यह है कि आगामी वर्ष का आयव्ययक मुख्यतः आन्ध्र सरकार का मामला है इसलिये उस पर यहां सभी चर्चा व्यर्थ ही रहेगी । मेरा यह विचार है ।

डा० लंका सुन्दरम् : मेरे विचार से दोनों विषयों पर एक सामान्य चर्चा से काम चल जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर दो घंटे तक चर्चा होगी । उस के पश्चात् आध घंटे तक रेलवे की मांगों पर चर्चा होगी ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें* १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें* १९५५-५६—आंध्र

अध्यक्ष महोदय ने १९५४–५५ के लिये आन्ध्र की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें और १९५५–५६ के लिये आन्ध्र के निम्नलिखित लेखानुदानों की मांगें प्रस्तुत कीं :

अनुपूरक मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	भू–राजस्व	४०,४००
४	वन	१००
७	सामान्य बिक्री कर और अन्य कर तथा शुल्क	३,२७,९००
८	सिंचाई	२२,२२,३००

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित ।

अनुपूरक मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९	राज्य का प्रधान मंत्री तथा मुख्यालय के कर्मचारी	२,५८,४००
१०	राज्य विधान मंडल और चुनाव	२१,६४,९००
११	जिला प्रशासन तथा विविध	३८,४८,९००
१२	न्याय का प्रशासन	१,११,६००
१३	जेलें	८,३६,७००
१६	चिकित्सा	८,०४,३००
१७	लोक स्वास्थ्य	५,००,०००
१९	पशु चिकित्सा	९२,८००
२२	अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	३१,५८,६००
२३	कारखानों सहित श्रम	३५,९००
२४	असैनिक निर्माण कार्य-निर्माण	१,७३,२००
२६	असैनिक निर्माण कार्य-सहायता अनुदान	२३,०३,२००
२७	विद्युत्	१८,४१,८००
३१	विविध	३,००,०००
३३	जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् भूमिधरों को प्रतिकर का भुगतान	११,४३,३००
३४	सिंचाई पर पूंजी व्यय	३००
३४क	लोक स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी व्यय	१,००,०००
३४-ख	कृषि सुधार तथा गवेषणा	५३,२६,८००
३६	असैनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी व्यय	१६,७९,४००
३७	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी व्यय	१,१००
३९	राज्य द्वारा व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	४,२६,६२,३००
४०	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	१,८३,६३,७००

[अध्यक्ष महोदय]

लेखानुदान की मांगें

लेखानुदान की मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		पये
१	भू–राजस्व विभाग	३६,१०,०००
२	उत्पादन-शुल्क विभाग	१५,१५,०००
३	स्टाम्प	५,८१,०००
४	वन विभाग	१५,८१,०००
५	पंजीयन विभाग	८,२१,०००
६	मोटर गाड़ी अधिनियम प्रशासन	२,६४,०००
७	सामान्य बिक्री कर तथा अन्य कर और शुल्क–प्रशासन	२४,४५,०००
८	सिंचाई	६७,३७,०००
९	राज्य का प्रधान मंत्री तथा मुख्यालय के कर्मचारी	३४,८३,०००
१०	राज्य विधान मण्डल	१४,१९,०००
११	जिला प्रशासन और विविध	१,४२,८०,०००
१२	न्याय का प्रशासन	३१,६३,०००
१३	जेलें	९,५२,०००
१४	पुलिस	१,३५,९८,०००
१५	शिक्षा	२,०५,६५,०००
१६	चिकित्सा	३४,५६,०००
१७	लोक स्वास्थ्य	३०,०१,०००
१८	कृषि तथा मीन क्षेत्र	४१,३४,०००
१९	पशु-चिकित्सा	११,५५,०००
२०	सहयोग	१५,४९,०००

लेखानुदान की मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२१	उद्योग	१४,३७,०००
२२	अनुसूचित आदिम जातियों आदि का कल्याण	४६,३६,०००
२३	कारखानों सहित श्रम	३,००,०००
२४	असैनिक निर्माण कार्य-निर्माण	१,१६,६१,०००
२५	असैनिक निर्माण-कार्य—स्थापना तथा औजार और संयंत्र	२६,६५,०००
२६	असैनिक-निर्माण-कार्य—सहायता-अनुदान	१३,२१,०००
२७	विद्युत्	४४,८१,०००
२८	दुर्भिक्ष	१,५०,०००
२९	निवृत्ति वेतन	१४,००,०००
३०	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	६,३२,०००
३१	विविध	४,८६,०००
३२	सामुदायिक विकास परियोजनायें	१२,६३,०००
३३	जमींदारों को प्रतिकर	१२,२७,०००
३४	सिंचाई पर पूंजी व्यय	२,१५,८७,०००
३५	लोक स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी व्यय	३५,००,०००
३६	कृषि सुधार तथा गवेषणा की योजनाओं पर पूंजी व्यय	६,१४,०००
३७	औद्योगिक विकास पर पूंजी व्यय	११,०७,०००
३८	असैनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी व्यय	५१,१२,०००
३९	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी व्यय	२,८७,५०,०००
४०	निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य	१,७६,०००
४१	राज्य द्वारा व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	१३,७०,०००
४२	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२,३८,६१,०००

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्) : गत १५ नवम्बर को, राष्ट्रपति ने आन्ध्र राज्य का प्रशासन अपने अधिकार में लेने के सम्बन्ध में एक आदेश जारी किया था। आज मुश्किल से चार महीने हो रहे हैं जब से कि आन्ध्र राज्य में संसदीय शासन क्षेत्र ने काम करना बन्द किया हुआ है। सभा को स्मरण होगा कि गत सत्र में मैं ने उस विधेयक में एक संशोधन प्रस्तावित किया था कि राष्ट्रपति के आदेश के अधीन आन्ध्र राज्य में राज्यपाल द्वारा किये गये प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करने के लिये एक संसदीय समिति बनाई जाये। मुझे प्रसन्नता है कि इस समिति की कम से कम दो बैठकें हुई हैं और प्रशासन सम्बन्धी कुछ विधान प्रस्तुत किये गये हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यहां मैं निश्शंक हो कर यह बताना चाहता हूं कि इस चार महीने की अवधि में राज्यपाल ने आन्ध्र राज्य में जिस प्रकार प्रशासन किया है, उस पर देश को अभिमान है। अभी हाल ही में निर्वाचन निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण प्रकार से किये गये हैं। कुछ व्यक्तियों और राजनैतिक दलों की ओर से उन के बारे में मुझे कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं किन्तु वे ऐसे विषय हैं जिन का निर्णय न्यायाधिकरण करेंगे। मैं इस का निदेश इसलिये करता हूं क्योंकि अनुदानों की अनुपूरक मांगों में निर्वाचन व्यय के लिय २१.६४ लाख रुपये की मांग की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि आन्ध्र राज्य की जनता ने अपना कार्य राष्ट्रीय कर्तव्य के भाव से पूरा किया है। निर्वाचक नामावली के १ करोड़ १५ लाख नामों में से ८६ लाख २७ हजार व्यक्तियों ने मतदान दिया है। मुझे हर्ष है कि निकट भविष्य में ही आन्ध्र विधान सभा समवेत की जायेगी और राज्य में सामान्य लोकतन्त्रात्मक शासन पुनः क्रियाशील होगा।

इस बात का स्वागत है कि सत्तारूढ़ होने वाले दल को तीन के प्रति एक का बहुमत प्राप्त है किन्तु प्रथम आन्ध्र सरकार के १३ महीने के शासनकाल से हमारा यह अनुभव है कि स्थिर बहुमत के अभाव में दैनिक प्रशासन यंत्र कुशासन के कारण ठप हो गया था। मैं आशा करता हूं कि नवीन आन्ध्र विधान सभा जिसे अगले हफ्ते से शक्ति का अधिक केन्द्रीयकरण प्राप्त होगा, इस का दुरुपयोग नहीं करेगी और जनता को कुप्रबन्ध की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां मुझे यह कहना पड़ता है कि जनता ने राज्यपाल के शासन काल का स्वागत किया है क्योंकि प्रशासनिक शासन यंत्र को ठीक कर दिया गया है और जिला पदाधिकारियों पर जिलों में या कुरनूल में राजनैतिक दबाव नहीं डाला गया है। मैं आशा करता हूं कि आन्ध्र की नवीन व्यवस्था में, प्रथम स्थिर आन्ध्र सरकार प्रशासनिक शासन यंत्र के दैनिक कार्यकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी और आन्ध्र का बाल राज्य राष्ट्रीय आदर्शों को लक्ष्य मान कर उन्नति करेगा।

मैं अनुपूरक मांगों में विशेषकर मांग संख्या ८ के बारे में एक दो बातें कहने की सभा से अनुज्ञा चाहता हूं। विकास व्यय और विशेषतः सिंचाई पर व्यय केवल गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में ही किया गया है और उत्तरी भाग में नहीं। अब वम्सधारा योजना तैयार हो रही है किन्तु मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाराह और शारदा जैसी नदियों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है जिस का परिणाम यह हुआ है कि विशाखापटनम जिला और श्रीकाकुलम् जिले के कुछ भाग खाद्यान्न के बारे में कमी प्रधान क्षेत्र बन गये हैं। इस मांग संख्या ८ में विशाखापटनम् जिले में तालाबों की मरम्मत के लिये ११ हजार

रुपये आवंटित किये गये हैं । जमींदारी उन्मूलन के बाद से और इन जिलों के दो विस्तृत भागों को अपने अधिकार में लेने के बाद से तालाबों की कोई देखभाल नहीं की गई है जिस का यह नतीजा हुआ है कि खाद्य उत्पादन कम हो गया और आन्ध्र में कनी वाले क्षेत्रों की संख्या और बढ़ गई है । अतः मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि वह अपने उपयुक्त विभागों के जरिये इस विशिष्ट प्रश्न पर ध्यान दे जिस से कि आन्ध्र राज्य में उत्तर बनाम दक्षिण की यह शिकायत अब अधिक न रहे ।

मैं भारत सरकार को इस बात पर बधाई देना चाहता हू कि उस ने विशाखापटनम् शहर के संयुक्त जल बोर्ड के लिये जिस के लिये अनुपूरक मांग संख्या ८ है, १ करोड़ १६ लाख पये की मंजूरी के लिये सहमति दी है । परिणाम यह हुआ है कि १ करोड़ १६ लाख रुपये की यह योजना अनुपूरक मांग पद संख्या ८ में आ गयी है । मुझे इस के लिये प्रसन्नता है और मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री मेरी इस प्रार्थना की ओर कि इस क्षेत्र का मलेरिया-विरोधी सर्वेक्षण किया जाये, ध्यान देंगे । इन उल्लिखित मदों के अतिरिक्त, सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, नौ-सैना आयुध डिपो और अनेक अन्य चीजें हैं और मैं आशा करता हूं कि उन से संबंधित कार्य भी शीघ्र ही किये जायेंगे ।

१९५५–५६ के लिये आन्ध्र राज्य के आयव्ययक प्राक्कलन में, राजस्व २१.९१ करोड़ रुपये और व्यय २४.८८ करोड़ रुपये दिखाया गया है और इस प्रकार २.९६ करोड़ पये का घाटा है । मेरी भारत सरकार से यह प्रार्थना है कि वह इस बात पर विचार करे कि यदि हमारे अतिरिक्त चावल को निर्यात शुल्क का लाभ मिले, तो इस घाटे को पूरा किया जा सकता है । यदि आन्ध्र की जनता के साधनों और उन की अतिरिक्त वस्तुओं का उचित रीति से उपयोग किया जाय तो इस घाटे को पूरा किया जा सकता है जिस का परिणाम यह होगा कि नवीन सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाये जायेंगे ।

इस के अतिरिक्त मैं तम्बाकू उत्पादन शुल्क के अधिक बटवारे के संबंध में भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं । साधारणतया केवल आन्ध्र से तीन लाख टन तम्बाकू का निर्यात होता है । आठ आने प्रति मन के हिसाब से, एक मोटे तौर पर उस से ७५ लाख रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं । सरकार इस विषय पर विचार करे । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आन्ध्र की वर्तमान राजनैतिक स्थिति में, कोई अतिरिक्त कर नहीं लागू किये जाने चाहियें क्योंकि यों तो उत्पादन शुल्क राजस्व की हानि दिखाई गई है और तीन करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जिसे पूरा किया जाना चाहिये । मेरी अपील यह है कि आन्ध्र राज्य को तम्बाकू उत्पादन शुल्क में से अधिक अंश मिलना चाहिये । फिर और भी अन्य रास्ते हैं जिन से आन्ध्र की नयी सरकार और भारत सरकार के बीच ऐसे समझौते किये जा सकते हैं जिस से आन्ध्र की जनता को अतिरिक्त करों का अधिक बोझ न सहना पड़े । मैं आशा करता हूं कि आन्ध्र सरकार के अगले वार्षिक आयव्ययक में यह घाटा नहीं रहेगा ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि आन्ध्र में नये प्रशासन और उस के उत्तर-दायित्वों के बारे में बाहरी जगत क्या सोचता है । मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूं कि आन्ध्र में जो निर्वाचन हुए हैं वे बहुत ही अच्छे और न्यायपूर्ण हुए हैं और प्रत्येक दल को पर्याप्त अवसर और आवश्यक सुविधायें प्राप्त हुई हैं । मुझे उन के परिणामों

[श्री राघवाचारी]

से कोई संबंध नहीं है किन्तु यह हर्ष का विषय है कि पुरानी अस्थिरता अब समाप्त हो गई है और अब एक स्थिर सरकार बनने जा रही है। आयव्ययक के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि केन्द्र से प्राप्त होने वाले अंशदान के अनेक पद व्ययगत हो गये हैं और किसी भी नवीन राज्य के लिये जिस के समक्ष सुधार की अनेक योजनायें हों, ऐसी बात स्वीकार नहीं की जानी चाहिये। यह दुख की बात है कि न केवल एक पद किन्तु आधे अर्जन पदों में, केन्द्र से प्राप्त होने वाले अनुदान व्ययगत हो गये हैं। मैं ने इस विषय पर काफी विचार किया है और यह सत्य है कि इस बात के लिये मंत्रीगण भी उत्तरदायी हैं। इस का कारण यह है कि अस्थिर सरकार में मंत्रियों को अपने अस्तित्व की ही अधिक चिन्ता रहनी थी और उन्हें अन्य आवश्यक चीजों की ओर ध्यान देने के लिये समय ही नहीं मिलता था और इस प्रकार वे अपनी प्रस्थापनायें न भेज सकें जिन के लिये एक आवश्यक शर्त यह थी कि वे अपनी योजनायें भी साथ साथ भेजें। अन्त में परिणाम यह हुआ कि राज्य को उन अंशदानों की हानि हुई।

यह भी दिखाई पड़ता है कि सिंचाई के अधीन एक बड़ी धन राशि का उपयोग नहीं किया गया है। उक्त राज्य में सिंचाई की अनेक योजनायें हैं जिन्हें तुरन्त कार्यान्वित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः मैं अब सरकार की स्थिरता का स्वागत करता हूं। किन्तु जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया है, मुझे भी यह आशंका है कि इस ४.१ या ३.१ के बहुमत का दुरुपयोग न किया जाय क्योंकि हमें यहां इस संसद् का भी अनुभव है कि एक बार पर्याप्त बहुमत प्राप्त होने पर बाद में किसी बात की परवाह नहीं की जाती है। आन्ध्र में भी यदि ऐसा ही अनुभव हुआ तो वह देश के लिये हितकर न होगा।

इस में सन्देह नहीं कि आन्ध्र राज्य एक घाटे वाला राज्य है किन्तु आयव्ययक में घाटा पूरा करने की कोई प्रस्थापनायें नहीं हैं क्योंकि कराधान का प्रश्न आन्ध्र विधान सभा पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये। किन्तु मैं आशा करता हूं कि जनता पर अधिक करों का भार न लादा जाय क्योंकि आर्थिक तथा अन्य कारणों से राज्य की वर्तमान स्थिति में वह जनता के लिये असह्य होगा।

आन्ध्र में सब से अधिक आवश्यकता सिंचाई और बिजली के प्रसार की है। मैं ने सदा इस बात पर जोर दिया है कि पीड़ित जनता की दशा को सुधारने और उन्हें अतिरिक्त काम देने का एकमात्र साधन यही है कि छोटे पैमाने पर सिंचाई की योजनायें कार्यान्वित की जायें और दूर दूर तक बिजली पहुंचाई जाये। आप जानते हैं कि प्रत्येक तीसरे या चौथे वर्ष अकाल पड़ता है और तब पीड़ितों को सहायता देने में सरकार की सारी निधियां समाप्त हो जाती हैं। अतः इस की पुनरावृत्ति न हो इसलिये सिंचाई योजनाओं और बिजली के प्रसार के कार्य पर अधिक धन खर्च किया जाना चाहिये।

अभी कुछ समय पहले आन्ध्र में निर्वाचन के समय कांग्रेस के निर्वाचन घोषणापत्र में मैं ने यह देखा था कि उस ने जापानी ढांचे पर सूत कातने की छोटी मिलों की स्थापना करने का कार्यक्रम रखा है। हमारे राज्य में पर्याप्त कपास उत्पन्न होती है और यदि २५० से १,००० तकुए प्रत्येक गांव में लगाये जायें तो सूती वस्त्र उद्योग में एक बड़ी भारी क्रान्ति जैसी होगी। इस से लाखों लोगों को काम मिलेगा। और कपड़े की कीमत भी कम हो जायगी। यह देश के लिये एक बहुत अच्छी बात होगी। वास्तव में इस क्षेत्र में अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है। सामूहिक योजनाओं और विस्तार सेवाओं के सम्बन्ध

में मेरा यह निवेदन है कि भावी आन्ध्र सरकार विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में इन कार्यों को केन्द्रित करे। उन क्षेत्रों में जहां अन्य सुविधायें हैं और जहां तुरन्त परिणाम दिखाई पड़ते हैं वहां इन योजनाओं को कार्यान्वित करने से ही काम समाप्त नहीं हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि कमी वाले क्षेत्रों में इन का प्रसार किया जाय।

दूसरी बात यह है कि राज्य में पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करने और स्वास्थ्य विषयक सावधानियों का प्रचार बहुत आवश्यक हैं। आप को विदित होगा कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र में पानी उपलब्ध नहीं होता है। मेरे ही जिले में ऐसे गांव हैं जहां पानी नहीं मिलता है। भूतपूर्व मंत्रियों ने वचन दिया था कि अमुक गांव में यदि कुंएं न खोदे गये और पानी का प्रबन्ध न किया गया तो वे त्यागपत्र दे देंगे। मैं सभी स्थानों में पानी जैसी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता के बारे में बताना चाहता हूं। उस के लिये पर्याप्त केन्द्रीय अनुदानों की मांग की जा सकती है। और स्वास्थ्य मंत्रालय अवश्य अनुदान देगा। आन्ध्र राज्य के हित में यह बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात आन्ध्र में तंबाकू, मूंगफली और तिलहन की वाणिज्यिक फसलों के बारे में है। जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने आयात-निर्यात नीतियों का अनुसरण किया है उस से यह दिखाई पड़ता है कि वह नीतियां किसान के हित में नहीं हैं। गत वर्ष तम्बाकू के सम्बन्ध में एक बड़ा संकट था और जहां लोगों को एक हजार रुपया मिलना चाहिये था वहां उन्हें २०० रुपये भी नहीं दिये। यह परिणाम हुआ।

जहां तक मूंगफली, तिलहन, गुड़ आदि का सम्बन्ध है उन के उत्पादन में जो धन तथा श्रम लगता है कृषकों को यह भी नहीं मिल पाता है तथा जो व्यक्ति कृषकों से इस माल को खरीद कर इन का संग्रह कर के आयात-निर्यात करते हैं वही लाभ उठाते हैं। इसीलिये मेरा सुझाव है कि आन्ध्र राज्य के हित के लिये इन सभी वस्तुओं के निर्यात की नीति निर्धारित की जानी चाहिये तथा इस पर कर लगा कर आयव्ययक में वृद्धि की जानी चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम् : उन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पश्चिमी बंगाल सरकार को जूट उत्पादन के सम्बन्ध में हिस्सा दिया जाता है उसी प्रकार आन्ध्र को तम्बाकू के लिये मिलना चाहिये।

श्री राघवाचारी : मेरा यह विचार है कि देश के उस भाग में उत्पन्न निर्यात होने वाली वस्तुओं के लाभ का कुछ हिस्सा उस राज्य को भी मिलना चाहिये।

तेल उद्योग के सम्बन्ध में भी मेरा विचार है कि बड़े कोल्हू स्थापित न कर के देश के सभी ग्रामों में, घानी पद्धति प्रचलित की जाय। इस से बहुत से खाद की भी बचत होगी तथा सिन्दरी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

आवास योजनाओं के सम्बन्ध में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा मिले हुए अनुपात तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि अधिकतर नगरीय गृह-निर्माण योजनाओं में व्यय होती है गावों में नहीं। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि सरकार प्रत्येक गांव में बहुत अधिक परिमाण में ईंटों का संग्रह करे, और इस प्रकार अकुशल श्रमिकों को रोजगार दे। इस प्रकार गांवों की जनता अपने घर बना सकती है तथा धन की बचत हो सकती है। देहातों के घरों में अधिकतर

[श्री राघवाचारी]

दीवारें अथवा फर्श बहुत ही खराब होते हैं । अतः मेरे विचार से यदि सरकार ने इस प्रकार कार्य किया तो देश की आवास सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो सकता है ।

पागल व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति मद्यपान करने को अच्छा नहीं कहेगा । मद्यनिषेध का मुख्य उद्देश्य मदिरा पान करने की प्रवृत्ति को कम करना है परन्तु कम होने के स्थान पर इस का प्रचलन अधिक ही हो रहा है । खेदजनक बात तो यह है कि जिस समय मद्यनिषेद्य नहीं था तब अच्छी मदिरा तो मिलती थी परन्तु अब हानिकारक मदिरा लोग लुके छिपे पीते हैं । इस समय इस का मूल्य भी ५० प्रतिशत अधिक हो चुके हैं जिस के कारण इस ने भी कुटीर उद्योग का रूप धारण कर लिया है तथा प्रत्येक घर में अवैध रूप से मदिरा बनाई जाती है ।

इसलिये नीतियां बनाते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमें मद्यनिषेध भी पूर्णतया लागू करना है । केवल नाम के लिये ही इसे लागू नहीं किया जाना चाहिये । इस से तो सरकार के राजस्व की हानि होती है तथा जनता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है ।

मैं ने खाद्य मंत्रालय से कई बार कहा है कि अनन्तपुर तेल टैक्नोलोजिकल संस्था का प्रबन्ध केन्द्र अपने हाथ में ले ले । इस संस्था की स्थापना में ८ अथवा १० लाख रुपये लगे हैं तथा इस का संचालन एक अनुभवी प्रिंसिपल द्वारा किया जाता है । राज्य सरकार ने भी इस प्रकार का सुझाव दिया था तथा अब इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है । इस के द्वारा हम व्यक्तियों को तेल उद्योग में सुधार करने तथा उत्तम प्रकार के तिलहन के उत्पादन के लिये प्रशिक्षित कर सकते हैं । यह स्थान मैसूर, हैदराबाद, तथा मद्रास आदि सभी के पास है । अतः इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये ।

अनुपूरक आयव्ययक से मुझे ज्ञात हुआ है कि तुंगभद्रा की ऊंचे तल वाली नहर की जांच की जा रही है । मैं चाहता हूं कि जब यह प्रश्न निश्चित हो जाये तब इस ऊंचे तल वाली नहर की एक शाखा अनन्तपुर तथा धमविरम् की ओर भी बनाई जानी चाहिये जिस से कि वहां पानी की कठिनाई दूर हो जाये । तुंगभद्रा बांध में पर्याप्त पानी है । बाढ़ के समय इस शाखा के द्वारा इन जिलों के तालाबों को भर दिया जाये जिस से कि वहां सिंचाई में सहायता मिले । यदि इस में एक अथवा दो करोड़ रुपया अधिक भी व्यय होता हो तो भी कोई बुराई नहीं है । इन तालाबों का महत्व उस स्थान के निवासी ही जानते हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लौर) : प्रायः समस्त संसार आन्ध्र के चुनावों की ओर उत्सुकता से देख रहा था । चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं तथा अब प्रश्न एक स्थायी सरकार की स्थापना का है । सभी बाह्य कठिनाइयां पूर्ण रूप से दूर हो चुकी हैं परन्तु मंत्रिमंडल बनाने के लिये आन्तरिक कठिनाइयां अभी शेष हैं । मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार तेलुगु नवीन वर्ष दिवस से आन्ध्र में मंत्रिमंडल की स्थापना अवश्य करा देगी ।

आयव्ययक के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र में सिंचाई परियोजनाओं की कमी भी सुचारु रूप से योजना नहीं बनाई गई है । योजना आयोग ने भी सिंचाई के विकास के लिये कोई सिंचाई परियोजना ठीक प्रकार से नहीं बनाई है । जैसे तुंगभद्रा परियोजना के निर्माण के समय न तो राज्य सरकार ने तथा न ही केन्द्रीय सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि इस नवीन

परियोजना से कितनी भूमि का विकास होगा। पर्याप्त चर्चा के पश्चात् ही ऊंचे तल वाली ही इस नहर की स्वीकृति दी गई थी।

केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर राज्य सरकार कडुप्पा-कुरनूल नहर का भी पुनःनिर्माण कर रही है। जब इस का विकास हो जायेगा तो और भी नहरें इस में से इस लिये खोदी जायेंगी क्योंकि हमें के० सी० नहर का पुनःनिर्माण करना है। मेरा यही सुझाव है कि कानपुर तथा कावली नहरों की खुदाई शीघ्र होनी चाहिये अन्यथा के० सी० नहर का कार्य कुछ वर्षों के लिये व्यर्थ ही रहेगा।

आन्ध्र में छोटी छोटी अन्य सिंचाई परियोजनायें भी हैं। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक केन्द्रीय सरकार इस में, हस्तक्षेप नहीं करेगी स्थानीय सरकार इस में कोई सुधार कार्य नहीं करेगी।

आयव्ययक में तीन कृषि स्कूल नन्दमाल, बायरला तथा सामलकोट में खोलने की व्यवस्था है। परन्तु हमें यह नहीं बताया गया कि वे कृषकों के लिये किस प्रकार हितकारी होंगे। यदि कृषकों को ही दो तीन माह का प्रशिक्षण देने का विचार है तो वास्तविक कृषकों के स्थान पर केवल बेकार व्यक्ति ही प्रशिक्षण प्राप्त करने आयेंगे। परन्तु फिर भी तीनों स्कूलों को एक साथ न खोल कर केवल एक स्कूल ही खोल कर प्रयोग करना उपयुक्त होगा।

बेकार भूमि के बंटवारे के सम्बन्ध में बड़ा ही हल्ला मचा हुआ है कि कार्य की प्रगति ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। इसमें बड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं परन्तु फिर भी आन्ध्र सरकार को इन कठिनाइयों को दूर करके कार्य में प्रगति करनी है।

उर्वरकों के संभरण पर जोर दिया गया है। सभी जानते हैं कि अनाज के मूल्य गिर रहे हैं। इसलिये जब तक इन उर्वरकों के मूल्य भी बहुत कम नहीं होंगे जनता इनको इतने ऊंचे मूल्य पर नहीं खरीदेगी। सरकार को इसके इतने मूल्य निर्धारित करने चाहियें जिससे कि इनका प्रयोग अधिक से अधिक हो सके।

अभी तक सभी को उर्वरक ऋण के रूप में भी दिये जाते हैं, इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि बड़े किसानों को यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि वे उसी समय उसका मूल्य दे सकते हैं। इस प्रकार सरकार को बड़ी बड़ी रकमें उगाहने की कठिनाई भी नहीं उठानी होगी।

डा० लंका सुन्दरम् ने चावल की बिक्री के सम्बन्ध में कहा। १९५४ के प्रारम्भ में आन्ध्र सरकार चावल का व्यापार करना चाहती थी परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि यह सम्पूर्ण योजना रोक दी गई। इस सम्बन्ध में मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि चावल खरीदने, बेचने के स्थान पर १ रुपये ८ आने प्रति मन का अधिभार लगाया जाना चाहिये जिससे कि सरकार को कुछ लाख रुपये मिल जायेंगे। परन्तु उस समय के मंत्रिमंडल ने मेरे इस सुझाव को व्यर्थ समझा तथा इस खरीद तथा बिक्री की योजना में असफल रहा।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मद्रास से जब आन्ध्र राज्य अलग बनाया गया था तो आन्ध्र में कोई पशु-चिकित्सा कालेज नहीं था। मद्रास पशु-चिकित्सा कालेज में आन्ध्र के लिये २७ स्थानों का रक्षण किया गया जब कि १२० अभ्यर्थी थे। इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार से आशा करता हूं कि आन्ध्र राज्य के पशु धन के महत्व को देखते हुये एक पशु-चिकित्सा कालेज आंध्र राज्य में स्थापित किया जायेगा।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

हमें नवीन सरकार के प्रति सद्भावना रखनी चाहिये तथा केन्द्रीय सरकार से आशा करनी चाहिये कि वह आन्ध्र सरकार को सुचारू रूप से कार्य करने में पूर्ण सहयोग देगी ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : अनुपूरक मांग की सब से प्रथम मद कृषि योग्य बंजर भूमि के सम्बन्ध में है । मुझे मांग के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मुझे केन्द्रीय सरकार से बड़ी शिकायत है । पिछली आन्ध्र विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें बिना किसी मूल्य के कृषि योग्य बंजर भूमि के वितरण का उपबन्ध था । परन्तु बाद में इस पर ठीक प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा इस भूमि का जो भाग कृषक श्रमिकों को दिया गया था कुछ वर्ष पश्चात् उसे वापिस ले लिया गया, जिसके कारण सत्याग्रह आदि हुआ और कितने ही व्यक्तियों को कारावास में डाला गया और जिनको सरकार की समाप्ति के पश्चात् राज्यपाल के विशेष आदेश द्वारा छोड़ा गया ।

आन्ध्र में ३३ लाख एकड़ कृषि योग्य बंजर भूमि है । इसलिये यदि आन्ध्र सरकार इसका वितरण करना चाहती है तो बिना किसी को कोई प्रतिकर दिये वह ऐसा कर सकती है । इस सम्बन्ध में मैं पंचवर्षीय योजना की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाता हूं ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या आपको निश्चय है कि यह भूमि ३३ लाख एकड़ है १३ लाख नहीं ?

डा० रामा राव : जी हां । सरकार के पास आंध्र में ३३ लाख एकड़ बंजर भूमि है जो खेती के काम में आ सकती है किन्तु सरकार ने कहा है कि वह उसम से केवल १३½ लाख एकड़ भूमि का वितरण करेगी । एक ओर तो भूदान वाले यह कहते हैं कि भूमि दान में दीजिये और दूसरी ओर भूमि बेच कर लाभ उठाया जा रहा है । हमने सुना है कि आन्ध्र सरकार इस भूमि को बेच कर इससे प्राप्त धन को सिंचाई के उपयोग में लायेगी ।

यदि इस भूमि को बेचा गया तो इसका परिणाम यह होगा कि जो लोग धनी हैं वे अधिक दाम देकर इसको खरीद लेंगे और जो निर्धन हैं उन्हें इससे वंचित रहना पड़ेगा । उनकी दशा पहले से भी बिगड़ जायेगी और जब सिंचाई की सुविधायें बढ़ जायेंगी तब इस भूमि का मूल्य और अधिक बढ़ जायेगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्धन लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकेगा । अतः मेरा निवेदन यह है कि वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग को इस भूमि को बेचने के बजाय कृषि श्रमिकों तथा भूमि हीनों में बांट देनी चाहिये ।

उद्योग क्षेत्र में आन्ध्र बहुत पिछड़ा हुआ है यद्यपि उसके पास अनेक संसाधन हैं । उदाहरण के लिये आन्ध्र का तम्बाकू भारत में सर्वश्रेष्ठ होता है । यही बात चीनो के सम्बन्ध में कही जा सकती है । आन्ध्र के खेतों में बिहार और उत्तर प्रदेश की अपेक्षा प्रति एकड़ भूमि दुगनी उपज होती है । हमें ५२ करोड़ रुपये की चीनी आयात करनी पड़ती है । यदि हम आन्ध्र में गन्ने की खेती को प्रोत्साहन दें तो इस धन की बचत हो सकती है और इसके साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है ।

सीमेंट अभ्रक, मेंगनीज़ आदि के सम्बन्ध में आन्ध्र बहुत सम्पन्न है । इन के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता है ।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है मुझे प्रसन्नता है कि नन्दिकोंडा, तुंगभद्रा और नेल्लोर का उल्लेख किया गया है । मुझे याद है कि सर एम० विश्वरैय्या ने जरसप्पा प्रपात को देख कर कहा था कि कितनी जल-शक्ति बेकार नष्ट हो रही है । इसका परिणाम यह हुआ कि वहां की वृहत् जलराशि का उपयोग किया जाने लगा । मुझे विश्वास है कि इन सिंचाई योजनाओं की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा और यह काम शीघ्र हो सकेगा ।

आन्ध्र के विजिगापट्टम, काकिनाडा, मछलीपट्टम आदि अच्छे पत्तन हैं । मुझे आशा है कि आन्ध्र सरकार को उनके विकास के लिये जो धन प्राप्त हुआ है उसका वह पूर्ण रूपेण उपयोग करेगी ।

अन्त में मुझे यह और बताना है कि वहां कोई नई रेलवे लाइन बनाने की योजना नहीं है न वहां कोई पशु-चिकित्सा विद्यालय है और न कोई सरकारी अनाथालय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का सम्बन्ध अनुदान की मांग से नहीं है ।

डा० रामा राव : मेरे कहने का अभिप्राय: केवल इतना ही है कि रेलवे मंत्रालय ने आन्ध्र सरकार को जो एक लाख रुपये का ऋण दिया है उसका उसने उपयोग नहीं किया है । मेरा यही निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को भूमि के सम्बन्ध में, उद्योग के सम्बन्ध में तथा सिंचाई के सम्बन्ध में आन्ध्र की पूरी सहायता करनी चाहिये ।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : मुझ इस बात की प्रसन्नता है कि विरोधी दल के सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आन्ध्र में चुनाव ईमानदारी के साथ सम्पन्न हुये हैं ।

माननीय डाक्टर लंका सुन्दरम् ने आन्ध्र के पिछले शासन की बड़ी आलोचना की है और उसे बहुत बुरा बताया है । उसके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया है । इस प्रश्न का उत्तर साधारण व्यक्ति भी दे सकता है कि यदि वहां का शासन बिगड़ा हुआ प्रतीत होता तो जनता ने इतनी अधिक संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मत न दिया होता और अब तो कृषिकार लोक पार्टी और प्रजा-पार्टी भी वहां पर कांग्रेस में विलीन हो गई है जो कांग्रेस शासन के लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

हम सब जानते हैं कि आन्ध्र राज्य इस समय तक नवजात शिशु के समान है और उसके पथ में अभी अनेक बाधायें हैं । किन्तु नवोदित चन्द्र की भांति उसका भविष्य उज्ज्वल है ।

पिछले ग्यारह महीने में आन्ध्र में जितना अच्छा शासन रहा है उतना शायद ही किसी अन्य राज्य का रहा होगा । वहां सिंचाई की योजनाओं में आशातीत सफलता मिली है और अभी तक उसी प्रगति से निर्माण कार्य बराबर चल रहा है ।

यह एक आश्चर्य का विषय है कि अनन्तपुर जिले में केवल ४० दिन में दो नगरों में बिजली लगाई गई ।

मैं आन्ध्र के रायलसीमा क्षेत्र का निवासी हूं जो अकाल पीड़ित है । वहां पानी की बहुत कमी है । आन्ध्र सरकार ने ग्रामीणों को कुएं खोदने के लिये आर्थिक सहायता दी है । उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं के लिये गांवों को बिजली देने की बड़ी आवश्यकता है । विशेषत: मेरे नगर कल्याणदुर्ग में इस की और भी अधिक जरूरत है । क्योंकि वह ऊंचाई पर स्थित है । वहां पर मूंगफली के तेल का उद्योग खूब होता है । आन्ध्र में कुटीर-उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है । हमारे क्षेत्र में उच्च स्तर की नहर बनाने की जो योजना चल रही है उसे शीघ्र ही पूरा

[श्री लक्ष्मय्या]

किया जाना चाहिये। वह मेरे जिले से धर्मावरम तालाब तक जानी चाहिये।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि आन्ध्र का नवराज्य अपनी इस महत्वपूर्ण विजय के उपरान्त उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा, अपना प्रशासन उचित रीति से चला सकेगा और अपनी योजनाओं में सफल हो सकेगा।

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलुरु) : मैं अपने पूर्ववक्ता का समर्थन करता हूं जिन्हों ने आन्ध्र की पिछली सरकार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कुरनूल नगर को देखने से ही ज्ञात हो जाता है कि आन्ध्र सरकार ने कितने प्रशंसनीय कार्य किये हैं। पहले जहां अफसरों के लिये तम्बू लगे रहते थे अब वहां सुन्दर भवन बने हुए हैं।

मेरे मित्र डा० रामा राव ने बंजर भूमि का उल्लेख किया है। मेरा इस विषय से पिछले दस वर्षों से सम्बन्ध है और मैं पिछली सरकार की भूमि सुधार समिति का भी सदस्य रह चुका हूं। आन्ध्र में १३½ लाख एकड़ बंजर भूमि ऐसी है जो खेती के उपयोग में आ सकती है। सरकार ने इस के आवंटन की देख रेख के लिये विशेषाधिकारियों को नियुक्त किया है और इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जायगा कि जो निर्धन कृषक हैं और जो मजदूर के रूप में खेती करते रहते हैं उन्हें यथासम्भव भूमि दी जाये। इस से बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा और अन्न की पैदावार भी काफी बढ़ जायेगी।

आंध्र कृषि प्रधान राज्य है। वहां चावल, तम्बाकू और मूंगफली बहुत पैदा होती है और यह पैदावार काफी बढ़ाई जा सकती है। केन्द्रीय सरकार ब्रह्मा या अन्य देशों से करोड़ों रुपये का चावल न खरीद कर यदि आंध्र में इस की खेती को प्रोत्साहित करे तो देश का बहुत हित हो सकता है। मूंगफली और गन्ने के विषय में भी यही बात कही जा सकती है।

मैं जब आन्ध्र में गया और जब मैं ने वहां के सचिवों से पूछा कि केन्द्रीय अनुदान का उपयोग करने में विलम्ब क्यों हो रहा है तो उन्हों ने बताया कि राजधानी के स्थानांतरित होने के कारण आवश्यक लेखे समय पर प्राप्त नहीं किये जा सके। आशा है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे लेखों की ओर विशेष ध्यान न दे कर अनुदान प्रदान करने में शीघ्रता करेगी।

इस के अतिरिक्त आंध्र में आवास के प्रश्न पर तथा पशु चिकित्सा-विद्यालय खोलने के प्रश्न पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। आंध्र के छात्रों को मद्रास के विद्यालयों में उचित स्थान नहीं मिल पाता है और स के लिये उन को भी दोष नहीं दिया जा सकता है। हमें शीघ्रातिशीघ्र अपने यहां विद्यालयों की मांग पूरी करनी पड़ेगी।

इसी प्रकार आंध्र में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को भी लागू किये जाने की आवश्यकता है। वहां पर खेतिहर मजदूर उचित मजूरी के लिये आन्दोलन कर रहे हैं और इस अधिनियम के लागू किये बिना उन की स्थिति नहीं संभल सकती। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इन सब बातों पर समुचित ध्यान देगी।

श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल) : इन चार महीनों में प्रशासन जितनी सफलता के साथ किया गया है उस के लिये मैं राज्यपाल को बधाई देता हूं। मैं जिला मुख्यालयों में गया था जहां अधिकारियों तथा जनता दोनों ने इस का समर्थन किया।

मैं जानता हूं कि यह एक अपेक्षक आवश्यक है और इस में बड़े बड़े उद्योगों

के सम्बन्ध में कोई बड़ें बड़ें सुझाव नहीं दिये जाने चाहियें । फिर भी मैं कुछ छोटे छोटे सुझाव दूंगा जो छोटे तो हैं पर बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

तुंगभद्रा का जल नहरों में बह रहा है परन्तु आन्ध्र राज्य सरकार ने स का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया है कि रय्यत को, अपनी भूमि को जलाधिक्य कृषि के योग्य बनाने के लिये उसे समतल करने के लिये पर्याप्त धन राशियां दी जायें ।

जिला कुरनूल के कादीमेतला तथा बनवासी ग्रामों में जो जंगल हैं, जो जंगल तो कहे जाते हैं परन्तु वहां वृक्ष एक भी नहीं है और भूमिहीन मजदूरों द्वारा वहां की भूमि जोती जाती है । वन विभाग से मुझे पता चला है कि यह मामला दो वर्ष से विचाराधीन है और अभी तक वहां बन लगाने का कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

बल्लारी सेन्ट्रल जेल मैसूर राज्य को दे दिया गया है । समवर्ती जिलों या रायलसीमा जिलों के लिये एक और सेन्ट्रल जेल बनाये जाने की आवश्यकता है ।

मद्य-निषेध तथा पुलिस विभागों में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है । मेरे ही ग्राम में अवैध रूप से शराब तैयार करने वाले पुलिस तथा मद्य निषेध अधिकारियों को ८०० रुपये साप्ताहिक मामूल दे देते हैं और फिर अपना काम बिना रोक टोक के करते रहते हैं । पहले गांव में एक अनुज्ञप्ति वाली दुकान होती थी परन्तु अब तो हर गांव में बीस पच्चीस दुकानें होती हैं । चूंकि अब शराब घर घर में तैयार की जाती है । इस लिये अब मद्य का सेवन औरतें और बच्चे तक करने लगे हैं । इसलिये आंध्र में मद्य निषेध पूर्ण रूप से असफल रहा है यहां तक कि इसी को ले कर मंत्रिमंडल को पदच्युत होना पड़ा था ।

मेरे नगर येमिगनूर में माध्यमिक शिक्षा समिति नाम की एक एच्छिक संस्था ने स्थानीय बोर्ड हाई स्कूल के लिये ८०,००० पया लगा कर एक भवन निर्माण किया है जिस की दीवारें खड़ी हो चुकी केवल छत पाटने की कसर है । जिला बोर्ड कुरनूल ने इस भवन को पूरा करने के लिये अनुदान की प्रार्थना की है । कहा जाता है कि इस भवन को पूरा करने के लिये एक लाख रुपये की आवश्यकता है परन्तु सरकार ने इस के लिये किसी भी धनराशि का उपबन्ध नहीं किया है । मुझे बताया गया है कि यदि सरकार ५०,००० रुपये का प्रबन्ध करने और इसे पूरा कराने का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिये तैयार हो तो उक्त समिति ५०,००० रुपये का प्रबन्ध करने को तैयार है ।

राज्य के सहकारी विभाग में अनुशासन-हीनता बहुत बढ़ गई है । अकेले सहकारी विभाग के अधिकारी लेखा परीक्षा विभाग के प्रभारी हैं । येमिगनूर की एक बुनकर सहकारी समिति में लेखा परीक्षक द्वारा $1\frac{1}{2}$ लाख रुपया निलम्बित कर दिया गया था परन्तु विभाग के उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया कि वह वहां जाये उस राशि के अधिकांश भाग को मुक्त कर दे । कुरनूल के जिलाधीश ने एक वर्ष पूर्व सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से इसकी जांच करने को कहा था परन्तु उसने आज तक जांच नहीं की है । उसको डर है कि इस समिति के सभापति को पद्म विभूषण का पदक प्रदान किया गया है और यदि जनता को इन अनियमितताओं या भयंकर गलतियों का पता चल जायेगा तो भारी बदनामी हो जायेगी । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सरकार को इस मामले की तुरंत जांच करनी चाहिये ।

आन्ध्र राज्य के पुलिस विभाग ने पुलिस सतर्कता समितियां बनाई हैं । ऐसी समितियां हर गांव में बनाई जानी चाहियें ।

[श्री गाडिंगन गौड़]

मेरे मित्र श्री लक्ष्मय्या कह रहे थे कि सरकार ने कुछ गांवों में ४० दिन के भीतर बिजली लगवा दी, हो सकता है कि तत्संबंधी मंत्री मेरे माननीय मित्र के ज़िले के रहे हों तभी इतनी जल्दी काम हो गया हो, नहीं तो मैंने स्वयं गुडिकुल ग्राम में बिजली लगवाने के लिये सुपरिन्टेंडिंग एलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भेंट की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि उक्त ग्राम में १९५३ के अन्त तक बिजली लगा दी जाये और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि १ जनवरी १९५४ को कार्यारम्भ कर दिया जायेगा, फिर भी अब मार्च १९५५ आ गया है और अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : अध्यक्ष पद पर आपके आसीन होते हुये मुझे बोलने में प्रसन्नता होती है । अनुपूरक तथा लेखानुदानों की मांगों का जहां तक सम्बन्ध है मुझे कुछ कठिनाई सी अनुभव होती है । किसी कटौती प्रस्ताव की सूचना दी नहीं गई थी और न ऐसा कोई संकेत ही दिया गया था जिससे पता चलता कि किन विषयों पर यहां चर्चा की जायेगी । फिर भी राज्यपाल के प्रशासन की कार्यदक्षता की जिन शब्दों में सराहना की गई है उसको सुन कर मुझे बहुत संतोष हुआ है । मैं आशा करता हूं कि सभा यह चाहेगी कि राज्यपाल के प्रशासन की जो सराहना सभा ने की है उसे मैं राज्यपाल के पास भेज दूं । संसद् द्वारा लोक सेवाओं की सराहना करना एक नई बात है और मैं आशा करता हूं कि ऐसा करने से सम्पूर्ण प्रशासनीय ढांचे को बल तथा स्फूर्ति मिलेगी ।

एक सदस्य को छोड़ कर सभी ने यह मत प्रकट किया है कि आन्ध्र के निर्वाचन पूर्ण निष्पक्षता के साथ किये गये हैं और उन्होंने अन्य सदस्यों का प्रतिवाद नहीं किया है ।

मुझे यह सुन कर बहुत ही आश्चर्य हुआ, जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है, कि आन्ध्र के मंत्रिमंडल ने अपना उत्तरदायित्व भली प्रकार नहीं निभाया है । मैं आन्ध्र मंत्रिमंडल के काम की जांच करने को तैयार हूं परन्तु निर्वाचन के परिणाम को देखते हुये संभवतः अब ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है । आन्ध्र की जनता से अधिक उपयुक्त इसकी जांच करने वाला और कौन हो सकता है । इसलिये आन्ध्र की जनता के सर्व सम्मतिपूर्ण समर्थन के बाद उसके प्रशासन की उत्तमता में अब संदेह करने का स्थान ही कहां हो सकता है । आन्ध्र की जनता को मंत्रिमंडल के दैनिक कार्यों को देखने का तथा उसकी सेवाओं को जांचने का सबसे अच्छा अवसर मिला था इसलिये आन्ध्र की जनता के इस सर्वसम्मत निर्णय से अच्छा और किसका निर्णय हो सकता है ।

कुछ सुझाव दिये गये हैं कि नया मंत्रिमंडल स्थायी होना चाहिये साथ ही में यह संदेह भी प्रकट किया गया है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी को किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का अवसर ही मिले । दोनों बातें नहीं हो सकती हैं । फिर भी मैं समझता हूं कि सतर्कता और सुधार की आवश्यकता तो हर दशा में रहती ही है । मैं आशा करता हूं जो निर्वाचित हुए हैं तथा नया मंत्रिमंडल उस महान उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहेगा जो आन्ध्र की समस्त जनता ने अपने अडिग विश्वास प्रकट कर के उन के कंधों पर लादा है ।

कुछ विशेष भागों के सम्बन्ध में तथा विकास की कुछ विशेष मदों को ले कर कुछ

बातें कहीं गई हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य सारी स्थिति का अवलोकन ध्यान से करते तो स्पष्ट हो जाता कि आन्ध्र में प्रशासन का कार्य अन्य प्रादेशिक या राज्य प्रशासनों की तुलना में किसी प्रकार भी घट कर नहीं रहा है, और वह भी जब कि आन्ध्र को सब काम नये सिरे से आरम्भ करना पड़ा था। इसलिये हमें आन्ध्र के मंत्रिमंडल के कार्यों की आलोचना नहीं करनी चाहिये वरन् हमें उसे बधाई देनी चाहिये कि उस ने इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी प्रशासन को इतनी सफलता के साथ चलाया।

अनुदानों के व्यपगत होने की बात कही गई है। आन्ध्र सरकार को सभी कार्य नये सिरे से करने थे और साथ ही जनता के पैसे को खर्च करने के उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखना था। ऐसी अवस्था में यदि आन्ध्र मंत्रिमंडल ने सावधानी से काम लिया तो यह आलोचना का विषय नहीं होना चाहिये। यदि माननीय सदस्य आगामी वर्ष के आयव्ययक को देखें तो वे देखेंगे कि पुनरीक्षित प्राक्कलन बढ़ गये हैं। इस से प्रकट होता है कि अब योजना का कार्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। अनुपूरक मांगों को देखने से जान पड़ता है कि नये विकास कार्यों के लिये बहुत उत्साहवर्धक उपबन्ध किये गये हैं।

आन्ध्र के भीतर भी उत्तर और दक्षिण की खींचातानी को देख कर मुझे बड़ी परेशानी होती है। यदि हम सदा प्रदेशों की ही बात सोचते रहेंगे तो हम अपने देश की एकता को कैसे कायम रख सकेंगे। आखिर सभी स्थानों का विकास एक साथ तो नहीं किया जा सकता है। कोई न कोई व्यवस्था तो होगी ही। परन्तु जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उस से तो पता चलता है जितना उत्तर के लिये किया गया है उतना ही पश्चिम के लिये किया गया। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है आंन्ध्र के पिछड़े हुए भागों का विकास करने तथा वहां के निवासियों के जीवन स्तर को उठाने के लिये हर प्रकार की सहायता की जायेगी। यही हमारा अभिप्राय है और हम सब संयुक्त रूप से इसी को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे।

कुछ सुझाव इस सम्बन्ध में भी दिये गये थे कि तुंगभद्रा परियोजना का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाये जिस से कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचे। निस्सन्देह ही ऐसा किया जायगा और उस से अधिकतम लाभ उठाने के प्रयत्न किये जायेंगे।

आन्ध्र से अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले चावल पर निर्यात-शुल्क लगाये जाने की संभावना का भी निर्देश किया गया था। मैं सोचता हूं कि इस रकम को देगा कौन। चाहे उसे निर्यात शुल्क कहिये या किसी और नाम से पुकारिये अन्ततः इस का भार आन्ध्र के किसानों पर ही पड़ेगा। किसी भी राज्य को अन्य जिलों को भेजे गये माल पर निर्यात-शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है, और आज जैसी परिस्थिति में जब कि खाद्य वस्तुओं के मूल्य गिरते जा रहे हैं इस प्रकार का विचार करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। खाद्य वस्तुओं के गिरते जा रहे मूल्यों से मैं स्वयं भी चिन्तित हूं और मेरी इच्छा है कि मूल्यों को स्थिर करने के लिये अवश्य ही कुछ किया जाना चाहिये जिस से कि जनता की क्रय शक्ति का ह्रास न होने पाये। यही उद्देश्य है, और इसी सिद्धान्त को हमें अपने समक्ष रखना चाहिये।

आन्ध्र में सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, और यह स्वाभाविक भी है। ग्राम्य विकास तथा कृषि की उन्नति के लिये बड़ी बड़ी रकमें भी खर्च की गई हैं। नये तरीके चालू किये गये

[पंडित जी० बी० पन्त]

हैं, अधिकाधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया गया है, और प्रति एकड़ उपज बढ़ गई है। हमें इन तरीकों को राज्य के एक भाग में ही नहीं अपितु समस्त राज्य में चालू रखना है जिस से कि भारत के नागरिक एक स्वस्थ, सुन्दर तथा सुसंस्कृत जीवन व्यतीत कर सकें। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये हम सब ने नित्य प्रति प्रयत्नशील रहना है।

कई अन्य छोटी छोटी बातों जैसे कि बुनियादी शिक्षा की पाठशालाओं, आदि की ओर भी निर्देश किया गया। यह प्रशिक्षण केवल इसलिये दिया जायगा ताकि ये लोग ग्रामीण कृषकों में सम्मिलित हो सकें और उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये जिस से कि उन्हें अपने शैशव काल से ही उस ओर रुचि हो जब कि उन के मस्तिष्क कुछ ग्रहण कर सकने योग्य होते हैं।

कुछ सुझाव और भी थे और विशेष जोर इस बात पर दिया गया था कि बंजर भूमि का किस प्रकार से प्रबन्ध किया जाता है। यदि बंजर भूमि को वैसे ही दे दिया जाता तो आन्ध्र के कुछ ही लोगों को भूमि मिलती। क्या किया जाये ? हमें रुपये की आवश्यकता है, हमें अपने सारे संसाधनों से रुपया प्राप्त करना है। क्या वे ही लोग जिन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो भार उठायें, अथवा वे लोग उस को सहन करें जिन्हें कुछ प्राप्त न हुआ हो और फिर भी उन्हें कुछ देने के लिये तंग किया जाये। समानता का यह साधारण सिद्धान्त है और हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि जब तक हम उपलब्ध संसाधनों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर सकते तब तक हम अपने देश का उतना शीघ्र विकास नहीं कर सकते जितना ह म चाहते हैं। भारत अविकसित नहीं रहेगा ; इस देश के प्रत्येक भाग के संसाधनों का पूरा पूरा लाभ उठाया जायगा और इस संघ में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा तथा सभ्य जीवन बितायेगा। मुझे आशा है कि जितना हमारा अनुभव बढ़ता जायेगा उतना ही हम अपने तरीकों, अपने वचन तथा कर्म आदि में अहिंसा का प्रयोग करने लगेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वास्तदिक जीवन के अनुभवों को व्यर्थ में जाने नहीं दिया जायेगा। किन्तु मैं इस सम्बन्ध में दृढ़ विश्वास रखता हूं कि यदि एक बार हम ने उन बातों को भुला भी दिया, तो पुनः वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और आखिर में महात्मा गांधी के बनाये हुए सिद्धान्तों को ही हमारे देश के लिये ठीक मानना पड़ेगा और हम में से प्रत्येक व्यक्ति सर्वोत्तम कार्य उसी समय कर सकता है तथा लोगों की श्रद्धा का पात्र उसी समय बन सकता है जब कि वह स्वयं उन में श्रद्धा करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मांग संख्या १, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १६, १७, १९, २२, २३, २४, २६, २७, ३१, ३३, ३४, ३४क, ३४ख, ३६, ३७, ३९ और ४० के सम्बन्ध में क्रम पत्र के तृतीय स्तम्भ में उन के सामने दी हुई अनुपूरक राशियां आंध्र राज्य की संचित निधि में से दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[लोक-सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की सूची नीचे दी जाती है—सम्पादक संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
१	भू–राजस्व . .	४०,४००
४	वन	१००
७	सामान्य बिक्री कर और अन्य कर तथा शुल्क .	३,२७,९००
८	सिंचाई . . .	२२,२२,३००
९	राज्य का प्रधान मंत्री, तथा मुख्यालय के कर्मचारी	२,५८,४००
१०	राज्य विधान मंडल और चुनाव . .	२१,६४,९००
११	जिला प्रशासन तथा विविध . .	३८,४८,९००
१२	न्याय का प्रशासन . . .	१,११,६००
१३	जेलें	८,३६,७००
१६	चिकित्सा	८,०४,३००
१७	लोक-स्वास्थ्य	५,००,०००
१९	पशु–चिकित्सा	९२,८००
२२	अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण . .	३१,५८,६००
२३	कारखानों सहित श्रम . . .	३५,९००
२४	असैनिक निर्माण-कार्य-निर्माण . .	१,७३,२००
२६	असैनिक निर्माण-कार्य-सहायता-अनुदान .	२३,०३,२००
२७	विद्युत्	१८,४१,८००
३१	विविध	३०,०००
३३	जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् भूमिधरों को प्रतिकर का भुगतान . .	११,४३,३००
३४	सिंचाई पर पूंजी व्यय . . .	३००

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
३४ क	लोक-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी व्यय . .	१,००,०००
३४ ख	कृषि सुधार तथा गवेषणा . . .	५३,२६,८००
३६	असैनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी व्यय . .	१६,७९,४००
३७	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी व्यय . .	१,१००
३९	राज्य द्वारा व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय .	४,२६,६२,३००
४०	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	१,८३,६३,७००

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं लेखानुदानों की मांगें आन्ध्र-सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मांग संख्या १ से ४२ तक के सम्बन्ध में क्रमपत्र के तृतीय स्तम्भ में इन के सामने दी हुई राशियां आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[लोक-सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की सूची नीचे दी जाती है—सम्पादक संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
१	भू–राजस्व विभाग . . .	३६,१०,०००
२	उत्पादन-शुल्क विभाग . . .	१५,१५,०००
३	स्टाम्प	५,८१,०००
४	वन विभाग	१५,८१,०००
५	पंजीयन विभाग	८,२१,०००
६	मोटर गाड़ी अधिनियम प्रशासन . .	२,६४,०००
७	सामान्य बिक्री कर तथा अन्य कर और शुल्क–प्रशासन	२४,४५,०००
८	सिंचाई	६७,३७,०००

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
९	राज्य का प्रधान मंत्री तथा मुख्यालय के कर्मचारी	३४,८३,०००
१०	राज्य विधान-मण्डल . . .	१४,१९,०००
११	जिला प्रशासन और विविध . .	१,४२,८०,०००
१२	न्याय का प्रशासन . . .	३१,६३,०००
१३	जेलें	९,५२,०००
१४	पुलिस . . .	१,३५,९८,०००
१५	शिक्षा . . .	२,०५,६५,०००
१६	चिकित्सा . . .	३४,५६,०००
१७	लोक-स्वास्थ्य . . .	३०,०१,०००
१८	कृषि तथा मीन क्षेत्र . . .	४१,३४,०००
१९	पशु-चिकित्सा . . .	११,५५,०००
२०	सहयोग . .	१५,४९,०००
२१	उद्योग .	१४,३७,०००
२२	अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों आदि का कल्याण . . .	४९,३६,०००
२३	कारखानों सहित श्रम .	३,००,०००
२४	असैनिक निर्माण-कार्य निर्माण	१,१९,६१,०००
२५	असैनिक निर्माण-कार्य-स्थापना तथा औजार और संयंत्र . .	२९,९५,०००
२६	असैनिक निर्माण-कार्य-सहायता—अनदान	१३,२१,०००
२७	विद्युत्	४४,८१,०००
२८	दुर्भिक्ष .	१,५०,०००
२९	निवृत्ति वेतन	१४,००,०००

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
३०	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . .	६,३२,०००
३१	विविध . . .	४,८६,०००
३२	सामुदायिक विकास परियोजनायें . .	१२,९३,०००
३३	जमींदारों को प्रतिकर . . .	१२,२७,०००
३४	सिंचाई पर पूंजी व्यय . . .	२,१५,८७,०००
३५	लोक-स्वास्थ्य पर पूंजी व्यय . .	३५,००,०००
३६	कृषि सुधार तथा गवेषणा की योजनाओं पर पूंजी व्यय	६,१४,०००
३७	औद्योगिक विकास पर पूंजी व्यय . .	११,०७,०००
३८	असैनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी व्यय .	५१,१२,०००
३९	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी व्यय . .	२,८७,५०,०००
४०	निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . .	१,७६,०००
४१	राज्य द्वारा व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	१३,७०,०००
४२	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	२,३८,६१,०००

आन्ध्र विनियोग विधेयक

राजस्व और असैनिक व्ययमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में व्यय के लिये आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में व्यय के लिये आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं और प्रस्ताव* करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में व्यय के लिये आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित तथा प्रस्तावित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में व्यय के लिये आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार कया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खंड १ से ३, अनुसूची विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एम० सी० शाह: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के कुछ भाग में व्यय के लिये आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के कुछ भाग में व्यय के लिये आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं और प्रस्ताव* करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के कुछ भाग में व्यय के लिये आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के कुछ भाग में व्यय के लिये आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेय क पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुपूरक अनुदानो की मागें,** १९५४-५५—रेलवे

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मांग संख्या ४, ५, ६, ७, ८, १३, १५ और १८ के सम्बन्ध में क्रम पत्र के तृतीय स्तम्भ में इन के सामने दी हुई अनुपूरक राशियां दी जायें :"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित तथा प्रस्तावित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित ।

[लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की सूची नीचे दी जाती है: सम्पादक, संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
४	साधारण कार्यवहन व्यय-प्रशासन . .	१,२७,१४,०००
५	साधारण कार्यवहन व्यय-मरम्मत और अनुरक्षण	४,०७,८३,०००
६	साधारण कार्यवहन व्यय-संचालन कर्मचारी .	१,१७,७२,०००
७	साधारण कार्यवहन व्यय-संचालन (ईंधन) .	१,७४,८०,०००
८	साधारण कार्यवहन व्यय-संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त . .	७४,०८,०००
१३	विकास निधि में विनियोग . . .	१,४३,०६,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण . . .	१,०००
१८	चालू लाइनों पर काम विकास निधि . .	१,५५,९६,०००

विनियोग रेलवे संख्या २ विधेयक

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में रेलवे के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में रेलवे के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अलगेशन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं और प्रस्ताव* करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में रेलवे के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में रेलवे के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३ अनुसूची, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित तथा प्रस्तावित ।

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रेलवे सामान अवैध कब्ज़ा विधेयक —जारी

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक को श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री के० आनन्द नम्बियार, सरदार हुक्म सिंह, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, श्री टेक चन्द, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री पी० आर० कनावडे पाटिल, श्री आर० वैंकटरामन, श्री फूलसिंहजी बी० डाभी, श्री सी० आर० नरसिंहन, श्री कमल कुमार बसु, श्री मूलचन्द दुबे, डा० लंका सुन्दरम्, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री ओ० वी० अलगेशन तथा प्रस्ताव की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे ३१ मार्च, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मेरा नाम इस में आ जाने से यह नहीं समझ लिया जाना चाहिये कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थक हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय मंत्री का तात्पर्य यह है कि उन के नाम के इस में आ जाने से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि वह इस प्रस्ताव के समर्थक हैं परन्तु यदि यह प्रस्ताव पारित हो गया तो वह समिति से पृथक रहना भी नहीं चाहते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसी प्रकार का विधेयक डाक तथा तार विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस के द्वारा उस विभाग द्वारा निर्मित तांबे के तार आदि किसी व्यक्ति के पास होने से दंड की व्यवस्था थी । मैं ने उस विधेयक का समर्थन किया था तथा मैं कुछ संशोधन करने पर इस विधेयक का भी समर्थक हूं ।

मेरे विचार से इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये जिस से कि इस के उपबन्धों पर पूर्णतया विचार किया जा सके । १९४४ में एक अध्यादेश पारित किया गया था जिस की प्रतिलिपि इस विधेयक का एक भाग है । उस में दिया हुआ है :

> "यदि ऐसी कोई आपात स्थिति हो जिस में किसी व्यक्ति को रेलवे सामानों के अवैध कब्जे के अपराध के लिये दंड देने का विशेष उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो इत्यादि ।

मेरे विचार से इस समय कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है । इस विधेयक के द्वारा इसी अध्यादेश के उपबन्धों को भाग ख में के राज्यों में लागू करने का विचार है, इसलिये जब हम इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं तब वह ऐसा क्यों न हो जो सब तरह से पूर्ण हो तथा जिस से देश का लाभ हो सके ।

विधेयक का नाम रेलवे सामान (अवैध कब्ज़ा) विधेयक है । खंड २ में रेलवे भांडार की परिभाषा इस प्रकार है कि रेलवे भांडारों में वह सभी वस्तुयें आती हैं जो कि रेलवे के निर्माण प्रबन्ध, संचालन इत्यादि के कार्य में प्रयोग में लाई जाती हों । मैं ने ऐसी कोई भी दंड विधि नहीं देखी जिस में केवल किसी वस्तु के किसी व्यक्ति के पास होने मात्र से ही उस को दंड दिया जा सके । दंड संहिता की धारा ४११ के अधीन चोरी करना या

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

चोरी का माल रखना एक अपराध है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, किसी वस्तु का केवल अपने पास रखना ही दण्डनीय कदापि नहीं हो सकता और विशेषकर उस समय जब कि वह वस्तु बहुत देर से किसी के अधिकार में है।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : परन्तु यह "अवैध कब्जा" होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परन्तु इस "अवैध अधिकार" की परिभाषा क्या है? जब तक "अवैध" शब्द को परिभाषित न किया जाए, तब तक 'अवैध अधिकार' नामक कोई अपराध नहीं है। और फिर रेलवे 'भण्डार' की भी कोई परिभाषा नहीं की गयी। इस के विषय में ऐसा कहा गया है कि इस में हर एक ऐसी वस्तु सम्मिलित है जिस का उपयोग होता है अथवा जिसके उपयोग करने की इच्छा होगी। यह तो बड़ी अस्पष्ट सी व्याख्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या समय समय पर अतिरिक्त वस्तुओं को बेच नहीं दिया जाता?

श्री अलगेशन : ऐसी वस्तुयें, जिन की आंवश्यकता नहीं होती, उन्हें बेच दिया जाता है। परन्तु यदि किसी भी व्यक्ति के पास रेलवे की कोई ऐसी बस्तु है जो उस ने खरीदी नहीं है, तो उस वस्तु पर 'अवैध अधिकार' समझा जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परन्तु आप 'रेलवे सम्पत्ति' कहते किसे हैं? 'रेलवे सम्पत्ति' में तो कुरसियां, मेज़, बिजली के वल्ब, आदि प्रत्येक वस्तु आ जाती है। हर प्रकार की वस्तु रेलवे सम्पत्ति हो सकती है। परन्तु क्या आप ने अपनी वस्तुओं पर कोई मोहर लगा रखी है जिस से कि रेलवे की वस्तुयें पहचानी जा सकें। वैसे तो मैं भी इस बात के लिये चिन्तित हूं कि रेलवे सम्पत्ति की रक्षा हो, और इस सम्पत्ति को चुराने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष का दंड दिया जाये। परन्तु अब प्रश्न यह है कि दोषी और निर्दोषी का निर्णय कैसे किया जाये? आप की पुलिस और आप के न्यायालय ऐसे हैं कि दोषी के स्थान पर बेचारा निर्दोषी ही पकड़ा जायेगा।

अतः मैं तो अपने संशोधन द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यदि आप अपनी वस्तुओं पर कोई विशेष प्रकार का चिह्न लगा दें, तब तो चोरी करने वाला पकड़ा जा सकता है। परन्तु इस विधेयक के खण्ड की भाषा ऐसी है कि उस के द्वारा कोई भी व्यक्ति चाहे उस ने कोई वस्तु वैध रूप से क्रय की हो, सौ साल बाद भी इस बात के लिये पकड़ा जा सकता है कि उस ने उस वस्तु पर अवैध अधिकार कर रखा है। अतः मैं उचित नहीं समझता कि रेलवे के अधिकारों में यह अधिकार भी जोड़ दिया जाये जिस से कि वह हर किसी को दंड देते रहें।

अयध्क्ष महोदय : आज हमें अन्य कार्यवाही भी करनी है, अतः वे अपना भाषण कल जारी रखें।

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री अल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा ७ मार्च, १९५५ को सभा में प्रस्तुत किए गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ।

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : ाकुर युगल किशोर सिंह द्वारा २५ फरव ी को प्रस्तुत किए गये संकल्प पर चर्चा तो हो चुकी थी, परन्तु उस दिन उस का उत्तर नहीं दे सके थे। अतः वे अब उस वाद विवाद का उत्तर दगे ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : इस प्रस्ताव पर उस दिन चर्चा समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर की गई चर्चा के उत्तर में नेहरू जी को अपना भाषण देना था। यदि मुझे इस पर बोलने के लिये दो तीन मिनट दिये जायें तो मैं आप का बड़ा ही आभारी हूंगा ।

उस दिन मैं स प्रस्ताव पर विचार प्रकट कर रहा था, उसी समय प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति जी के अभिभा ण पर की गयी चर्चा का उत्तर देना था। अतः अकस्मात ही हमें चर्चा समाप्त कर देनी पड़ी। हम ने सोचा था कि स पर शीघ्र ही मतदान होगा। परन्तु क्योंकि वह समय प्रस्तावक को दे दिया जाना था, इसलिये ेसा कहा गया था कि इसे स्थगित कर दिया जाय। क ोंकि अब कुछ समय है, अतः मैं टो तीन बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आप ऐसा कर सकते हैं ।

डा० केसकर : मैं आप का और अपने माननीय मित्र का अधिक समय नहीं लेना चाहता ।

उस समय मैं श्री एस० एन० दास द्वारा उठाए गये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका था। बात वास्तव में यह है कि अखिल भारतीय आकाशवाणी इस समय एक सरकारी विभाग है। संसद् के पास ऐसी शक्ति है जिस से वह सभी सरकारी विभागों के कार्यों का परीक्षण तथा उन की जांच कर सकती है। और यदि वास्तव में प्राक्कलन समिति, जो कि सभी सरकारी विभागों के हिसाब किताब और कार्यों की नियमित रूप से जांच करने के लिये संसद् की एक समिति बनाई गई है, ऐसा देखती है कि किसी विभाग में कोई त्रुटि है तो वह उस के बारे में सिफारिशें देती रहती है। अतः मेरा विचार है इस कार्य के लिये एक अन्य समिति बनाने के बारे में उन्हों ने जो सुझाव दिया है, इसे मानना संभव नहीं है। यह सारा कार्य प्राक्कलन समिति ही कर रही है। इस के विषय में एक बात ने मुझे बड़ा विस्मित किया है। ठाकुर युगल किशोर सिंह ने इस बात का उल्लेख किया है कि सभा को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में, आकाशवाणी के सुधार के लिये ७२ विभिन्न सिफारिशें दी गई हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य विभागों के काम के लिये प्रशंसात्मक प्रमाण-पत्र जारी करना ही नहीं है। उन का काम सुधारों के लिये सुझाव देना है। जब कभी कोई कमी होती है तो वे उसका उल्लेख कर देते हैं और यह सुझाव दे देते हैं कि उस कमी को दूर किया जाये। किन्तु इस का अर्थ यह नहीं होता कि वह विभाग ठीक प्रकार काम नहीं कर रहा है। प्राक्कलन समिति ने जिस प्रकार आकाशवाणी के सामान्य काम की प्रशंसा की है उस के लिये मैं उन का आभारी हूं। सुधार एक ऐसी चीज़ है जो सदैव चलती रहती है। अतः उक्त समिति के किसी सुधार सम्बन्धी सुझाव का दूसरा अर्थ नहीं निकालना चाहिये।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि किस प्रकार की समिति की नियुक्ति के बारे में सुझाव दिया गया है उस की कुछ आवश्यकता

[डा० केसकर]

नहीं है जब कि सभा की सब से अधिक महत्व-शाली समिति इस विभाग के काम की पड़ताल करती रही है और भली भांति इसे देख चुकी है ।

ब्रिटिश प्रसारण निगम का कई बार उल्लेख किया गया है, किन्तु यदि देखा जाये तो वहां प्रायः विवाद इसी बात के आधार पर चला है कि बी० बी० सी० को प्रसारण के हेतु दिये गये एकीकरण की समाप्ति होनी चाहिए इस एकाधिकार को छीनने का यह प्रयत्न मुख्यतः वहां के वाणिज्यिक समुदाय द्वारा किया जा रहा है । कभी कभी इस प्रकार का दबाव वहां डाला गया है जिस के फलस्वरूप आयोगों की नियुक्ति भी हुई है किन्तु उन की सिफारिश यही रही है कि यह एकाधिकार बना रहना चाहिये ।

ब्रिटिश संसद् में भी एक प्राक्कलन समिति है जो इस निगम के कार्य का निरीक्षण करती रहती है । मेरे विचार में सुझाई गई प्रकार की समिति की नियुक्ति से कुछ लाभ नहीं होगा ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर —उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस का कुछ उत्तर देने के पहले में मंत्री महोदय से एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सन् १९४८ में कहा था कि वे हिन्दुस्तान में एक सेमी-अटानोमस बाडी की तरह की चीज चाहते हैं । माननीय मंत्री डा० केसकर ने भी यह कहा था कि दो तीन साल बाद वह समय आयेगा जब हम कारपोरेशन के सम्बन्ध में विचार करेंगे और हम रेडियो को स्वावलम्बी होने की उम्मीद करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच में उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है और कब एसा समय आयेगा ।

डा० केसकर : सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने यह कभी नहीं कहा कि उन के विचार में केवल निगम से ही काम चल जायेगा । निगम अच्छी चीज़ है और मैं भी कह चुका हूं कि मुझे निगम पर आपत्ति नहीं है .....

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं प्रधान मंत्री द्वारा कहे गये शब्दों का उद्धरण किय देता हूं । उन्हों ने कहा है :

"अच्छा हो यदि एक अर्द्ध स्वायत्त-शासी प्रकार का निगम हो जो सरकार के अधीन हो और जिस की नीति सरकार द्वारा नियन्त्रित हो ।"

डा० केसकर : किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि ऐसा आज ही किया जा सकता है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, मुझे भी इस के बारे में कोई आपत्ति नहीं है । मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि निगम अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि अन्य निगमों की भांति इसे भी सरकार ही चलायेगी और संसद् द्वारा इस में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा । क्योंकि किसी निगम को चलाने के लिये भिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है । यह अर्द्ध-स्वायत्त-शासी होता है । ऐसे निगम के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहेगा । किन्तु मैं तो जो कुछ कह रहा हूं वह संसद् के हित में कह रहा हूं । मेरे अपने हितानुसार तो निगम अधिक सुविधाजनक होगा क्योंकि मैं उसे संसद् की ओर से अधिक हस्तक्षेप के बिना ही चला सकूंगा ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आनरेबल मैम्बर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि एक अर्द्ध-स्वायत्त-शासी निकाय और एक निगम में क्या अन्तर होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को दामोदर घाटी निगम का अनुभव हो चुका है। जब एक बार सरकार की ओर से कोई धन राशि निगम को दे दी जाती है तो संसद् का इस विषय में कुछ नियंत्रण नहीं रहता ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मेरे प्रस्ताव के विरुद्ध जिन माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है उस में मुझे कोई सार नजर नहीं आया, उस में कोई तथ्य नजर नहीं आया। माननीय शर्मा जी ने कहा कि मैं किसी तरह की कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि जिस किसी कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी उस पर कुछ भी अमल सरकार द्वारा नहीं किया गया। इस वास्ते वे कोई कमेटी बनाये जाने के पक्ष में नहीं हैं। मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि बात का कभी भी सरकार पर कोई असर हुआ है और यदि नहीं हुआ तो वे आगे से ऐसी गलती न करें .....

श्री डी० सी० शर्मा : मेरी बात का बहुत असर हुआ है। मैं ने जनरलिस्टों के बारे में कहा था और उन्हों ने एक बिल भी पास कर दिया है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं समझता हूं कि यह आप के कहने पर नहीं हुआ बल्कि जो सिफारिश सरकार को की गई थी उस पर इस ने आचरण किया है। आप के कहने का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता अतः उन को आगे से बोलने की गलती नहीं करनी चाहिये ।

दूसरी बात शर्मा जी ने यह कही थी कि आज हमें जो इख्तियार मिले हुए हैं, पार्लियामेंट को जो अख्तियार मिले हुए हैं उन अख्तियारों को हमें किसी दूसरे के जिम्मे नहीं करना चाहिये। जो सदस्य यहां पर मौजूद हैं वे जानते हैं कि जो हक उन को मिले हुए हैं उसे क्या जो कारपोरेशन बना दिये जाने पर क्या उन्हों ने अपने अधिकार कार-पोरेशन को नहीं दे दिये। यह तो एक बूढ़े आदमी की सी बात हुई जो यह नहीं चाहता कि उस के जीते जागते उस से उस के हक लड़के द्वारा छीने जायें। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की ओर से इस तरह की जो कारपोरेशन बने, या जो संस्था बने उस को कुछ न कुछ अख्तियार जरूर दिये जायें और इन शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय। एक ही हाथ में शक्ति को रखना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई शक्ति किसी दूसरे के हाथ में जाती है या किसी संस्था के हाथ में जाती है तो इस में किसी तरह का एतराज नहीं होना चाहिये। फिर भी अगर वे चाहते कि पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहते हुए वह कारपोरेशन काम करे और आप का कंट्रोल उस पर कायम रहे तो एसा भी हो सकता है। आप के हाथ में कानून है और यदि वह कानून इस तरह के कंट्रोल रखने की इजाजत नहीं देता तो आप उस कानून को बदल सकते हैं और यदि कोई वैधानिक अड़चन है तो वह भी दूर की जा सकती है। आप जिस तरह से भी चाहें उस पर नियंत्रण रख सकते हैं ।

श्री नारायण दास जी ने कहा था कि सरकार चाहे कितनी ही ईमानदारी से काम करें, कितनी ही निष्पक्षता से काम करे लेकिन लोगों को उस पर हमेशा शक होता है कि सरकर पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रही है । इस पर भाई अलगूराय शास्त्री जी ने कहा कि यह लाइलाज बीमारी है। इस का क्या इलाज है मैं आप को बतलाता हूं। इस का एक इलाज तो यह है कि आप अपने अधिकार इस पर छोड़ दें,

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

यह जो प्रचार का साधन है उस को एक पब्लिक कारपोरेशन के हाथ में दे दें। ऐसा करने से किसी किस्म की शिकायत नहीं रह जायगी। और कोई भी इस पर शक की निगाह से नहीं देखेगा। अगर आप इस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो इस का यही इलाज है।

श्री भागवत झा आजाद ने कहा कि हमारे देश में भाषा का प्रश्न है, हमारे देश में काश्मीर का प्रश्न है और हमें राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करना है। इन सब प्रश्नों को हल करने का जो तरीका उन्हों ने बताया है वह यह है कि इस को एक विभाग के जरिये चलाया जाये न कि किसी किस्म के कारपोरेशन के जरिये। दूसरे देशों के इतिहास हमारे सामने हैं। दूसरे देशों में जो कमिटियां नियुक्त की गई थीं और उन्हों ने जो रिपोर्टस् पेश की हैं उन को मैं ने पढ़ा है। वहां पर भी विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी पब्लिक कारपोरेशन बहुत ही अच्छ तरीके से काम कर रहे हैं। वहां पर भी राष्ट्र के निर्माण का काम हो रहा है और भली भांति हो रहा है। यदि आप चाहें तो आप इस पब्लिक कारपोरेशन पर नियंत्रण रख सकते हैं और किसी तरह का प्रतिबन्ध भी लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे देशों में जो समाचार भेजे जायें आप की जाजत से भेजे जायें तो इस प्रकार का नियंत्रण आप उस कारपोरेशन पर रख सकते हैं। ऐसा करने में आप के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिये यदि आप कहें कि अभी आप को भाषा का प्रश्न हल करना है, काश्मीर का प्रश्न हल करना है या आप के सामने आपकी वैदेशिक नीति का प्रश्न है, अतः आप एक पब्लिक कारपोरेशन नहीं बना सकते। मेरे विचार में यह अच्छी दलील नहीं है।

पब्लिक कारपोरेशन बनाये जाने के खिलाफ जो भी दलीलें दी है उन में भी मुझे सार नजर नहीं आया। संक्षेप में उन्हों ने बताया कि कोई भी कारपोरेशन स्वतन्त्र रूप में काम कर सके यह सम्भव नहीं है। बी० बी० सी० भी पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहते हुए काम करता है, पार्लियामेंट में उस की बाबत जवाब दिये जाते हैं, उसकी कार्यवाइयों पर बहस की जाती है, वहां के गवर्नर आदि जब बहाल किये जाते हैं तो भी सरकार द्वारा बहाल किये जाते हैं। शायद आप को यह मालूम होगा कि हाल ही में वहां यह फैसला किया गया है कि बी० बी० सी० के जो गवर्नर बहाल किये जायेंगे वे एक दूसरी बाडी द्वारा बहाल किये जायेंगे उस बाडी में जो लोग होंगे उन में पार्लियामेंट के स्पीकर, अपोजीशन के लीडर, वहां का प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस इत्यादि होंगे। ऐसे ऐसे जिम्मेदार लोग जहां गवर्नरों को बहाल करने के लिये हों तो ऐसे आदमियों के ऊपर या ऐसी संस्था के ऊपर किसी तरह का अविश्वास रखने का कोई कारण नहीं हो सकता। उन्हों ने यह भी बताया कि कमर्शियल इटरेस्ट इस में आ जायेंगे। मुझे पता नहीं कि कमर्शियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? क्या इस का यह मतलब है कि यह कमर्शियल इंस्टीट्यूशन के हाथ में चला जायेगा या कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट होने शुरू हो जायेंगे। अगर इस के बारे में भी इस पर वे किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना चाहें तो वे ऐसा भी कर सकते हैं। बी० बी० सी० में चार्टर के जरिये उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे कि कमर्शियल इटरेस्ट उस में नहीं आ सकता, और वह पब्लिक गुड के लिये ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ने चार करोड़ रुपया इस पर खर्च कर दिया है और आप दस करोड़ और खर्च करने वाले हैं। पता नहीं इस में आप ने टैलीविजन की व्यवस्था की है या नहीं। यदि आप इतना

पया खर्च करना चाहते हैं तो क्या आप यह सब रुपया एक पब्लिक कारपोरेशन को नहीं दे सकते । आप ने हाल ही में सात करोड़ पया एक कारपोरेशन बना कर उस को दिया है जो पया व्यापारियों को दिया जायेगा, यहां के व्यवसाइयों को देगा । यदि आप चाहें तो एक पब्लिक कारपोरेशन बना कर जो रुपया आप खर्च करना चाहते हैं उस के हवाले कर सकते हैं, इस में कोई कावट आप के सामने नहीं आती । यदि आप उस कारपोरेशन को कुछ भी नहीं देना चाहते, कोई ग्रांट नहीं देना चाहते, सबसिडी नहीं देना चाहते और चाहते हैं कि वह कारपोरेशन केवल फीसों के जरिये ही अपना काम चलाए तो बात दूसरी है और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता । लेकिन यदि आप अपना सहयोग इस कारपोरेशन को देना चाहते हैं और हर किस्म से इस की मदद करना चाहते हैं तो आप के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं हो सकती और उस पर जिस तरह का नियंत्रण आप रखना चाहें आप रख सकते हैं । ऐसी हालत में मैं फिर आप से कहूंगा कि आप ने और प्रधान मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उस को पूरा करें और आप ऐसा कदम जरुर उठायें जिस से कारपोरेशन स्थापित हो । ऐसा करने से आप पर जो पक्षपात का लांछन लगाया जाता है उस से आप बच भी सकते हैं और ब्राडकास्टिंग के माध्यम को राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के हित में इस्तेमाल भी कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एस० एन० दास का संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की यह राय है कि सरकार को देश में प्रसारण माध्यम का नियंत्रण और संचालन करने के लिये एक निगम बनाने के हेतु जितनी जल्दी हो सके, एक कानून पेश करना चाहिये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की यह राय है कि डाक व तार के वित्त को सामान्य वित्त से थक कर देना चाहिये ।

यह प्रथम अवसर नहीं है कि जब कि मैं इस विषय को सभा और मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं । गत ो वर्षों में ो बार पहले भी आयव्ययक सम्बन्धी वाद विवाद के समय में सभा का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित कर चुका हूं किन्तु मुझे कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सका ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादर) : जहां तक मुझे याद है मैं ने इस विषय में कुछ शब्द अवश्य कहे थे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं संचार मंत्री, वित्त मंत्री और समस्त कैबिनेट से स्पष्ट उत्तर चाहता कि क्या वे इस संकल्प को स्वीकार करने को तैयार हैं ।

मेरी इस मांग का आधार यह है कि यह विभाग न केवल एक सार्वजनिक उपयोग सम्बन्धी विभाग है अपितु भारतीय रेलवे की भांति वाणिज्यिक कार्य भी करता है । रेलवे का वित्त एक अभिसमय द्वारा १९२४ में पृथक क्यों कर दिया गया था ? क्या कारण

[श्री ए० सी० सामन्त]

है कि स अभिसमय का तत्पश्चात् अनुसमर्थन भी किया जा चुका है ?

दोनों माननीय मंत्रियों ने यह स्वीकार किया है कि डाक तथा तार विभाग केवल लोक उपयोग का विभाग नहीं है अपितु वाणिज्यिक विभाग भी है । फिर यदि मंत्रिमंडल से पृथक करने के लिये तैयार नहीं है तो वे किस आधार पर तैयार नहीं हैं ?

१९२४ के विधान मंडल ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव किया था परन्तु तब इस विभाग में घाटा रहा । इस लिये इसे स्वीकार नहीं किया गया था । अब तो इस वर्ष इस में ७० लाख रुपये की अतिरिक्त निधि है । तब इस मंत्रालय के प्रति भेदभाव क्यों है ? रेलवे वित्त व्यवस्था को पृथक कर देने से रेलवे विभाग का कार्य अधिक सुचारु रूप से हुआ है और इस आयव्ययक चर्चा में इस की सब ने प्रशंसा की है । यदि इस विभाग के वित्त को भी पृथक कर दिया जाये तो इस का कार्य संचालन अधिक सुचारु रूप से हो सकता है ।

क्या कारण है कि सामान्य वित्त में इतनी अधिक धन राशि संग्रहीत होने पर भी देश भर में फैले हुए इस विभाग के कर्मचारियों के लिये आवास का प्रबंध नहीं किया जाता ? रेलवे का अपना इंजीनियरिंग विभाग है परन्तु डाक तथा तार विभाग की अपनी आवास व्यवस्था नहीं है । मेरा सरकार से निवेदन है कि वे हमें बतायें कि इस विभाग की वित्त व्यवस्था को पृथक करने में क्या कठिनाई है ।

रेलवे विभाग में एक अवक्षयन रक्षित निधि, एक विकास निधि और एक रक्षित राजस्व निधि है, परन्तु डाक तथा तार विभाग में केवल एक अवक्षयन निधि है । १९५५-५६ में डाक तथा तार विभाग की ३.०६ करोड़ रुपये की शुद्ध आय में से इस विभाग के पास केवल ७० लाख रुपया रह गया है और इसे सुधार कार्य या अपने कर्मचारियों को और सुविधायें देने के लिये सामान्य राजस्व के आगे हाथ पसारने पड़ते हैं । सामान्य वित्त प्रशासन अन्य मंत्रालयों की मांगों के साथ इस विभाग की मांगों पर विचार करता है ।

रेलवे विभाग को अपनी ८५-९१ करोड़ की अतिरिक्त निधि में से ३६.७ करोड़ रुपये सामान्य राजस्व को देने पड़ते हैं और शेष को वह सुधार अथवा लाइनों के विस्तार कार्य में लगा सकता है । डाक तथा तार विभाग के उन २ करोड़ रुपयों के लिये भी वैसी ही व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिये ।

प्रत्येक विभाग और सामान्य लोगों के लिये चिकित्सालयों (अस्पतालों) की आवश्यकता है । रेलवे विभाग के अपने अच्छे चिकित्सालय हैं । यदि कर्मचारियों को कतिपय सुविधायें इत्यादि दी जायें तो कार्य का संचालन अधिक बचत और सुविधा से हो सकता है । यदि इस विभाग को अपनी अतिरिक्त विधि का उपयोग करने दिया जाये तो देश के कोने कोने में डाक व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है ।

रेलवे का वित्त तो एक प्रकार से सामान्य वित्त है । परन्तु वे उस के उपयोग में आवश्यक समायोजन कर सकते हैं । परन्तु डाक तथा तार विभाग को इस प्रकार का समायोजन करने की क्षमता प्राप्त नहीं है । यह एक लोक प्रिय विभाग है और इस की कठिनाइयों को दूर करना चाहिये ।

हम ने अतिरिक्त वैमानिक पद्धति को अपनाया है । माननीय मंत्री ने कहा है कि

अन्य देशों में भी यह पद्धति प्रचलित है । परन्तु हमें अपने देश की परिस्थिति को समझना चाहिये । यहां किसी व्यक्ति को थोड़े वेतन पर भी रोजगार दे दिया जाये तो बहुत से माननीय सदस्य प्रसन्न हो जाते हैं । परन्तु इन कर्मचारियों को भी उपयुक्त सुविधायें क्यों नहीं मिलती हैं ? उन पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा है यदि इन लोगों को भी आवश्यक प्रशिक्षण दे दिया जाये तो उन पर विश्वास किया जा सकता है । रेलवे में कितनी ही गवेषणा संस्थायें हैं । परन्तु डाक तथा तार विभाग के लिये ऐसी कोई संस्था नहीं है और उन्हें देश के अथवा विदेश के अन्य गवेषणा केन्द्रों पर निर्भर रहना पड़ता है । यदि इस विभाग को भी कुछ स्वतन्त्रता दी जाये या उन्हें यह अनुभव करने की गुंजाइश हो कि उन्हें कोई कार्य करने का अधिकार है तो वे भी एक गवेषणा संस्था स्थापित कर सकते हैं ।

यहां उपस्थित माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे सामान्य वित्त प्रशासन से डाक विभाग की वित्त व्यवस्था को पृथक करने के सम्बन्ध में अपने भाव व्यक्त करें ।

गत चार वर्षों में 'भवन' शीर्ष अधीन लगभग दो करोड़ रुपये की राशि व्यपगत हो गई है क्योंकि भवनों का निर्माण नहीं हो सका था । माननीय निर्माण आवास और संभरण मंत्री ने यह कहा था कि एक सम्पर्क विभाग बनाया जायेगा और तब देखेंगे कि क्या सुधार किया जा सकता है । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस सम्पर्क विभाग ने क्या काम किया है । इस विभाग के कोष में आवश्यक वित्त उपलब्ध होने पर भी भवनों का निर्माण किये बिना उसे व्यपगत कर दिया गया है ।

मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि तुरन्त एक विकास निधि बनाई जाये और कुछ राशि सामान्य वित्त को देने के पश्चात शेष को विकास विधि में दे देना चाहिये । यह निधि मंत्रालय के पास होनी चाहिये ताकि वह डाक तथा तार विभाग के लिये अपेक्षित सुविधाओं को विस्तार दे सके ।

यद्यपि यह बात विभाग के ध्यान में है कि निकट भविष्य में प्रत्येक पुलिस चौकी में एक तार घर होना चाहिये परन्तु हम देखते हैं कि कई स्थानों पर तार घर नहीं खोले जा रहे हैं । इस कार्य में राज्य सरकारें इतनी सहायता नहीं कर रही हैं जितनी उन्हें करनी चाहिये । पश्चिम बंगाल की पुलिस चौकियों में १३१ तार घर खोलने की आवश्यकता थी । पश्चिमी बंगाल सरकार ने कहा कि उन्हें केवल पांच अथवा दस स्थानों पर तार घरों की आवश्यकता है । इन तार घरों से केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को लाभ होगा परन्तु वे लाभ प्राप्त करने के लिये तो तैयार हैं, इस विभाग की कोई सहायता करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

डाक तथा तार विभाग के साथ भेद भाव क्यों किया जा रहा है । या तो रेलवे की वित्त व्यवस्था को भी सामान्य वित्त व्यवस्था के साथ एकीकृत कर देना चाहिये या फिर डाक विभाग की वित्त व्यवस्था को भी पृथक कर देना चाहिये ।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ:

"कि सभा की यह राय है कि डाक तथा तार के वित्त को सामान्य वित्त से पृथक कर देना चाहिये ।"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : श्री सामंत ने जिन कारणों से इस संकल्प को प्रस्तुत किया है मैं उन की सराहना करता हूं ।

उन्हों ने डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति के कारण

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

ही यह प्रस्थापना प्रस्तुत की है। परन्तु इस संकल्प को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है मैं उस का समर्थन नहीं कर सकता। निस्सन्देह विभाग की वित्त व्यवस्था में कुछ त्रुटि है और उस की पूर्ण जांच होनी चाहिये। वित्त व्यवस्था के पृथक्करण के प्रश्न को श्री एस० सी० सामन्त ने कई बार प्रस्तुत किया है। अप्रैल, १९५४ को श्री राजबहादुर ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उस का अभिप्राय यही है कि इस स्थिति की पूर्ण जांच की आवश्यकता है।

मझे शंका है कि श्री एस० सी० सामंत के इस संकल्प से वह परिणाम नहीं निकलेंगे जो वे चाहते हैं। आज कठिनाई यह है कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को दो प्रकार की हानियां हो रही हैं। यह विभाग न तो लोक उपयोग का विभाग है और न वाणिज्यिक विभाग है। यह दोनों प्रकार के विभागों के बीच का ऐसा विभाग है जिस में कर्मचारियों को वे लाभ प्राप्त नहीं होते जो दोनों में से किसी एक प्रकार का विभाग होने पर हो सकते थे। सिद्धान्त यह होना चाहिये कि सामान्य लोगों के कल्याण की आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखना चाहिये। अतएव राजस्व की मात्रा का इतना महत्व नहीं है क्योंकि किसी प्रशासन में घाटा होने पर सामान्य लोगों के कल्याण के लिये उसे केन्द्र की अर्थ सहायता द्वारा पूरा किया जा सकता है। डाक तथा तार विभाग में जब कभी अतिरिक्त निधि न हो तो उस विभाग के कर्मचारियों को भय रहता है कि न जाने क्या होगा। यदि जिस प्रकार श्री एस० सी० सामंत चाहते हैं, बिना जांच के ही विभाग की अर्थ व्यवस्था को सामान्य अर्थ व्यवस्था से पृथक कर दिया जाये तो जब कभी उस विभाग में हानि होगी तो उस का भार कर्मचारियों पर पड़ेगा। इस विभाग में कई बार लाभ हुआ है परन्तु कई बार हानि भी हुई है। अतः विस्तार के समय तो औपचारिक लाभों का प्रश्न नहीं होता है। मुझे विश्वास है कि श्री सामंत यह नहीं चाहते कि इस विभाग को वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाये।

तो भी मैं यह जानता हूं कि ऐसे कुछ गंभीर कारण हैं जिन के आधार पर डाक तथा तार विभाग पर मंत्रालय का प्रत्यक्ष और प्रभावी नियंत्रण होना चाहिये। मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि माननीय वित्त मंत्री और माननीय संचार मंत्री में कुछ अन्तर है परन्तु कभी कुछ मामलों पर कुछ मतभेद हो जाता है। क्योंकि संचार मंत्री का अपने कर्मचारियों के साथ सीधा सम्बन्ध है अतः उन्हें उन लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं। अतएव इस विभाग की वित्त व्यवस्था पर संचार मंत्री का अधिक नियंत्रण होना चाहिये।

वित्त मंत्रालय बहुधा संचार मंत्रालय के कर्मचारियों का उचित ध्यान नहीं रखता। उदाहरणार्थ काइलांग स्थित बेतार के तार के केन्द्र के लिये नियुक्त अधिकारी का मामला देखा जा सकता है। अतः संचार मंत्रालय ही यदि अपने विभाग के वित्त को संभाले तो परिणाम अच्छे हो सकते हैं। यदि श्री एस० सी० सामन्त के कथनानुसार डाक तथा तार विभाग का आय-व्ययक अलग कर दिया जाये तो उस में अर्थाभाव उत्पन्न हो जायेगा। परिणामस्वरूप प्रशासन मूल्यों में वृद्धि करेगा और जनता को कष्ट होगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी वर्तमान आर्थिक नीति त्रुटिपूर्ण है, हमारा डाक तथा तार विभाग रेलवे में भी अभिकरण रूप में काम करता है पर हम देखते हैं कि वायुयान द्वारा डाक ले जाने का जो व्यय डाक तथा तार विभाग

को देना पड़ता है वह गैर सरकारी व्यक्ति के व्यय की अपेक्षा अधिक होता है ।

संयुक्त राज्य अमरीका में १९३९ में एक जांच समिति नियुक्त कर के डाक तथा तार विभाग के वित्त संचालन की जांच की गई थी और उस के प्रशासन के संचालन में बहुत से दोष पाये गये थे । इसी प्रकार के दोष हमारे देश में भी हैं, अतः केलव वित्त के पृथकीकरण से कोई विशेष लाभ होने की आशा नहीं है । और डाक तथा तार विभाग के वित्त की जांच कर के उस पर अपनी सिफारिश देने के लिये एक संसदीय आयोग नियुक्त कर देना चाहिये । गत वर्ष श्री राज बहादुर ने कहा था कि वित्तीय ढांचे की जांच की जायेगी । मैं भी चाहता हूं कि स्थिति की ठीक जांच जनता और डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए की जाये । इस समय मै यह कुछ नहीं कहना चाहता कि पूर्ण पृथकीकरण एक सही या गलत चीज होगी ।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व): श्री सामन्त ने जो यहां पर संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि किसी का विरोध उस मूल भावना से नहीं हो सकता है जिस को ले कर कि उन्हों ने यह संकल्प रक्खा है लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जिस उद्देश्य से उन्हों ने उसे उपस्थित किया है, वह इस से पूरा नहीं हो सकता है । कम से कम मेरी तो अपनी यह आशंका है कि यदि उन का यह संकल्प मान लिया जाय तो जो हमारे देश के पिछड़े हुए भाग हैं उन को इस से धक्का पहुंचने की आशंका है वह इस कारण से कि अगर इस के हिसाब को बिल्कुल अलग रक्खा जायेगा तो इस को व्यावसायिक ढंग पर, एक कमर्शियल ढंग पर, चलाया जायगा तो जो आज पिछड़े हुए इलाके हैं और जिन की ओर आज भी डाक और तार विभाग पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, उन्हें और भी अधिक हानि इस से होगी । मैं उदाहरण दे कर आप को समझाऊं ।

इस समय हमारे डाक और तार विभाग ने पहले के नियमों में तबदीली कर के काफी उदारता दिखलाई है और काफी संशोधन कर दिया है और उस के लिये मैं डाक और तार मंत्रालय को हार्दिक बधाई देता हूं और देश भर की सारी जनता इस के लिय उन की आभारी है । पहले वह जमाना भी था जब कि एक नया डाकघर खोलने के लिये जमानत तलब की जाती थी और रुपये लिये जाते थे तब कहीं जा कर डाकखाना खुल पाता था, लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के बाद से हमारे मंत्रालय ने यह उदारता दिखलाई है कि जिस डाकघर में वर्ष में ७५० रुपये तक की भी हानि हो, तो भी वहां पर डाक घर खुल सकता है और विशेष तौर से पिछडे वर्ग के लिए जो इलाके हैं वहां पर एक हजार रुपये तक का नुकसान होने पर भी डाकघर खोले जा रहे हैं । लेकिन इस अवसर पर मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस उदारता के बावजूद भी कुछ ऐसे इलाके बच जाते हैं जो कि यह जो एक हजार रुपये हानि की सीमा रक्खी गई है, उस से भी 'कवर' नहीं हो पाते और जहां हानि इस से भी ज्यादा होती है । इसलिये मुझे इस बात की गहरी आशंका है कि श्री सामन्त का उद्देश्य बहुत सुन्दर होते हुए भी कैसे पूरा हो सकेगा । मैं निवेदन करूंगा कि हम सब को मिल कर मंत्री महोदय से जोरदार अनुरोध करना चाहिये कि उन नियमों में और अधिक उदारता के साथ संशोधन कर दिया जाये, ताकि उन पिछड़े और बैकवर्ड इलाकों में भी डाक और तार का विस्तार किया जा सके जिस से कि सैंकड़ों मील दूर बैठी हुई जनता, हिमालय की कंदराओं

[श्री भक्त दर्शन]

में रहने वाली जनता और रेगिस्तान और जंगलों में रहने वाले लोग भी इस नई योजना से लाभ उठा सकें ।

चूंकि इस के बारे में मेरा अधिक अध्ययन नहीं है, इसलिये टैक्नीकल ढंग से तो मैं इस पर बोल नहीं सकता लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि यदि श्री सामन्त अपने इस वर्तमान संकल्प को वापिस ले लें तो मुझे विश्वास है कि उन का उद्देश्य भी सफल हो जायेगा और मंत्री महोदय भी और अधिक उदारता के साथ इन बातों पर विचार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

श्री देवेश्वर सर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) : मैं माननीय मित्र श्री सामन्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरी सम्मत्ति में यह एक अत्यन्त युक्तियुक्त प्रस्ताव है । मैं अपने माननीय मित्र सर्व श्री मुकर्जी और भक्त दर्शन के विचारों से सहमत नहीं हूं । श्री मुकर्जी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि केवल वित्त के पृथक्करण से श्रमिकों को लाभ नहीं होगा । मेरा विचार है कि वित्त का पृथक्करण आवश्यक है किन्तु इस के साथ ही यह नीति निर्धारित करनी है कि डाक तथा तार विभाग सार्वजनिक उपयोग के उद्योग रूप में काम करेगा अथवा इस का संचालन व्यावसायिक आधार पर किया जायेगा । माननीय मित्र श्री भक्त दर्शन को यह आशंका थी कि यदि डाक तथा तार विभाग सम्बन्धी वित्त सामान्य वित्त से पृथक हो गया तो यह केवल वाणिज्यिक उद्योग के रूप में रह जायेगा और विभाग के प्रसार में अनुरोध उत्पन्न होगा । हमें इस प्रकार की आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारा देश कल्याणकारी राज्य है और सार्वजनिक उपयोग के उद्योगों को घाटे की वित्त-व्यवस्था पर भी सरकार लेने के लिये तैयार है । अतः उक्त धारणा भ्रामक है । मैं एक पोस्टकार्ड का उदाहरण देता हूं। कागज, छपाई तथा अन्य सेवाओं सहित उस की लागत १३ पाई है किन्तु उसे ९ पाई में बेचा जाता है । इस में कोई सन्देह नहीं है कि जनता की सेवा का स्तर ऊंचा हो । मैं यह भी इच्छा रखता हूं कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को अपनी कुशलता में वृद्धि करके जनता की अच्छी सेवा करनी चाहिये । हम सब जनता की—भारत माता की सेवा करने के आकांक्षी हैं । आसाम स्थित डाक तथा तार कर्मचारियों की मांग है कि उन के भत्ते में वृद्धि की जाये लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा सुझाये गये एक प्रस्ताव को मान लेना चाहिये कि एक समिति अथवा आयोग स्थापित किया जाये जो यह मालूम करे कि डाक तथा तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में कितनी संचित निधि दी जाये ।

मैं अपने सहयोगी बन्धुओं से निवेदन कर दूं कि हम उस स्थिति में आ गये हैं जब हमें यह मान लेना चाहिये कि वित्त सम्बन्धी आशंकायें यथार्थ न हो कर केवल काल्पनिक हैं । मेरा निवेदन है --हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं वह ठीक न हो — कि डाक में हानि हो रही है जब कि तार तथा टेलीफोन में लाभ हो रहा है । अधिक विकास और अधिक अच्छे कार्य संचालन द्वारा यह आशा की जा सकती है कि आय में वृद्धि होगी तथा हानि की कोई आशंका नहीं है । मैं अपने क्षेत्र के विषय में अपने निजी ज्ञान के आधार पर कह सकता हूं कि संचालन में सुधार होने पर आय में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है ।

पूर्ण गम्भीरता के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना

तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में जब कि हम अनेक नये विकास कार्य कर रहे हैं तो कोई आधार नहीं है कि डाकघर खोलने के लिये योजना आयोग के अन्तर्गत सामान्य राजस्व में से रकम प्राप्त क्यों न की जाये। जिस प्रकार हम नदी घाटी योजनाओं, रेल के विकास और जल-विद्युत् सम्बन्धी कार्यों के लिये रुपये प्राप्त कर रहे हैं तो डाक विभाग के द्रुत विकास के लिये रुपया क्यों नहीं प्राप्त हो सकता है। आखिर यह समग्र देश का विकास ही तो है। फिर अकेला डाक तथा तार विभाग ही इस बोझ को क्यों न वहन करे। देश के चतुरंग विकास के लिये जब पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये की निधि उपलब्ध हो सकती है—जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस से भी अधिक महत्वाकांक्षी है—तो फिर सुदूर भागों में डाक तथा तार घर खोलने के लिये रुपया क्यों नहीं मिल सकता है। विभाग द्वारा जनता की सेवा की जानी चाहिये और इस के लिये कर्मचारिवृन्द को पर्याप्त सन्तुष्ट रहना चाहिये। भारत की राष्ट्रीय आय और व्यय को दृष्टि में रखते हुए हमें कर्मचारियों को संतुष्ट रखना चाहिये। लेकिन डाक तथा तार विभाग अपनी वित्त व्यवस्था का स्वामी नहीं है और विकास कार्य में असहाय है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में डाक कर्मचारियों को आवासाभाव में काम करना पड़ता है यह विचित्र होते हुए भी सत्य घटना है कि दो वर्ष पूर्व जब श्री राज बहादुर नौगांव, आसाम में गये तो वहां एक डाकखाने में सात क्लर्कों के लिये केवल छः कुर्सियां ही थीं। डाकखाने वालों को पड़ौस की एक मारवाड़ी दुकान से एक कुर्सी मंगानी पड़ी इस प्रकार की स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी कुछ वर्ष पूर्व वहां केवल पुलिस राज था। स्वतन्त्रता के पश्चात् वहां कुछ विकास हुआ है। किन्तु यदि डाक तथा तार व्यवस्था में प्रगति नहीं की गई तो विकास किस प्रकार सम्भव है। अतः मेरी प्रार्थना है कि माननीय मित्र आशंका का निराकरण कर प्रस्तुत संकल्प स्वीकार कर लें।

श्री हेंडा : इस में कोई सन्देह नहीं है कि डाक तथा तार विभाग सार्वजनिक उपभोग का उद्योग है। किन्तु यह उद्योग सार्वजनिक उपयोग तथा वाणिज्यिक दोनों हो सकता है जैसी रेलें हैं। मेरा विचार है कि एक उद्योग को हम तभी वाणिज्यिक कह सकते हैं जब कि वह लाभांश अथवा लाभ की सृष्टि करता हो। रेलवे के सम्बन्ध में हम ने ४ प्रतिशत निश्चित किया है। संकल्प के प्रस्तुतकर्ता माननीय श्री सामन्त का उत्साह प्रशंसनीय था। उन्हों ने भी इसी प्रतिशत का निर्देश किया। अब मुख्य बात यह है कि क्या रेल तथा डाक तथा डाक विभाग हमें ४ प्रतिशत आय देता है।

श्री देवेश्वर सर्मा : विस्तार कार्यक्रम की अवधि में यह ४ प्रतिशत क्यों होना चाहिये ?

श्री हेडा : राष्ट्रीय योजना ऋण पर हम साढ़े तीन और किन्हीं अवस्थाओं में ४ प्रतिशत सूद देते हैं। मैं एक अन्य बात का स्पष्टीकरण कर दूं। सरकार कुछ ऐसे वाणिज्यिक उद्योगों का संचालन करती है जो लाभ की सृष्टि तो नहीं करते हैं किन्तु अत्यन्त आवश्यक हैं। ऐसे अनेक उद्योग हैं जो एक प्रतिशत लाभ भी नहीं देते हैं। अतः डाक तथा तार विभाग के वित्त को सामान्य वित्त से पृथक कर देने पर उक्त उद्योग का वाणिज्यिक रूप में संचालन करते हुए भी वह हमें सम्पूर्ण सुविधायें प्रदान कर सकता है। फिर भी यह हमें सस्ती और सुलभ सेवायें दे सकता है।

माननीय मित्र श्री सामन्त ने विभाग के लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि जहां कहीं भी डाकघर होगा वहां तार कार्यालय खोल दिया जायेगा। यह प्रशंसनीय

[श्री हेडा]

। यद्यपि हम लक्ष्य से पर्याप्त पीछे हैं किन्तु विभाग ने जो उन्नति की है वह अद्भुत है और हमें उस पर गर्व है । ऐसे अनेक स्थान हैं जहां २५० रुपये की आय न होते हुए भी डाकघर खोले गये हैं । ऐसे भी स्थान हैं जहां वाणिज्यिक दृष्टि से मांग न होते हुए भी सार्वजनिक टेलीफोन खोले गये हैं । हमारे पड़ौसी श्रीलंका जैसे छोटे से देश में हमारे यहां से अधिक सार्वजनिक टेलीफोन हैं । मेरा विचार है कि श्रीलंका में ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां डाकघर नहीं है । प्रारम्भ में एक दो वर्षों तक हानि उठाना पड़ेगी किन्तु समय बीतने पर तीन चार वर्ष की अवधि में कोई हानि नहीं होगी । इस कार्य-क्रम के विस्तार के लिये सुरक्षा कारण, विधि और व्यवस्था, देश की एकता, पिछड़े हुए तथा अपेक्षित क्षेत्रों का विकास आदि अन्य कारण भी हैं ।

मेरी सम्मति में अभी वह समय नहीं आया है जबकि वित्त व्यवस्था का पृथक्करण किया जाये क्योंकि अभी हमें चार प्रतिशत की आय नहीं हो रही है और इस दिशा में अभी और विनियोग की आवश्यकता है । ८४ करोड़ रुपये का विनियोग किया जा चुका है पृथक्करण की अवस्था में मुझे सन्देह है कि इतनी रकम का विनियोग नहीं किया जा सकता था । अच्छा लाभ देने वाली रेलवे को देखें और विनियोग की गति की तुलना करें तो हमें मालूम होगा कि हम रेलवे में उतना विनियोग नहीं कर रहे हैं जितना कि डाक तथा तार विभाग में किया जा रहा है । अतः मेरा विचार है कि अभी पृथक्करण के लिये उचित समय नहीं आया है ।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं संकल्प के प्रस्तुतकर्ता की इस भावना की सराहना करता हूं कि डाक तथा तार विभाग का विस्तार किया जाये, कर्मचारिवर्ग को अधिक सुविधायें दी जायें और विभाग की चतुर्मुखी उन्नति हो । मेरा विश्वास है इन्हीं भावनाओं से प्रेरित हो कर उन्हों ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है ।

वैधानिक व्यवस्था का विश्लेषण करना आवश्यक है । क्योंकि बहुधा रेलवे प्रशासन में विद्यमान व्यवस्था और संकल्प के प्रस्तुतकर्ता के अनुसार जो व्यवस्था होनी चाहिये उन में साम्य स्थापित किया जाता है । जैसा गत वर्ष बजट भाषण के दौरान में कहा गया था मैं पुनः दोहरा दूं कि वित्त पृथक्करण इच्छित उद्देश्य का गलत वर्णन है । अनुच्छेद ११२ के अनुसार भारत सरकार का सम्पूर्ण आय और व्यय तथा उस का लेखा एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये और इसीलिये वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वर्ष के आय-व्ययक में रेलवे की आय और व्यय भी बताना पड़ता है ।

माननीय सदस्य श्री मुकर्जी ने मेरे भाषण का उल्लेख किया । उन्हों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मेरे भाषण की कुछ बातें डाक तथा तार विभाग के वित्त सम्बन्धी पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिये एक संसदीय आयोग स्थापित करने का समर्थन करती है । मेरा विचार है कि मेरे भाषण के अंश अपने संदर्भों से अलग कर दिये गये हैं । मैं बताना चाहता हूं कि मैं ने क्या कहा था क्योंकि इसे मुझे अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने में भी सहायता मिलेगी । माननीय सदस्य ने जो उद्धरण दिया उस के अतिरिक्त मैं ने यह कहा था :

"रेलवे की आय तथा व्यय का लेखा अविभाज्य है और वह केन्द्रीय बजट बनाई जाती है । अतः यह भावना की रेलवे वित्त

केन्द्रीय बजट से सर्वथा पृथक है, तथ्य के विरुद्ध है। रेलवे में तीन निधियां हैं : अवमोल रक्षित निधि, राजस्व रक्षित निधि और विकास निधि। डाक तथा तार घर में भी अवमोल रक्षित निधि है किन्तु दूसरी दो निधियां नहीं हैं। रेलवे बोर्ड के विषय में वित्तीय आयुक्त तो टेक्नीकल दृष्टि से रेलवे मंत्री के नियंत्रण में कहा जाता है किन्तु कुछ कार्यों के सम्बन्ध में उस को स्वातंत्र्य और अधिकार भी हैं। परन्तु अन्तिम रूप में वित्तीय आयुक्त को भी यह देखना पड़ता है कि रेलवे जिस किसी प्रस्ताव, परियोजना अथवा कार्य की क्रियान्विति करना चाहती है तो वह समूचे आय-व्ययक के मार्ग और उपायों के सामर्थ्य के भीतर हैं। मैं यह मानता हूं कि पूरे विषय पर विचार किये जाने की गुंजाइश है परन्तु हम यह नहीं कह सकते हैं कि वित्त पृथक्करण की सम्भावना निरापवाद रूप में है।"

मेरा विचार है कि विस्तार अथवा विकास कार्यों के लिये जो भी आवंटन किये जाते हैं वे देश की समग्र वित्तीय स्थिति और योजना की अवधि में द्रव्य सम्बन्धी साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है। जहां तक वैधानिक स्थिति का सम्बन्ध है अवस्था इस प्रकार है।

अब मैं माननीय सदस्य श्री सामन्त की बातों का उल्लेख करूंगा। कुछ अंशों में उन का कथन सही है कि हम आवास का इच्छानुसार प्रबन्ध नहीं कर सके हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यवाहियों को समाप्त कर रहे हैं। पहले हमें यह मालूम करना है कि हमें कितना आवास और चाहियें। इस के पश्चात् प्राथमिक योजना बनाई जाती है, इस के बाद योजना का अनुमोदन, फिर अनुशासनिक स्वीकृति और तब विस्तृत प्राक्कलन आदि बनाये जाते हैं

हमें विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है और चाहे हम अपने भवनों के निर्माण के लिये स्वय उत्तरदायी बन जायें या केन्द्रीय लोक नियंत्रण विभाग उन की रचना करे इन प्रक्रियाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता जो कि परिवीक्षण इत्यादि के लिय आवश्यक है और जिन की ओर मैंने अपने गत आय-व्ययक भाषण में निदेश किया था। प्रशासन की शुद्धता के हेतु और आवश्यक रोक थाम के लिये जिन के लिये उपबन्ध की आवश्यकता है, इन प्रक्रियाओं को हटाया नहीं जा सकता। ऐसा होते हुए प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसा अच्छे से अच्छा ढंग क्या हो सकता है जिस से विलम्ब कम हो सके। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है निर्माण कार्य के संधारण और नवीन निर्माण कार्य के लिये भी कतिपय आर्थिक सीमा तक हमारे विभागीय इंजीनियर और विभागीय पदाधिकारियों को मंजूरी देने का अधिकार है। इस समय इन निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के परामर्श से इन आर्थिक सीमाओं को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि विभाग स्वयं ही भवन निर्माण कार्य के अधिकाधिक सद हाथ में ले सकें।

भवन सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये डाक तथा तार संस्था के हेतु एक पृथक विभाग बनाने के बारे में भी स्थिति की जांच की गई थी। परन्तु जैसा यह सब को विदित है हमारे पास का इतना आवक और इत मूल्य के नहीं है जिन से इस प्रयोजन के लिये पृथक विभाग बनाना उचित समझा जाय। तो भी मुझे आशा है कि जिन नये प्रबंधों पर विचार हो रहा है उन से हम वर्तमान कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे और यथा समय भवन निर्माण-कार्य भी तेज होगा और जो विलम्ब हमें इस समय हो जाता है वह भी पर्याप्त रूप से कम हो जायेगा।

[श्री राज बहादुर]

दूसरी बात जो श्री सामन्त ने कही है वह इस वर्ष के आय-व्ययक के सम्बन्ध में है। उन्हों न कहा कि ३ करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि में से हम सामन्त राजस्व के लिये २३० लाख पये नियत किये हैं। मैं स टिप्पणी को नहीं समझ सका, क्योंकि १९५५–१९५६ के अनुदानों से निम्नलिखित स्थिति दिखाई देती है :

	करोड़ रुपये
राजस्व	४७.७२
चालन व्यय	४४.६५
पूंजी व्यय पर ब्याज	२.३७
कुल व्यय	४७.०२

कुल अतिरिक्त निधि ७० लाख पये की है।

यहां सामान्य राजस्व के लिये दिखाया गया कुछ अंशदान ३५ लाख रुपये है और डाक तथा तार विभाग के लिये ३५ लाख रुपये हैं। अतएव मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना अच्छा होगा कि भूतकाल में वर्ष प्रतिवर्ष अतिरिक्त निधियों की क्या स्थिति रही है और वह अतिरिक्त कैसे हुआ है। मैं वर्ष १९५१–५२ से आरम्भ करूंगा।

वर्ष १९५१–५२ में ३,४३,३६,००० रुपये अतिरिक्त है। वष १९५२–५३ में १,८७,२३,००० पये अतिरिक्त थे। वर्ष १९५३–५४ में २,४०,२४,००० रुपये अतिरिक्त थे। १९५४–५५ के (संशोधित प्राक्कलन) में १,४०,००,००० रुपये की अतिरिक्त निधि थी। और १९५५–५६ में अतिरिक्त निधि का प्राक्कलन ७० लाख रुपये हैं। अतएव यह देखा जा सकता है कि विभाग के अधिक कार्यों के कारण . . .

श्री हेडा : क्या यह अतिरिक्त निधि ब्याज देने के पश्चात् नहीं होती।

श्री राज बहादुर : जी हां, ऐसा ही होता है। यह निधि ब्याज देने के पश्चात् निकाली जाती है और मैं अभी श्री हेडा की इस बात के सम्बन्ध में बताऊंगा कि जहां रेलवे विभाग पूंजी व्यय पर ४ प्रतिशत ब्याज दे रहा है। हम ३½ प्रतिशत ब्याज दे रहे है और इस ढंग से हम वाणिज्यिक आधार पर काम चला रहे हैं। परन्तु जैसा यह सर्व-विदित ही है हमारा विभाग वाणिज्यिक व लोकोपयोग का है। हम लोगों की आवश्यक-ताओं को भी पूरा करते हैं और इस में विस्तार होना चाहि। इसीलिये हम देखते हैं कि वर्ष प्रतिवर्ष अतिरिक्त निधि की मात्रा बढ़ नहीं रही है और उस की बजाय यह कम ही हो रही है।

श्री नम्बियार : यदि हम रेलवे में अभ्यंश दे रहे हैं तो क्या आप का यह अभिप्राय है कि हमें भी उसी प्रकार का अभ्यंश देना चाहिये ?

श्री जगजीवन राम : आप बात को समझें नहीं।

श्री राज बहादुर : बात यह कही गई थी कि रेलव विभाग ूंजी व्यय पर लगभग ४ प्रतिशत ब्याज दे रहा है जब कि हम ३½ प्रतिशत ब्याज दे रहे है। उन का पूंजी व्यय ८०० करोड़ पये तक है। हमारा पूंजी व्यय लगभग ८० करोड़ पये है और हम ३½ प्रतिशत देते हैं यद्यपि यह दर वर्ष प्रति वर्ष भिन्न होती है। मैं ने इस वर्ष के आंकड़े दि हैं जिन से यह पता लगता है कि ब्याज के प्रभार लगभग २.३७ करोड़ रुपये हैं। अतः मैं ने यही दिखाने के लिये यह निष्कर्ष निकाला है कि वित्त पृथक्कीकरण के प्रश्न को

यदि इस रूप में लिया जाय तो वह कठिनाई रहित वरदान नहीं होगा, क्योंकि हम भली प्रकार जानते हैं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में पूंजीगत कार्यों के लिय ५० क ोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है और अब हम यह आशा करते हैं कि हम स राशि का बड़ा भाग---अर्थात् ४२ या ४३ करोड़ पया व्यय कर ेंगे, तो यह कहा जा सकता है कि हमें विस्तार के लिये जो कुछ चाहिये था वह हमें योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से मिल गया है। इस के साथ ही हमें इस तथ्य को भी जानना चाहिये कि हम ने नये डाकघर, नये टेलीफोन एक्सचेंज, नये सार्वजनिक टेलीफोन और नये तारघर खोलने के लिये कतिपय सिद्धान्त और नियम बना दिये हैं। डाकघरों के बारे में वित्त मंत्रालय ने यह मान लिया है कि चाहे हानि हो और चाहे उन से लाभ हो हमें विस्तार कार्य करते रहना चाहिये। और जिला मुख्यालयों में भी खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों से हमें हानि हो सकती है। परन्तु उसे भी अस्वीकार कर लिया गया है। हम ने वित्त मंत्रालय से यह प्रार्थना की थी कि वे इस सिद्धान्त को भी स्वीकार करें कि **हमें उप-विभागीय मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने चाहियें। इस बात को भी स्वीकार कर लिया गया है।**

अब हमारे पास एक नई मांग आई है। यह मांग यह है कि सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खंडों के मुख्यालयों में ी डाक तथा तारघर खोलने चाहियें। इस मांग पर विचार किया जायेगा।

इस प्रकार हमारी विस्तार सम्बन्धी ब ती हुई आवश्यकताओं पर वित्त मंत्रालय ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। तो भी मैं कह सकता हूं कि विकास निधि विभाग के सम्बन्ध में मैं ने जो यह कहा था कि उस मामले की जांच करनी है वह बात अब भी स्थिर है। क्योंकि कुछ एसे मामले हो सकते ैं जिन में हमें राशि व्यय करनी पड़ेगी और रेलवे मंत्रालय की पद्धति पर एक पृथक विकास निधि बनाने के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से उस प्रश्न को हल किया जा सकता है अथवा कम से कम सरकार का मत संसद् को सूचित किया जायेगा।

मेरे माननीय मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी ने तिब्बत सीमान्त के विशेष मामले के सम्बन्ध में एक बात कही थी, मुझे उन की जानकारी पर आश्चर्य हुआ था क्योंकि मुझे पता लगा है कि इस सरकारी वेतन का ७५ प्रतिशत उन्हें भत्ते के रूप में दिया गया था। क्योंकि यह आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व मामला था इसलिये वित्त मंत्रालय इस से सहमत नहीं हुआ। परन्तु बाद में उन्हों ने स्वीकृति दे दी। बर्फ के लिये वस्त्र आदि भी महा पोस्टमास्टर ने दे दिये थे। श्री मुकर्जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इन तथ्यों की जांच करें और यदि इस पर भी उन्हें यह सोचने की गुंजाइश हो कि बर्फ के वस्त्र आदि की लागत वसूल की जा रही है, तो हम अवश्य स विषय की जांच करेंगे और यह प्रबन्ध करेंगे कि बर्फ के वस्त्र आदि देने के लिये वसूलियां न की जायें।

श्री नम्बियार : डाक तथा तार विभाग ने ये दे दिये थे परन्तु वित्त मंत्रालय ने इस का अनुमोदन नहीं किया था।

श्री जगजीवन राम : प्रश्न यह है कि कर्मचारी को इस का मूल्य देने के लिय कहा गया था या कि नहीं। यदि उसे मूल्य देने के लिय कहा गया था नो मैं स की जांच कर के यह बन्ध करने के लिये तैयार हूं कि उससे वसूली न की जाये।

श्री राज बहादुर : मैं ने तथ्य प्राप्त किये हैं जिन्हें मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये दोहराना चाहता हूं। वे इस बात को अवश्य अनुभव करेंगे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यह हो सकता है कि दूर के तिब्बत सीमान्त कुछ एक मामले हुए हों और इस का डाक तथा तार विभाग के प्राधिकारियों को पता न लगा हो और किसी विशेष पदाधिकारी ने ऐसे आदेश दे दिये हों जो सम्बन्धित कर्मचारी के लिये न्यायपूर्ण न हों।

मैं ने तथ्य प्राप्त किये हैं और मैं कह सकता हूं कि केलांग में काम करने वाले तार आप्रेटर के लिये वित्त मंत्रालय ने वेतन का ७५ प्रतिशत देने की मंजूरी दी थी। मैं यह भी कह दूं कि डाक तथा तार विभाग ने बर्फ के लिए वस्त्र आदि दिये थे। यह नहीं कहा जा सकता कि वसूलियां की गई हैं। फिर भी जैसा माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है, यदि वसूलियां की गई हैं तो वे वापस कर दी जायेंगी।

फिर भी श्री एच० एन० मुकर्जी ने हवाई डाक की उच्च दरों के प्रश्न को लिया था। हम जानते हैं कि हमारे विमानों से डाक ले जाई जाती है। डाक शीघ्र ले जान और पहुंचाने के लिये ऐसा किया जाता है। लोगों को यह सुविधा हमें देनी ही चाहिये। हमें यह भी पता है कि हमें डाक ले जाने के लिये विमानों में जगह रक्षित रखनी पड़ती है। यदि हम कुछ उच्च दरें देते हैं तो पहले तो वह डाक विमान द्वारा लेजाई जाती और दूसरे उस के लिये जगह रक्षित रखी जाती है। यह आवश्यक है एयर लाइन्स निगम डाक ले जाने से इन्कार नहीं कर सकता। वह किसी यात्री के लिये जगह रक्षित करने से न्कार कर सकते हैं परन्तु वे डाक ले जाने के लिये जगह देने से न्कार नहीं कर सकते। ए० टी० एल० बोर्ड दर निर्धारित करता है और विमान यातायात परिषद् के बन जाने के पश्चात् वह परिषद् दरों को निर्धारित करेगा अतएव मैं समझता हूं कि स कारण कोई आक्षेप नहीं उठाया जा सकता।

मैं समझता हूं कि हम ने संसदीय आयोग के प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। मेरे माननीय मित्र श्री देवेश्वर सर्मा ने कर्मचारियों के लिये जोरदार तर्क दिया है। मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों को वही वेतन क्रम वही वेतन और वही भत्ते दिये जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को दिये जाते हैं। मेरा विचार है कि श्री देवेश्वर सर्मा यह नहीं चाहते कि हमारे कर्मचारियों को वे सुविधायें दी जायें जो डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये विशेष हों और ऐसी हों जो कि अन्य कर्मचारियों के लिये उपलब्ध न हों। उन्हों ने कहा था कि आसाम में क्षतिपूर्ति भत्ते दिये जाने चाहियें। मुझे पता नहीं कि आसाम सरकार ये देती है अथवा नहीं। मुझे यह भी पता नहीं कि रेलवे मंत्रालय यह दे रहा है अथवा नहीं अथवा अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाते हैं अथवा नहीं। उन्हों ने यह भी कहा कि त्याग के लिये किसी अपील का हमारे कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं कि हमारे कर्मचारियों पर इसका सदा प्रभाव पड़ा है और भविष्य में भी इस का प्रभाव पड़ेगा। डाक तथा तार विभाग को इस पर गर्व है कि हमारे कर्मचारी अत्याधिक देश भक्त रहे हैं और उन्हों ने कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है और किसी परिस्थिति में जब उन्हें त्याग के लिये कहा गया है तो उन्हों ने त्याग भी किया है। मुझे विश्वास है कि हमारी प्रत्येक अपील का उन पर उत्साहजनक और चिरकालिक प्रभाव पड़ेगा और उन्हें भी पता है कि उन्हें वे सब सुविधायें दी जा रही हैं जो केन्द्रीय सरकार में उन के साथी कर्मचारियों को

दी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।

मेरे विद्वान मित्र श्री देवेश्वर सर्मा ने मुझे एक घटना की याद दिलाई थी। उन्हों ने कहा था कि नौगांव डाक घर में सात कर्मचारियों के लिए छः कुर्सियां हैं।

श्री देवेश्वर सर्मा : वह साधारण बात है।

श्री राजबहादुर : जी हां। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी सजग है और वे अपने अधिकारों को जानते हैं और मुझे विश्वास है कि उन्हों ने अवश्य प्रयत्न किया होगा और अपने लिये, अर्थात् अपने सातवें सदस्य सभापति के लिए भी कुर्सी प्राप्त कर ली होगी।

चिकित्सालय व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र श्री एस० सी० सामन्त ने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया है कि क्षय रोग के रोगियों के लिए और जगहों का प्रबन्ध होना चाहिये। हमारे पास क्षय रोग के रोगियों के लिये जितनी जगहों का प्रबन्ध है वह वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है और इस समय वे जगहें ४१ हैं। उन्हों ने कहा है कि रेलवे विभाग के अपने चिकित्सालय हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रेलवे बस्तियां काफी बड़ी हैं और उन में बहुत लोग रहते हैं। सब बड़े जंक्शनों पर एक पृथक चिकित्सालय के बिना उन का काम नहीं चल सकता। परन्तु हमारे लिये एक बड़े नगर में भी एक पूर्ण चिकित्सालय बनाना आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि कलकत्ता जैसे स्थान पर हमारा चिकित्सालय हो भी तो बैरकपुर के कर्मचारियों या वहां से १२ या १५ मील की दूरी पर के डाक के कर्मचारियों को क्या लाभ होगा ? रेलवे कर्मचारी बस्तियों में रहते हैं। वहां एक चिकित्सालय भली प्रकार चल सकता है। हमारे प्रयोजनों के लिये, जहां कि हमारे डाकघर दूर दूर हैं और किसी विशेष डाकघर के कर्मचारियों की संख्या अधिक नहीं है. अतएव जब तक डाक तथा तार के कर्मचारियों के लिये बड़ी बस्तियां न बनाई जायें हमारे लिये यह कहना उचित नहीं है कि हमें प्रत्येक कस्बे या बड़े नगर में भी डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये पृथक चिकित्सालय बनाना चाहिये। जब ऐसी बस्तियां जो कि हमारे कार्यक्रम में हैं, बन जायेंगी तो उन में से प्रत्येक के लिये चिकित्सालय का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री धुलेकर : उन्हें रेलवे डाक सेवा के लोगों के साथ मिलाया जा सकता है।

श्री राज बहादुर : वस्तुतः वे तो रेलवे के लोगों के अतिथि हैं। उन्हें रेलवे के लोग स्थान और सुविधायें देते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सालय व्यवस्था की सुविधायें एक सूत्रीकृत करने के प्रश्न की जांच कर रहा है।

फिर अतिरिक्त वैभागिक अभिकर्ताओं का प्रश्न है। मुझ से पूछा गया था कि हम उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह पूरी सुविधायें क्यों नहीं देते। जैसा मैं ने बताया सिद्धान्त यह है कि समान कार्य के लिये समान वेतन देना चाहिये अतिरिक्त वैभागिक अभिकर्ताओं और अतिरिक्त वैभागिक पोस्ट-मास्टरों के पास कठिनाई से एक दो घंटे का काम होता है। यह पांच घंटे से अधिक कभी भी नहीं होता। यदि यह महान संसद् इस सिद्धान्त को स्वीकार कर ले कि यदि किसी व्यक्ति के पास कम कार्य भी हो तो पूरे समय के कर्मचारी की तरह वेतन मिलना चाहिये तो वह महत्वपूर्ण अभिनव बात होगी और हमारी नीति के स्वीकृत सिद्धान्तों के विरुद्ध होगी। इस का अभिप्राय यह होगा कि कार्य चाहे कितना हो उसे पूरा वेतन मिलना चाहिये।

[श्री राज बहादुर]

यह एक ऐसा धन्धा है जिस में केवल भत्ता मिलता है। उन में से कुछ व्यक्ति पंचायतों के चुनावों में भाग लेने के लिये उत्सुक हैं और हमें मालूम है कि उन्हों ने कुछ चुनावों में भाग लिया है। हम इस तथ्य को भली प्रकार मान्यता दे सकते हैं कि दूसरे देशों की प्रथा को हम ने भी ग्रहण कर लिया है क्योंकि डाक सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकताओं के लिये यह उपयुक्त है।

गवेषणा संगठन का प्रश्न उपस्थित किया गया था। प्रति दिन की समस्याओं के लिये हमारे पास जबलपुर में टेक्निकल विकास सर्कल है जो छोटी छोटी बातों की देखभाल करता है। मैं इस प्रकार के गवेषणा संगठन की आवश्यकता अनुभव करता हूं। इस दिशा में हम ने कुछ कार्यवाही भी की है। हमने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से सम्पर्क स्थापित किया है। वे किस सीमा तक हमारी सहायता कर सकते हैं। आरम्भ में हम वहां एक छोटे से केन्द्र स्थापित कर सकते हैं हम इस विषय की ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरा विचार है कि वित्त की उपलब्धि उक्त संगठन की स्थापना में बाधक नहीं होगी।

फिर माननीय मित्र श्री एस० सी० सामन्त ने पश्चिमी बंगाल के प्रश्न का उल्लेख किया। उन्हों ने कहा कि १३१ तारघर खोलने का आदेश दिया गया था किन्तु वे नहीं खोले गये हैं। इस का कारण वित्त का अभाव नहीं है। तारघर खोलने के लिये हमें स्टोर्स, उपकरण आदि की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि वर्कशाप की क्षमता सीमित है और डब्बों का संभरण भी कम है। इन तारघरों की स्थापना में विलम्ब होने का यही कारण है। १९५३ के बजट सत्र में हम ने अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया था। हमने पर्याप्त प्रगति की है। मेरा विश्वास है पंजाब, बम्बई, मध्य प्रदेश और केन्द्रीय सर्कल में हम ने अपना कार्यक्रम सम्पन्न कर लिया है। तहसीलों की संख्या थानों से कम है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में तहसीलें नहीं है। वहां केवल थाने ही हैं। इन की संख्या अधिक होने से अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहां पर कार्यक्रम की पूर्ति में अधिक समय लगेगा। मुझे विश्वास है कि वित्त का अभाव इस कार्यक्रम में बाधक नहीं होगा और हम अपने वायदे पूरे करने में समर्थ सिद्ध होंगे।

माननीय सदस्य श्री भक्त दर्शन ने कहा कि विस्तार कार्यक्रम के लिए हानि की उच्चतर सीमा में वृद्धि कर देनी चाहिये। पिछड़े क्षेत्रों में यह ७५० रुपये के स्थान पर १,००० रुपये होना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये रूप रेखा बनाते समय हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि अन्य आवश्यक तथ्यों को अस्वीकृत न करते हुए भी हम कहां तक इस सीमा को बढ़ा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प के प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना संकल्प वापिस ले लें।

मैं इस बात के लिये पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि पृथक विकास निधि की रचना का प्रश्न तय हो जाये और भवन निर्माण के कार्य में कम से कम विलम्ब हो। मैं यह आश्वासन देता हूं कि समस्त बहुमूल्य सुझावों पर कृतज्ञतापूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार डाक तथा तार विभाग के वित्त के प्रश्न की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने के लिये तैयार है ?

श्री राज बहादुर : मैं ने स्पष्ट शब्दों में कल यह उत्तर दिया था कि डाक तथा तार विभाग से सम्बन्धित वित्त के प्रश्न की जांच करने के लिये संसदीय आयोग की स्थापना का कोई विचार नहीं है । उस प्रस्ताव के समर्थन के लिये कोई दृढ़ कारण नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : हम 'वित्त पृथक्करण' शब्दों पर मुग्ध नहीं हैं । काम होना चाहिये । शब्दों से कोई हमें अभिप्राय नहीं है । रेलवे कनवेंशन ने भी "सामान्य वित्त से रेलवे वित्त का पृथक्करण" शब्दों का प्रयोग किया था । अतः मैं ने जान बूझ कर इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है । चूंकि विभाग ने इस विभाग की जांच के लिये कह दिया है। अपना संकल्प वापस लेने के पूर्व मैं बता दूं कि यद्यपि एक सम्पर्क समिति बना दी गई है और मंत्रिगण को अच्छे परिणाम की आशा है परन्तु मुझे इतनी आशा नहीं है । मेरी प्रार्थना है कि विभिन्न सर्कल के इंजीनियरिंग विभाग में विस्तार किया जाये । अस्पतालों के सम्बन्ध में मैं ने कहा था कि बड़े बड़े नगरों में दो तीन बड़े अस्पताल होने चाहियें जहां क्षयरोग से पीड़ित मरीज अन्य स्थानों से चिकित्सा के लिये आ सकें । विभाग के कर्मचारी भारत के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं । हमें क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारियों का पूर्ण उत्तरदायित्व संभालना चाहिये क्योंकि हम उन्हें आवास, आराम तथा अन्य सुविधायें देने में असफल रहे हैं । यदि हम उन से कठिन परिश्रम की आशा रखते हैं तो उन्हें यह अनुभव नहीं होने देना चाहिये कि वे अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले विभाग अर्थात् रेलवे की भांति सुविधाऐं प्राप्त नहीं कर रहे हैं । बहुत सी यान्त्रिक वस्तुओं के कारण हमारे पास एक गवेषणा केन्द्र भी होना चाहिये । मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं ।

अन्त में मैं इस बात के लिये कृतज्ञ हूं कि मंत्री महोदय ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वह इस मामले पर विचार करेंगे । मुझे विश्वास है कि भविष्य में मेरी आशा पूरी हो जायेगी । इतना कहने के पश्चात् मैं यह संकल्प वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं ।

श्री जगजीवन राम : अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं के विषय में मैं स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार करता हूं कि जो सुविधायें कर्मचारियों को दी गई हैं मुझे उस से संतोष नहीं है । मैं इस बात की परीक्षा कर रहा हूं कि कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय के वितरण में आने वाली विचित्र प्रक्रियाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है । हम ने सेनेटोरियम में क्षय रोगियों के स्थान संरक्षण किये हैं, अधिक स्थानों के लिये भी योजना है और यदि आवश्यकता हुई तो सरकारी सेनेटोरियम भी बनाये जायेंगे । कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, इस रोग का अनुपात भले ही अधिक न हो फिर भी उन की संख्या बहुत अधिक है । अतः हम विभिन्न सेनेटोरियम में क्षय रोगियों के लिये अधिक स्थानों का उपबन्ध करेंगे अथवा एक या दो सर्कल की चिकित्सा-व्यवस्था के लिये एक केन्द्रीय सेनेटोरियम बनायेंगे ।

सामान्य चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में मैं ने स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की थी और वह विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों और राज्य सरकारों के विभागों की अस्पताल सम्बन्धी सुविधाओं का सहयोग करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं और मेरा विचार है कि इस योजना के अन्तिम रूप धारण कर लेने पर डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को अधिक चिकित्सा सुविधायें मिलेंगी । लेकिन यदि उक्त व्यवस्था क्रियान्वित नहीं होती है तो हम निस्संदेह कर्मचारियों के लिये अधिक सुविधाओं का उपबन्ध करेंगे ।

[श्री जगजीवनराम]

कुछ समय पूर्व देश के विख्यात तार-संभरण वैज्ञानिकों की एक मंत्रणा समिति गवेषणा केन्द्र के सिलसिले में बनाई गई थी। देश के मौसम और जलवायु के अनुसार तार संचरण को अनुकूल बनाने एवं उस के विकास की दृष्टि से गवेषणा का छोटे से केन्द्र की स्थापना इस का उद्देश्य है। उक्त केन्द्र हमारे पदाधिकारियों को परामर्श देगा। यह पदाधिकारी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में काम करेंगे। शनै शनै इस कार्यालय का विस्तार होगा। हमारा विचार डाक तथा तार विभाग में गवेषणा विभाग, सांख्यिकीय विभाग और अन्य विभाग स्थापित करने का है। अन्त में, मैं माननीय मित्र को संकल्प वापिस ले लेने के लिये धन्यवाद देता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस सभा की यह राय है कि श्रमिकों के सामहिक संपणन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये तुरन्त ही उपयुक्त विधान अधिनियमित किया जाना चाहिये जिस में इन बातों के लिये व्यवस्था हो :
>
> (क) श्रमिकों को अपनी पसन्द के किसी भी कार्मिक संघ में सम्मिलित होने का अधिकार होगा और मालिक ऐसे कार्मिक संघों को, यदि उस के संस्थापन अथवा उद्योग में एक से अधिक हों, मान्यता देगा, और यथास्थिति, कार्मिक संघ अथवा कार्मिक संघों से समझौता करेगा,
>
> (ख) कार्मिक संघों में मतभेद होने के मामलों में सम्बन्धित संस्थापन अथवा उद्योग के सब श्रमिकों की सामान्य सभा द्वारा संस्थापन अथवा उद्योग के श्रमिकों का बहुमत जाना जायेगा।"

उक्त संकल्प विशेष उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। हम सरकार द्वारा कार्मिक संघों की मान्यता का सिद्धान्त चाहते हैं। मेरा विचार है कि सभा मेरी इस बात को स्वीकार करेगी कि आज हम श्रमिक वर्ग को कुछ निर्दिष्ट अधिकार देना चाहते हैं। संविधान के अनुसार हमारे देश का ध्येय कल्याणकारी राज्य है।

उत्पादन क्षेत्र में श्रम का अत्याधिक महत्व है। १९२६ में अंग्रेजी सता द्वारा बनाये गये श्रम सम्बन्धी विधान का दूसरा ही ध्येय था। किन्तु उस के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन हो गया है। विश्व के विभिन्न देशों में मालिक और श्रमिक वर्ग में परस्पर नवीन सम्बन्धों का सूत्रपात हो रहा है।

१९४७ में मालिकों द्वारा श्रमिक संघ की मान्यता का अधिकार दिलाने वाला एक विधान पारित किया गया था किन्तु आठ वर्ष बीत जाने पर भी उसे लागू नहीं किया गया है।

हमारे देश में विगत तीस या चालीस वर्षों से साधारण स्थिति से आरम्भ हो कर श्रमिक आन्दोलन बढ़ा है। किन्तु दुर्भाग्य से शिक्षा के अभाव में, श्रमिक वर्ग हमारे यहां अभी भी पिछड़ा हुआ है। हमारी इच्छा है

कि श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाये । प्रायः मंत्रीगण तथा अन्य लोग श्रमिकों को सहयोग करने की सलाह देते हैं किन्तु हम ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जो उन में अधिक उत्पादन की ओर प्रवृत्त करने के लिये प्रेरणा पूरित कर सके । सरकार इस प्रकार के वातावरण की सृष्टि आवश्यक नहीं समझती है ।

हम जानते हैं कि देश में न्यूनतम वेतन अधिनियम और उन्हें सुविधाओं की गारण्टी करने वाली विधियां हैं । कुछ समय पूर्व जब चाय उद्योग में संकट उत्पन्न हुआ तो सब से पहले श्रमिकों को हानि सहनी पड़ी आज चाय उद्योग में अपरिमित लाभ होने पर भी श्रमिकों को पुरानी सुविधायें पुनः लौटाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जाता है । इस का कारण यह है कि नियोजकों में अधिकांश विदेशी हैं तथा हमारे राष्ट्रजनों ने भी उन से सांठ गांठ कर ली है और वे प्रशासन तथा उक्त विधियों को लागू करने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं ।

श्रमिकों का एक अत्याधिक महत्वपूर्ण अधिकार संघ की मान्यता का अधिकार है । भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम में कुछ उपबन्ध बनाये गये हैं और उस के अन्तर्गत कुछ विनियम अधिनियमित किये गये हैं जिन मे वे शर्तें लिखी हैं जिन के आधार पर श्रमिकों के एसोसियेशन को मान्यता प्रदान की जाती है; और यदि इस प्रकार का एसोसियेशन मान्य किया जाता है तो फिर यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि मालिक उक्त संघ को मान्य करार देता है अथवा नहीं ।

इसे नियोजकों की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ देना चाहिये कि वे जिस संघ को मानें उसे मान्यता प्रदान करें और अन्य संघ को न करें । सरकार चाहे तो एक दो विनियमों में परिवर्तन कर सकती है । किन्तु एक विशिष्ट उपबन्ध होना चाहिये । जिस में यह लिखा हो कि नियोजकों द्वारा संघों की मान्यता अनिवार्य हो । नियोजकों और श्रमिकों के स्वस्थ सम्बन्ध के लिये यह आवश्यक है ।

हमारी इच्छा है कि एक उद्योग में साथ साथ काम करने वाले श्रमिक, जिन की भावनायें, और महत्वाकांक्षायें समान हैं उन्हें इस संघ की सहायता से मालिकों को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिये । इस दिशा में वैयक्तिक कार्य सम्भव नहीं है और यह वांछनीय है कि श्रमिकों द्वारा स्वेच्छापूर्वक बनाया गया ऐसोसियेशन ही अपने सदस्यों की ओर से समझौता करे । मालिकों और कर्मचारियों के परस्पर सम्बन्धों के विषय में उन्हीं से परामर्श करना चाहिये । यह दुर्भाग्य की बात है कि आज की सरकार के कुछ प्रमुख कर्ताधर्ता किसी समय में श्रम आन्दोलन से सम्बन्धित रहते हुए भी निकट भविष्य में हमें इस बात की कोई आशा नहीं है कि श्रम सम्बन्धी कोई व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री वी० वी० गिरि ने सभा में इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि वह श्रम सम्बन्धों के विषय में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे । वर्तमान श्रम मंत्री ने भी व्यक्त किया था कि उन के ध्यान में कुछ ऐसी ही योजना है किन्तु आज तक ऐसा कोई विधेयक दिखाई नहीं दिया । आज हमारे सामने पंचवर्षीय योजना है और संविधान के कुछ सिद्धान्त हैं और यह आवश्यक है कि समाज की उत्पादक शक्तियां परस्पर सहयोग स्थापित करें और अपनी स्फूर्ति को संचित कर संविधान के आदर्शों को पल्लवित एवं कार्यसाधक करें ।

मेरा संकल्प दो बातों तक सीमित है । प्रथम, हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक

[श्री के० के० बसु]

किसी कार्मिक संघ में अस्सी या नव्वे प्रतिशत से कम सदस्य संख्या नहीं हो उसे मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिये । दूसरे, श्रम की अवस्था में सुधार होना चाहिये । यह सच है कि यत्र तत्र उन की अवस्था में सुधार के लिये प्रयत्न किया गया है किन्तु उस में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है । आज भी नियोजक द्वारा शोषण की ध्वनि गूंज रही है । श्रम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाता है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में एक ओर विसंगति है । यदि किसी उद्योग में तीन या चार संघ हैं और यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण के समक्ष जा कर उक्त संघों में से कोई एक संघ अपने मामले का प्रतिनिधित्व करना चाहे तो वे एसा नहीं कर सकते हैं वे इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते हैं कि क्या समस्त कार्मिक संघों को अनिवार्य मान्यता मिलनी चाहिये । नियोजक प्रस्तुत विधि के इस अभाव का पूरा लाभ उठा रहे हैं । अनेक बार वे उन कार्मिक संघों को भी मान्यता प्रदान नहीं करते हैं जिन की सदस्य संख्या पर्याप्त होती है ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : आप कितना प्रतिशत निर्धारित करना चाहते हैं ?

श्री के० के० बसु : हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं । यह अलग अलग उद्योग पर निर्भर है । चाय बागान के श्रमिकों के सम्बन्ध में प्रतिशत कम होना चाहिये । बागानों के विदेशी मालिक वहां किसी को भी नहीं जाने देते हैं । क्योंकि आगन्तुक व्यक्ति से उसे यह आशंका रहती है कि कहीं वह चाय बागान के श्रमिकों का हित संवर्द्धन न करने लग जायें ।

औद्योगिक नगरों में हम बीस या पच्चीस प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं । प्रतिशत के सम्बन्ध में निश्चित नियम नहीं हो सकता है । हम कुछ सिद्धान्त निश्चित कर सकते हैं ।

खानों के सम्बन्ध में स्थिति सर्वथा भिन्न है । खानों में जिस दशा में हमारे बन्धु भाई काम करते हैं वह कल्पनातीत है । मेरा विचार है कि सरकारी उद्योगों में भी यही सिद्धान्त लागू होना चाहिये । सरकारी उद्योगों में भी कुछ मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ हैं । पुराने दिनों में विधान मंडलों के कोई सदस्य अध्यक्ष अथवा अन्य किसी रूप में इन उद्योगों से सम्बन्धित रहे थे और वे इन कर्मचारियों के कष्ट को दूर करते थे । परन्तु अब वह बात नहीं है ।

होता क्या है । मान्यता एक दम ही समाप्त कर दी जाती है और यह कारण बता दिया जाता है कि आप ने अपनी बैठक में किसी दूसरे बाहर वाले व्यक्ति को बुलाया है । उसी कार्मिक संघ ने आज से चाहे १५ वर्ष पहले किसी ऐसे व्यक्ति को भी बुलाया हो जो आज सरकारी पद धारण करता है । मेरे संकल्प का आधार यही है कि हमारे कार्मिक संघों को निश्चित रूप से मान्यता दी जाये । हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देश के श्रमिकों का स्वस्थ विकास होना चाहिये ।

श्रीमान्, जहां तक सामूहिक संपणन का प्रश्न है मैं ने अपना संकल्प उसी बात पर आधारित किया है । विद्यमान व्यवसाय विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कुछ उपबन्ध हैं किन्तु दुर्भाग्य से वैधानिक प्रणाली इस प्रकार चल पड़ती है कि फिर मध्यम वर्ग के बेचारे श्रमिक अपनी बात के लिये लड़ भी नहीं सकते । मुझे एक इसी प्रकार का उदाहरण याद है । एलेन बेरीज़ के प्रबन्धकों ने एक बार छंटनी का आदेश जारी किया था और यह पूर्णतया स्पष्ट था कि उस सूचना में एक विशेष त्रुटि है और न्यायालय में जाते

ही प्रबन्धक हार जायेंगे---किन्तु हुआ क्या ? दुर्भाग्य से न्यायालय में यह विवाद ७ वर्ष तक चलता रहा और इस दौरान में बहुत से श्रमिक कहीं से कहीं चले गये । श्रीमान् स्वयं एक अच्छे वकील होने के ना यह बात स्वयं ही समझ सक हैं कि ऐसे मामलों में कम से कम ५/६ वर्ष लग जाते हैं । यदि उन श्रमिकों को शीघ्र ही दोबारा बहाल कर दिया जाय तभी वे लोग अपने उद्देश्य के लिये लड़ सकते हैं । मैं आप को बताना चाहता हूं कि कई विदेशी बैंकों ने भी इस बात को मानने से इन्कार कर दिया है । हमारी सरकार ने फिर भी उनपर कोई अभियोग नहीं चलाया ।

श्रीमान्, यह बात अत्यावश्यक है कि कार्मिक संघों तथा सामूहिक संपणन को मान्यता प्रदान की जाये ।

श्रमिकों का यह मूलभूत अधिकार है । यदि उन्हें ये अवसर दिये गये तो वे अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढ़ंग से संभाल लेंगे । इसलिये यह आवश्यक है कि उन के कार्मिक संघों तथा सामूहिक शक्ति को आवश्यक रूप में मान्यता दी जाये । नियोजक का यह कर्तव्य बना दिया जाये कि जो उन के पारस्परिक विवाद हैं उन्हें वे श्रमिकों से मिल कर हल करें । मुझे आशा है कि इस सभा के सदस्य मेरे इस संकल्प के सिद्धान्त का अनुमोदन करेंगे और सरकार भी इसे स्वीकार करेगी ताकि श्रमिकों को न्याय मिल सके और वे भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपना हाथ बटा सकें ।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं समझता कि अब तो माननीय मंत्री श्रमिकों कार्मिक संघों की अनिवार्य मान्यता सिद्धान्तों को अवश्य मानेंगे किन्तु उनके हाल भाव से यह प्रकट होता है कि वे अभी इसके लिये तैयार नहीं हैं । खैर, इस प्रकार का यह प्रथम अवसर नहीं है---सरकार पहले भी इसी प्रकार से इन्कार करती आई है---किन्तु आवड़ी अधिवेशन के बाद वह समाजवाद की बातें कर हैं । इस प्रकार की बातें करतें हुए भी वे लोग श्रमिकों को यह साधारण न्यूनतम मूल अधिकार नहीं दे रहे ।

इन लोगों ने कार्मिक संघों के पंजीयन को भी इसीलिये स्वीकार किया है क्योंकि यह बात ब्रिटिश सरकार ने १९२६ में स्वीकार कर ली थी ।

मैं बड़े दुःख से यह बात कहता हूं कि श्रम उप मंत्री अनिवार्य मान्यता सिद्धान्त को स्वीकार करने से इन्कार कर हैं । भूतपूर्व श्रम मंत्री भी श्री वी० वी० गिरि ने कई बार इस सभा में तथा सभा के बाहर भी इस सिद्धान्त से सहमति प्रकट की थी । उस समय उप मंत्री ने उस पर आपत्ति नहीं की---हो सकता है कि वैसे आपस की राये में मतभेद रहा हो ।

श्री आबिद अली : मेरा माननीय मंत्री से कभी मतभेद नहीं रहा ।

श्री नम्बियार : तब फिर वह इस का विरोध कैसे कर सक हैं ? यह बात तो मैं समझ सकता हूं कि मान्यता के सम्बन्ध में कुछ परिस्थितियों को बनाने की आवश्यकता है । किन्तु उन की असहमति मेरी समझ में नहीं आती ।

कल कांग्रेस के प्रवक्ता श्री वेंकटरामन ने कहा था कि वह अनिवार्य मान्यता को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करने के लिय तैयार हैं किन्तु प्रश्न यह उठेगा कि किस कार्मिक संघ को मान्यता दी जाये और कैसे ? यह तो ठीक ही है---इस के लिये हम बाद में इकट्ठे मिल कर भी सोच विचार कर सक

[श्री नम्बियार]

हैं। हम मिल कर कोई ऐसा सूत्र निकाल सकते हैं जिससे कोई बात बन सकें कल जब मैंने अपना संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया था, तो श्री वेंकटरामन ने कहा था कि यह यों ही स्वीकार नहीं किया जा सकता बल्कि यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम में ही एतद्विषयक संशोधन प्रस्तुत किया जाता तो उसे स्वीकार किया जा सकता था। यह तो एक अच्छा सुझाव है जिससे हम एक दूसरे को समझ सकें हैं—किन्तु श्रम उपमंत्री अपने दल के प्रवक्ता की बात मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि अनिवार्य मान्यता नहीं दी जा सकती।

श्री आबिद अली : मैं ने यह बात कभी नहीं कही।

श्री नम्बियार : किन्तु उन के हाव भाव से मैं ऐसा समझा हूं। यदि वह इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं तो मैं भी अपने वक्तव्य को ठीक करने को तैयार हूं।

अब मुझे संतोष है—इसी बात को श्री बसु ने भी अपने संकल्प में दिया है कि कार्मिक संघों को अवश्य ही मान्यता दी जाये।

इस के पश्चात् लोक सभा शनिवार १२ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

SIPD—HS—708 LSD—17-3-55—